

₹20

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कल्कि

अप्रैल 2014

- इस्लामी अर्थव्यवस्था और उसके अंग
  —मौलाना अबुल आला मौदूदी
- वर्तमान अर्थव्यवस्था का मूल दोष
  —रोशल लाल अग्रवाल
- शांति ही इस्लाम का उद्देश्य
  —स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य
- शराबबन्दी की संवैधानिक ज़िम्मेदारी
  —भरत डोगरा
- खेल संस्थाएं और खिलाड़ी
  —डॉ॰ पुरुषोत्तम मीणा 'निरंकुश'

ADMISSIONS OPEN

SHIFAA SCHOOL OF NURSING

No. 332, Darus-Salam Building, Queen's Road, Bangalore-560032
Recognised by KNC/INC

GNM Course

(Diploma in General Nursing & Midwifery)

- 3½ years course
- Only for Girls
- Age Limit–18 to 35 years
- Reasonable Fees
- Minimum Qualification–II PUC (+2)
- (Science/Arsts/Commerce)
- Patent Hospital–200 Bedded
- Spiritual & Safe environment
- Near Cantonement Railway Station

Scholarship for Merritorious Students

For Applications & other Details :

Contact : Co-ordinator, Ms. Zubaida
Mob. No. : 9535059804

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 23 अंक 10 अप्रैल 2014

अल्लाह ब्याज का मठ मार देता है और ख़ैरात (दान) को बढ़ाता है और अल्लाह किसी कृतघ्न दुष्कर्मी इन्सान को पसन्द नहीं करता।

–क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

* * *

फ़ोन संपादकीय एवं प्रबंधकीय

09818799223, 011-26949430

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 20/- विशेषांक रु० 30/-

वार्षिक रु० 220/-, दो वर्ष 425/-

पांच वर्ष 1000/-, आजीवन रु० 5000/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–100 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–35 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट **'मासिक कान्ति'** के नाम से बनवाएं

ग़ज़ल

तेरे ग़म ने तपा कर रख दिया है
मुझे कुन्दन बनाकर रख दिया है

यहां आया नहीं भूचाल कोई
धमाकों ने हिला कर रख दिया है

मेरे क़ातिल की फ़नकारी तो देखो
मेरा लाशा[1] सजा कर रख दिया है

बुरा उनको कहा मैंने न अच्छा
बस आईना दिखाकर रख दिया है

कहा जब प्यार से उनको मसीहा
तो ख़ंजर मुस्करा कर रख दिया है

जलन अब तो ज़माने को न होगी
ख़ुशी में ग़म मिलाकर रख दिया है

सितम याद आये सब एक-एक करके
ख़ज़ाना गिन-गिनकर रख दिया है

सलामत है मेरी तौबा अभी तक
अभी साग़र[2] उठा कर रख दिया है

हमारे अह्द[3] के दानिशवरों ने
हमें पागल बनाकर रख दिया है

'हफ़ीज़' अब मुझ से वो सहमे हुए हैं
जो कहते थे मिटा कर रख दिया है।

● **हफ़ीज़ मेरठी**

1. शव, 2. शराब का प्याला, 3. काल



कहां क्या है ?

ग़ज़ल	–हफ़ीज़ मेरठी	3
कुरआन ज्योति		5
दुआएं (हदीस मंजरी)		6
सोच-समझ कर मतदान कीजिए (संपादकीय)		7
परिवारों के बिखराव का बढ़ता रोग (आपके पत्र)		9
इस्लाम का प्रथम उद्देश्य दुनिया में शांति की स्थापना (आस्था)	–स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य	13
शराबबन्दी की संवैधानिक ज़िम्मेदारी (समाज-सुधार)	–भरत डोगरा	17
तरकीब (कहानी)	–असलम जमशेदपुरी	19
जलायशों की क़ब्र पर फ़लकबोस इमारतें (पर्यावरण)	–विद्या प्रकाश	21
इस्लामी अर्थव्यवस्था और उसके अंग (विशेष आयोजन)	–मौलाना अबुल आला मौदूदी	26
वर्तमान अर्थव्यवस्था का मूल दोष (विशेष आयोजन)	–रोशन लाल अग्रवाल	35
खेल संस्थाओं पर हो खिलाड़ियों का नियंत्रण (खेल-जगत)	–डॉ॰ पुरुषोत्तम मीणा 'निरंकुश'	39
नियति (लघुकथा)	–डॉ॰ मंजरी शुक्ल	41
कंप्यूटर से जुड़े व्यवसाय (कैरियर)	–अमर आनंद	43
भ्रष्टाचार (कविता)	–रमेश मनोहरा	44
दूषित जल से पैदा होने वाली बीमारियां (स्वास्थ्य चर्चा)	–डॉ॰ हरिसिंह पाल	45
पेड न्यूज़ के बाद 'पेड सर्वे' ! (फेसबुक उवाच)	–डॉ॰ मुहम्मद अहमद	47
देते हैं अवशेष गवाही (पुस्तक समीक्षा)	–डॉ॰ पूनम कुमारी	48
सिंगापुर में सम्मानित हुए डॉ॰ यायावर (साहित्य समाचार)		49
तीसरी तस्वीर (प्रसंगवश)		50



(51) इनसे कहो, "हमें कदापि कोई (बुराई या भलाई) नहीं पहुंचती मगर वह जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है । अल्लाह ही हमारा मौला (स्वामी) है, और ईमान वालों को उसी पर भरोसा करना चाहिए ।"[51]

–क़ुरआन, 9 : 51

51. यहां दुनियापरस्त और ख़ुदापरस्त की मनोवृति के अन्तर को स्पष्ट किया गया है । दुनियापरस्त जो कुछ करता है, अपने मन की ख़ुशी के लिए करता है और उसके मन की प्रसन्नता कुछ दुनिया के लाभों के पा लेने पर निर्भर होती है । ये उद्देश्य उसे प्राप्त हो जाएं तो वह फूल जाता है और प्राप्त न हों तो मुरझा जाता है । फिर उसका सहारा पूर्ण रूप से भौतिक साधनों पर होता है । वे अनुकूल हों तो उसका दिल बढ़ने लगता है, प्रतिकूल होते दिखायी दें तो उसकी हिम्मत टूट जाती है । इसके विपरीत ख़ुदापरस्त इंसान जो कुछ करता है अल्लाह की प्रसन्नता के लिए करता है और इस काम में उसका भरोसा अपनी शक्ति या भौतिक साधनों पर नहीं, बल्कि अल्लाह की ज़ात पर होता है । सत्य-मार्ग में काम करते हुए उस पर विपदाएं आएं या सफलताओं की वर्षा हो, दोनों परिस्थितियों में वह यही समझता है कि जो कुछ अल्लाह की इच्छा है, वह पूरी हो रही है । विपदाएं उसका दिल नहीं तोड़ सकतीं और सफलताएं उसको इतराहट में नहीं डाल सकतीं, क्योंकि एक तो दोनों को वह अपने पक्ष में अल्लाह की ओर से समझता है और उसे हर हाल में यह चिंता होती है कि अल्लाह की डाली हुई इस परीक्षा से सकुशल गुज़र जाए । दूसरे उसकी दृष्टि में दुनिया के लक्ष्य नहीं होते कि उनके हिसाब से वह अपनी सफलता या असफलता का अनुमान करे । उसके सामने तो अल्लाह की प्रसन्नता ही एक मात्र उद्देश्य होता है और इस उद्देश्य से उसके क़रीब होने या दूर होने की कसौटी दुनिया की किसी सफलता का प्राप्त हो जाना या न प्राप्त होना नहीं होती, बल्कि केवल यह बात होती है कि अल्लाह के रास्ते में जान व माल की बाज़ी लगाने का जो दायित्व उस पर आता है, उसे उसने कहां तक निभाया । अगर यह दायित्व उसने अदा कर दिया हो, तो भले दुनिया में उसकी बाज़ी बिल्कुल ही हार गयी हो, लेकिन उसे पूरा भरोसा रहता है कि जिस अल्लाह के लिए उसने माल खपाया और जान दी है, वह उसके बदले को नष्ट करने वाला नहीं है । फिर दुनिया के साधनों से वह आशा ही नहीं करता कि उनकी अनुकूलता या प्रतिकूलता उसको प्रसन्न या दुखी करे । उसका पूरा भरोसा अल्लाह पर होता है जो करण-कारण जगत का स्वामी है, शासक हैं और उसके भरोसे पर वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसी संकल्प और साहस के साथ काम किये जाता है, जिसका प्रदर्शन दुनिया वालों से केवल अनुकूल परिस्थितियों ही में हुआ करता है । अतः अल्लाह फ़रमाता है कि इन दुनियापरस्त मुनाफ़िक़ों से कह दो कि हमारा मामला तुम्हारे मामले से बुनियादी तौर पर अलग है । तुम्हारी प्रसन्नता और दुख के क़ानून कुछ और हैं और हमारे कुछ और । तुम संतोष और असंतोष किसी और स्रोत से लेते हो और हम किसी और स्रोत से ।

For Information On
City Shops, Roads, Restaurants, Magazines, Schools and much more.
Syed Shahbaz Alam Barvi
Business Development Director (09049185093)
Visit us:
www.shoppinglanes.com



दुआएं

● हज़रत शकल बिन हुमैद (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहते हैं कि मैंने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰), मुझे कोई प्रार्थना सिखाइये ? आपने कहा : "कहो, ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूं अपने कान की बुराई से, अपनी आंख की बुराई से, अपनी ज़ुबान की बुराई से, अपने दिल की बुराई से और अपने वीर्य की बुराई से बचने के लिए ।"

–अबू दाऊद, तिरमिज़ी । और कहा कि यह हदीस 'हसन' है ।

● हज़रत अनस (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) यह प्रार्थना किया करते थे : "ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूं सफ़ेद दाग़, उन्माद, कोढ़ और बुरी बीमारियों से बचने के लिए ।"

–अबू दाऊद । अबू दाऊद ने इसे सहीह सनदों से रिवायत किया है ।

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) यह प्रार्थना किया करते थे : "ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूं भूख से बचने के लिए क्योंकि वह बहुत ही बुरा साथी है बिस्तर का, और मैं तेरी पनाह मांगता हूं ख़यानत से बचने के लिए क्योंकि वह बहुत बुरा आन्तरिक भाव है ।"

–अबू दाऊद । अबू दाऊद ने इसे सहीह सनदों के साथ रिवायत किया है ।

● हज़रत अली (रज़ि॰) से रिवायत है कि एक दास उनके पास आया जिसका अपने स्वामी से यह समझौता था कि यदि वह इतना धन दे देगा, तो वह स्वतंत्र कर दिया जाएगा । उसने कहा मैं असमर्थ हूं कि जो धन तय है वह चुका सकूं । अत: आप मेरी सहायता करें । उन्होंने कहा : क्या मैं तुम्हें वे शब्द न सिखाऊं जो अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने मुझे सिखाये थे । यदि तुम्हारे ज़िम्मे पर्वत के बराबर भी ऋण हुआ, तो अल्लाह तेरा ऋण चुका देगा ? कहो : ऐ अल्लाह, अपनी हलाल चीज़ों को मेरे लिए पर्याप्त कर दे कि मैं तेरी हराम की हुई चीज़ों से बच सकूं और अपने उदारदान से मुझे निस्पृह कर दे कि मैं तेरे अतिरिक्त से बेपरवाह हो जाऊं ।"

–तिरमिज़ी । तिरमिज़ी ने कहा कि यह हदीस 'हसन' है ।

● हज़रत सह्ल बिन हौशब से रिवायत है । वे कहते हैं कि मैंने हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि॰) से कहा : ऐ उम्मुल मोमिनीन, अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) प्राय: कौन-सी प्रार्थना किया करते थे जब आपके पास होते ? उन्होंने कहा : प्राय: आप (सल्ल॰) की प्रार्थना यह होती : "ऐ दिलों को फेरने वाले तू मेरे दिल को मेरे दीन पर जमा दे ।"

–तिरमिज़ी । तिरमिज़ी ने कहा कि यह हदीस 'हसन' है ।

● हज़रत अबू दरदा (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "हज़रत दाऊद (अलैहि॰) की एक दुआ यह थी : 'ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरे प्रेम की याचना करता हूं और उसके प्रेम की जिसे तुझसे प्रेम हो और उस कर्म की जो मुझे तेरे प्रेम तक पहुंचा दे । ऐ अल्लाह, तू मुझे अपने प्रेम को मेरे लिए मेरे अपने प्राण, मेरे अपने बाल-बच्चों और शीतल जल से भी बढ़कर प्रिय बना दे ।"

–तिरमिज़ी । तिरमिज़ी ने कहा कि यह हदीस 'हसन' है ।

('रियाजुस्सालिहीन'

इस्लाम-परिचय : हिन्दी वेबसाइटें

www.islamdharma.org
www.islamic videos.com
www.islamicwebdunia.com
www.quranhindi.com

सोच-समझकर मतदान कीजिए

देश की 16 वीं लोकसभा के चुनाव सात अप्रैल से 12 मई के बीच नौ चरणों में संपन्न होंगे । 543 संसदीय सीटों के परिणाम 16 मई को घोषित किये जाएंगे । इस बार पिछली लोकसभा की तुलना में लगभग दस करोड़ मतदाता अधिक हैं । चुनाव आयोग के अनुसार, इस बार लगभग 81 करोड़ 45 लाख मतदाता हैं, जो प्रत्याशियों का भविष्य तय करेंगे । पिछले चुनावों की भांति इस बार भी प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया का जमकर दुरुपयोग हो रहा है । पेड एवं प्रायोजित चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों की ख़बरों के बीच 'पेड न्यूज़' के प्रकाशन-प्रसारण का धंधा ख़ूब पनप रहा है । स्पष्ट है, यह कुप्रवृत्ति न तो लोकतंत्र के अनुकूल है और न ही निष्पक्षता के, अपितु यह गोरखधंधा है, जिस पर अविलंब रोक लगाने की आवश्यकता है । राजनीतिक दल मीडिया के दोहन के साथ ही चुनाव जीतने के अन्य अनैतिक, असंवैधानिक और अमर्यादित तिकड़म और उपक्रम अपना रहे हैं । लगता है, इन्हें लोकतंत्र की भावना की ज़रा भी चिंता नहीं ! धनबल, बाहुबल और मीडियाबल जहां सक्रिय हों, वहां किसी भी तरह से निष्पक्षता की आशा बेमानी है । सबसे पहले धनबल के प्रकोप को लेते हैं । नयी व्यवस्था के अनुसार, लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी अब सत्तर लाख रुपये ख़र्च कर सकते हैं । पहले यह धनराशि चालीस लाख थी । इसका अर्थ यह हुआ कि 543 सीटों पर 380 करोड़ दस लाख रुपये ही ख़र्च करने का वैधानिक प्रावधान है, लेकिन चुनाव विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार चुनाव में अवैधानिक रूप से 18 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक ख़र्च होंगे । वास्तव में यह धनराशि लोकतंत्र को और आहत करने के लिए लुटायी जा रही है । कहीं पैसे बांटे जाएंगे, तो कहीं मादक पदार्थ, तो कहीं अन्य सामग्रियां बांटी जाएंगी । कहने का तात्पर्य यह कि मत ख़रीदकर लोकतंत्र की दुहाई दी जाएगी । यहां एक सवाल यह भी उठता है कि कौन नहीं जानता इस वास्तविकता को ? फिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती ? इस मामले में चुनाव आयोग बिजूका बना नज़र आता है ।

देश का एक अन्य महत्वपूर्ण विभाग-आयकर विभाग भी जानता है कि काला धन ही चुनाव के समय निकलकर सामने आता है, लेकिन उसने कभी कर्रवाई नहीं की ! इस धन को पकड़ने के लिए कभी कोई गंभीर प्रयास नहीं किया ! यह मौन समर्थन बताता है कि सभी लोकतंत्र को खोदने में लगे हैं । दूसरे शब्दों में देश के राजनीतिक दल काला धन रखना अपना अधिकार समझते हैं । इसी एक प्रमुख कारण से ये सूचनाधिकार क़ानून के तहत अपने को लाए जाने के ख़िलाफ़ रहे और सारे दल एकजुट होकर अंततः इससे अपने को मुक्त कर लिया । उल्लेखनीय है कि 11 जून, 2013 को केन्द्रीय सूचना आयोग ने अपने एक फ़ैसले में राजनीतिक दलों को सूचना आयोग क़ानून के तहत जवावदेह माना था । आयोग की पूर्णपीठ ने राजनीतिक दलों का यह तर्क नहीं स्वीकार किया कि वे सरकारी सहायता से चलने, उनसे अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन नहीं हैं, इसलिए वे इस क़ानून से मुक्त हैं । केन्द्रीय सूचना आयोग का मानना है कि वे केन्द्र सरकार की ओर से परोक्ष रूप से वित्तीय सहायता पाते हैं, मसलन रियायती दर पर ज़मीन या भवन आदि के आवंटन और आय कर में छूट और चुनाव के समय आकाशवाणी और दूरदर्शन पर मुफ़्त प्रसारण

की सुविधा आदि के रूप में । फिर, उनका कामकाज सार्वजनिक प्रकृति का है । आयोग के इस निर्णय से कांग्रेस, भाजपा, बसपा, राकांपा, माकपा, भाकपा यानी सभी प्रमुख राष्ट्रीय दल कुपित हो गयी थीं और इस मामले में उनमें वामपंथ या दक्षिणपंथ का भेद नहीं रहा ! सवाल यह है कि राजनीतिक दल देश की जनता से इस सिलसिले में क्यों छिपना चाहते हैं ? वे जनता को यह बताने के लिए क्यों तैयार नहीं होते कि उनका संचालन कैसे होता है और उनकी आय के स्रोत क्या हैं ? संभवतः उन्हें डर है कि एक बार उनकी आय के स्रोतों की जानकारी उजागर हो गयी तो उस भ्रष्टाचार की पूरी कहानी सामने आ जाएगी जिसमें वे डूबे हुए हैं ।

लोकतंत्र के लिए इससे बड़ी विडंबना कोई और नहीं हो सकती कि राजनीतिक दल जनता के लिए जैसे नियम-क़ानून चाहते हैं वैसे अपने लिए नहीं चाहते ? राजनीतिक दलों के संचालन से जुड़ी जानकारियां कोई ऐसी नहीं जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा ख़तरे में पड़ती हो और इस कारण उन्हें सूचनाधिकार क़ानून से बाहर रखना आवश्यक हो । सूचना अधिकार क़ानून के निर्माण का उद्देश्य भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है । जब यह स्पष्ट है कि सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जड़ें राजनीतिक दलों तक जाती हैं तब इसका कोई औचित्य नहीं कि उन्हें सूचनाधिकार क़ानून से अलग रखा जाए । भारतीय चुनाव में बाहुबल भी ख़ूब चलता है । दाग़ियों को चुनाव से अलग रखने की क़वायद के बीच बाहुबलियों को टिकट देने में काफ़ी उदारता दिखायी गयी है । एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (ए॰डी॰आर॰) और नेशनल वाच की रिपोर्टों के अनुसार, इस मामले में किसी भी दल ने संकोच से काम नहीं लिया है । स्पष्ट है, यह लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक स्थिति है । दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट का राजनीति से अपराधी तत्वों को बाहर रखने का निर्देश मौजूद है । इस पर रोक का अध्यादेश राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद वापस ले लिया गया था । सुप्रीम कोर्ट में दायर स्वयंसेवी संगठन 'लोक प्रहरी' की याचिका में कहा गया था कि जब संविधान में किसी भी अपराधी के मतदाता के रूप में पंजीकृत होने या उसके सांसद या विधायक बनने पर पाबंदी है, तो फिर किसी निर्वाचित प्रतिनिधि का दोषी ठहराए जाने के बावजूद पद पर बने रहना कैसे क़ानून के अनुरूप हो सकता है । याचिका के अनुसार, इस तरह की छूट देने संबंधी प्रावधान पक्षपातपूर्ण है और इससे राजनीति अपराधीकरण को बढ़ावा मिलता है । ताज़ा चुनाव के सिलसिले में यह बात बहुत साफ़ है कि राजनीतिक दल केवल सीट हथियाने में यक़ीन रखते हैं, उन्हें सुधार-कार्य की चिंता न के बराबर होती है । यह एप्रोच कितना आत्मघाती है, सहज ही समझा जा सकता है । अब चुनाव में मीडियाबल का भी खुलकर इस्तेमाल किया जाता है और धनबल के सहारे जनता को भ्रामक सूचनाएं देकर मतदाताओं को आकर्षित किया जाता है । प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापनों और प्रायोजित समाचारों-कार्यक्रमों द्वारा जनमत तैयार करने की बात की जाती है, जो अक्सर झूठे तथ्यों पर आधारित होने के कारण लोकतंत्र विरोधी हो जाती है । इस बार के चुनाव में भी सांप्रदायिकता और फासीवाद का चलन बढ़ा है । इसके पैरोकार मानते हैं कि देश में नरेन्द्र मोदी के पक्ष में हवा चल रही है, जबकि इसका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं दीखता । आज के मतदाता काफ़ी जागरूक हैं । उन्हें पता है कि इन कुप्रवृत्तियों से देश का भला नहीं हो सकता । जो व्यक्ति अच्छे शील-स्वभाव वाला हो, उसे ही मत देना चाहिए । जो सांप्रदायिकता फैलाये, फासीवादी तरीक़ा अपनाये, न्याय और मानवाधिकार को पददलित करे, उसका किसी प्रकार समर्थन नहीं करना चाहिए। उसे किसी प्रकार के 'बल' के प्रभाव में नहीं आना चाहिए ।

परिवारों के बिखराव का बढ़ता रोग

परिवार बिखर रहे हैं। एक ही घर में सब अलग-अलग रहने लगे हैं। आज के युग में कोई किसी का नहीं है, सब लोग अपने लिए जीते हैं। आधुनिकता की दौड़ में सब भागते जा रहे हैं। आजकल सबसे बड़ी चीज़ है रुपया। रुपयों के पीछे सब भाग रहे हैं। आजकल पैसे को ही सब अपना हमदर्द अपना साथी मानते हैं। पैसों की लालच में लोग अपनों को ही मार देते हैं। रिश्तों की कोई अहमियत नहीं बची है।

जिसके पास पैसा है उसका हर कोई साथी है। हर कोई उसका साथ देने को तैयार है। मगर जो ग़रीब इन्सान है, तो उसका साथ देने को कोई तैयार नहीं है, बल्कि लोग उसको अपना रिश्तेदार बताने से इन्कार कर देते हैं।

आजकल परिवार दिन पर दिन बिखरते जा रहे हैं। पहले परिवारों में सब लोग मिल-जुलकर एक साथ प्यार-मुहब्बत से रहा करते थे, सब एक साथ मिलकर एक-दूसरे के सुख-दुख बांटा करते थे। आज सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है।

आज परिवार के टुकड़े होते जा रहे हैं। पैसों की ख़ातिर सब एक दूसरे पर जुल्म कर रहे हैं। किसी को किसी से मतलब नहीं है। जो ग़रीब है उसे परिवार से अलग कर दिया जाता है। परिवार इस सीमा तक बिखर गये हैं कि बच्चों को रिश्तों की परिभाषा की जानकारी तक नहीं रही, फिर भी अस्तित्व तो उनका ही है, क्योंकि आंखें बन्द कर लेने से दुनिया मिट तो नहीं जाती है।

ख़ून के रिश्तों को नकारा नहीं जा सकता है। रिश्तों की इज़्ज़त मान मर्यादा ज़रूर ख़त्म होती जा रही है। शादी के बाद बेटा बहु अपना घर बनाकर अलग रहने लगते हैं। यह अलगाववादी रोग दिन पर दिन फैलता जा रहा है। अलगाववादी हुए क़दम आगे ही बढ़ रहे हैं।

इन्सान के चारों ओर खिंची हुई मज़बूत दीवार ने हर एक इन्सान को एक-दूसरे से बेगाना करके रख दिया है। क्या सभ्य होने के साथ-साथ हम बेहिस हो गये हैं। आज इक्कीसवीं शताब्दी में हम बहुत कुछ नया सीख रहे हैं, और उसे अपना रहे हैं, वहीं हम बहुत कुछ पीछे छोड़ते जा रहे हैं।

रीचा की भाभी सर्विस करती थी, वह शाम को ऑफ़िस से घर आ रही थी। वह विधवा है और पैदल चल रही थी उनको लुटेरों ने चाकू मारकर ज़ख़्मी कर दिया। जबकि वह काफ़ी देर तक उन लुटेरों से अकेले ही उलझती रही, परंतु किसी में इतना दम नहीं था कि आगे बढ़कर उस महिला की सहायता करता।

ज़िन्दगी की राहें तो इतनी कंटीली हैं कि उनमें उलझ कर इन्सान अकेला रह गया है। आख़िर कहां छुप गयी हमारी प्रेम, ख़ुलूस, हमदर्दी भाईचारे की भावना। इन्सानियत के रिश्ते, ख़ून के रिश्ते, इतने बदरंग होते जा रहे हैं। रिश्तों को निभाने की रस्तें सब भुलते जा रहे हैं। हमारा पढ़ा-लिखा समाज ही प्यार, एहसास, सभ्यता, संस्कृति, आदर्श सब कुछ भूलकर सिर्फ़ पैसों से अपनी झोली भर रहा है।

रिश्तों की कोई क़द्र नहीं कर रहा है। बेटा जो ज़्यादा पैसे कमाता है आजकल के मां-बाप भी उसी से ख़ुश रहते हैं, उन्हें वही बेटा प्यारा लगता है। जो बेटा कम पैसे कमाता है वे उस बेटे को निकम्मा नालायक़ कहते हैं। आजकल पैसों से ही सबको तौल रहे हैं।

दौलत के रास्ते लाख ख़ूबसूरत और सुनहरे हैं। हर इन्सान को लालच के जाल से निकलना चाहिए, क्योंकि इज़्ज़त, शराफ़त, सुकून, प्यार, मुहब्बत, जज़्बात, किसी बाज़ार में नहीं बिकते हैं। क्या मां की ममता का मोल लगता है ? क्या कभी प्यार को सिक्कों में ढाला जाएगा ?

आओ क्यों न हम एक साथ मिलकर रहें, प्यार का आशियाना बनाकर रहें। परिवार के टुकड़े न होने दें। इस अलगाववादी रोग के बढ़ते हुए क़दम रोक कर हम सब एक साथ मिलकर एक दिल एक अरमान बन जाएं, और हम सबका दामन सुख के फूलों से भर जाए।

नाज़िश मुबीन
नयी दिल्ली

एक घातक प्रयोग

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रत्याशी चुनने का ई०वी०एम० का सशक्त माध्यम है और उसी से आप पार्टी को 28 सीटें भी मिलीं । बी०जे०पी० की निष्क्रियता के कारण आप पार्टी को सरकार बनाने का स्वप्न भी पूरा हुआ । यदि केजरीवाल के मन में सी०एम० बनने की इच्छा न होती तो वे चुनाव प्रक्रिया में उलझते ही नहीं । उपराज्यपाल से सरकार बनाने का निमंत्रण मिलने के बाद केजरीवाल ने जो एस०एम०एस० से वोटरों की राय जानने का प्रयोग किया उसमें सवा करोड़ दिल्ली मतदाताओं में से कुल ढाई लाख मतदातों ने एस०एम०एस० किये । उनमें आधे सरकार बनाने के विरोध में थे ।

अगर इसी प्रयोग को आधार मानकर अन्य धार्मिक संगठन या जातीय संगठन या संप्रदाय संगठन भी सरकार पर दबाव बनाने के लिए एस०एम०एस० करने लगे तो देश में अराजकता फैल जाएगी ।

उदाहरण के तौर पर सोनिया गांधी निस्संदेह विदेशी मूल की हैं अगर पूरे भारत के कांग्रेस विरोधी लोग एस०एम०एस० द्वारा सोनिया गांधी को अपदस्थ करने की मांग करने लग जाएं तो क्या होगा ? यदि विश्व हिन्दू परिषद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एस०एम०एस० मांगने लगे या मुस्लिम संप्रदाय भारत को इस्लामिक गणतंत्र बनाने को एस०एम०एस० करने लगें तो देश में गृह युद्ध शुरू हो जाएगा । अगर मायावती के समर्थक अम्बेडकर को भगवान का दर्जा दिलाने की मांग करने लग जाएं तो यह देश एक अखाड़ा बनकर रह जाएगा । माननीय सुप्रीम कोर्ट को एस०एम०एस० प्रयोगों पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए ।

रचना रस्तोगी

वेस्टर्न कचहरी रोड, मेरठ

ज़मीन की तलाश अभी बाक़ी है...

महिला चेतना का जागरण करने के लिए, महिलाओं की समस्याओं को समझकर उनका निराकरण करने के लिए

بسم الله الرحمن الرحيم

"जिस आदमी की यह ख़्वाहिश हो कि ख़ुदा उसको क़ियामत के दिन की घुटन और ग़म से बचाए, तो उसे चाहिए कि तंगदस्त क़र्ज़दार को मोहलत दे या क़र्ज़ का बोझ उसके ऊपर से उतार दे।"

(हदीस)

Dr. Ismat Tar But

Mumbai

और महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया । महिला वर्ष का कोई परिणाम नहीं आया तो महिला दशक मनाया गया । बीते वर्षों का गणित किया जाए तो भी कुछ विशेष काम हुआ हो ऐसा प्रतीत नहीं होता । क्योंकि किसी ठोस योजना के अभाव में प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक उत्सव आयोजनों, समारोहों, नारों और संगोष्ठियों तक सीमित रह जाता है । स्त्री के जिद्दोजहद का क्रम कहीं भी समाप्त होने का नाम नहीं लेता, नौकरी पाने से पहले और नौकरी पाने के बाद भी ।

स्त्री वक़्त की अखंडता में पूरे दबाव और घनत्व के साथ जाती है, उसमें रच-बस जाती है, वह क्षण के एक ठहरे हुए फ्रेम में नहीं जाती । फिर उस पल को सेतु बनाकर अगले पल में दाख़िल भी हो जाती है । एक जुझारू योद्धा की तरह अपने अनुभवों से वह सीखती है और अनुभूति के साथ अन्तर्दृष्टि को गूंथ कर भविष्य का सृजन करने की रणनीति बनाती है ।

ऐसा नहीं कि हमारे समाज में स्त्रियों का शोषण सिर्फ़ ससुराल में ही होता है । इस उपभोक्तावादी युग में यह काम मायके से ही शुरू हो जाता है । नौकरी पाने के बाद लड़कियों की तनख़्वाहों से उनके लिए दहेज जुटाने का मनोवैज्ञानिक प्रलोभन देकर उनका शोषण किया जाता है । क्या महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को शोषण मुक्त समाज प्रदान करने की कोई शपथ या कोई नियम किसी संगठन द्वारा बनाया गया ।

आज हम चांद और मंगल पर जाकर अपने आपको विकासशील कह रहे हैं किंतु नारी के ऊपर होने वाले अत्याचार, भ्रूण हत्या, बलात्कार, दहेज, बाल विवाह आदि से हम उतने ही पाताल में धंसे जा रहे हैं ।

आज की स्त्री कहीं अधिक जुझारू और आर्थिक दृष्टि से मज़बूत है फिर भी यह कहना ग़लत नहीं होगा कि ज़मीन की तलाश अभी बाक़ी है ।

डॉ॰ माहे तिलत सिद्दीक़ी

कानपुर (उ॰प्र॰)

सभी वर्ग के लिए उपयोगी

मुझे आपकी मासिक पत्रिका 'कान्ति' के अवलोकन का सतत् अवसर मिल रहा है, एतदर्थ आभार । पत्रिका के प्रत्येक अंक विविध पाठ्य-सामग्री से ओत-प्रोत होने के कारण हर वर्ग के पाठकों के लिए बेहद उपयोगी हैं । पत्रिका के प्रति आपकी निष्ठा व समर्पण भाव वास्तव में क़ाबिले तारीफ़ है ।

डॉ॰ त्रिलोकी सिंह

हिन्दूपुर, करछना, इलाहाबाद

शान्ति स्थापना की दुआ

जयपुर के एक स्थानीय अख़बार से मालूम हुआ कि मुस्लिम समाज में कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराई नहीं पायी जाती । गत दिनों यहां एक तीन दिवसीय तब्लीग़ी इज्तिमा का आयोजन हुआ था, जिसके अंतिम दिन मौलवी चिरागुद्दीन ने समाज में शांति स्थापना की दुआ की । उन्होंने बेरोज़गारों के लिए रोज़गार और बीमारों के लिए स्वास्थ्य की भी दुआ की ।

अतुल वशिष्ठ

जयपुर, राजस्थान

विचारोत्तेजक

निस्संदेह 'कान्ति' लोगों को जागरूक करने वाली पत्रिका है । इसमें बहुत विचारोत्तेजक लेखों का समावेश होता है । बालवीथी के अंतर्गत स्पेस सूट और मक्खी पर अच्छी जानकारी दी गयी है । मक्खियों की इतनी प्रजातियां होती हैं यह आश्चर्य वाली बात है ।

विशेष आयोजन के तहत कन्या भ्रूण हत्या के विषय में चौंकाने वाले तथ्य दिये गये हैं । मैं जानती थी कि यह घृणित कार्य कुछ गिने-चुने राज्यों में ही होते हैं, पर पता चला कि इसका जाल कई राज्यों में फैला हुआ है । इस घृणित कार्य को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा । क्या बच्चियों की हत्या करने वाले अपने ईश्वर से भय नहीं खाते ? इतने बड़े अपराध की सज़ा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए । आख़िर हम भारतीय कब जागरूक होंगे ?

माला वर्मा

हाजीनगर, पश्चिम बंगाल

लेखकों एवं रचनाकारों से

''कान्ति'' में प्रकाशनार्थ जो रचनाएं हमें मिलती हैं, उनकी स्वीकृति/अस्वीकृति की सूचना अथवा रचनाओं की वापसी के लिए अपना पता लिखा लिफ़ाफ़ा डाक टिकट सहित अवश्य भेजें । इसके अभाव में रचनाओं के विषय में हम आपको जानकारी देने में असमर्थ हैं । ध्यान रहे कि पर्याप्त डाक टिकट लगाकर प्रकाशनार्थ सामग्री भेजें, ताकि डाक, बैरंग न हो । आशा है, आपका सहयोग मिलता रहेगा ।

-संपादक

अनाथ लड़कियों की पुकार

VOICE OF ORPHAN GIRLS

मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया)

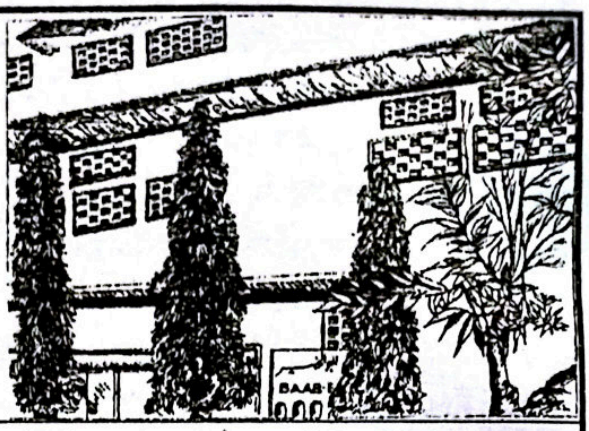

संक्षिप्त परिचय

लड़कियों के लिए आधुनिक और इस्लामी तालीम से लैस राष्ट्रीय स्तर का एक आदर्श रिहाइशी इदारा

● 27 वर्षीय सेवाएं ● 19 विभाग ● शिक्षा : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● पत्राचार शिक्षा I.A., B.A. एवं Library Science ● 9 छात्राओं ने हिफ़्ज़ के साथ मैट्रिक पास किया ● प्रौढ़ शिक्षा ● वोकेशनल सेन्टर ● कटिंग और सिलाई: 8 बैच 88 छात्राएं ● ज़री वर्क्स : 5 बैच 53 छात्राएं ● 1993 ई॰ से 2013 ई॰ तक 71 अनाथ बच्चियों और 51 मां-बाप वाली बच्चियों ने मैट्रिक पास किया ● वार्षिक ख़र्च : 24 लाख रुपये से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● इदारा 120 अनाथ बच्चियों का सारा ख़र्च पूरा करता है ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक यतीम बच्ची का वार्षिक ख़र्च 12,000/- रुपये है–आप भी एक अनाथ बच्ची का ख़र्च उठा कर सवाब में शरीक हों ।

सहायता के विभिन्न रूप : ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● दीनी किताबें ● ज़मीन की ख़रीदारी और क़र्ज़ की अदायगी ● स्टाफ़ की मासिक आय के लिए 1,00,000/- रुपये से अधिक ● मां-बाप या रिश्तेदारों के नाम कमरा या हॉल बनवाना और निर्माण कार्यों के लिए ईंटें, सीमेंट, सरिया और अन्य सामग्री या उसका मूल्य देना ● यहां प्रतिवर्ष हिसाब चेक किये जाते हैं और ऑडिट होता है । ● इदारा में खुद आकर बराबरी का नमूना देखें कि अनाथ बच्चियां और वे बच्चियां जिनके मां-बाप हैं किस तरह मिलकर रहा करती हैं ।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

विदेशी चन्दा देने वाले : भारत सरकार से "मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया) को विदेशों से चन्दा लेने का इजाज़तनामा प्राप्त हो गया है ।

Foreign Donors विदेशी चन्दा देने वाले

विदेशों में रहने वाले अब BANK A/c No. 300402010009042

BANK CODE NO. UBININBBJAM or IFS Code No. UBIN 0530042

Union Bank of India (Main Branch, GAYA में अपनी रक़म भेज सकते हैं ।

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें–"THE GAYA MUSLIM GIRLS ORPHANAGE"

Address for correspondence : रक़म भेजने और संपर्क करने का पता

GENERAL SECRETARY, THE GAYA MUSLIM GIRLS ORPHANAGE

At : KOLOWNA, P.O.: CHERKI-824237, Distt.: GAYA (BIHAR) INDIA, Mobile : 9934480190

E-mail : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.com, Website : www.gmgo.org

● **LOCAL DONORS मक़ामी चन्दा देने वाले**

CORE BANKING A/c No. : 300402010007752

BANK IFS CODE-UBI No. 530042 UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

नोट : कोर बैंकिंग वाले हज़रात E-mail या डाक से अपना मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि उसी पते पर रक़म की रसीद रवाना की जा सके ।

संस्थापक महासचिव : इक़बाल अहमद ख़ां

इस्लाम का प्रथम उद्देश्य दुनिया में शान्ति की स्थापना

■ स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य

अब इस्लाम को विस्तार से जानने के लिए इस्लाम की बुनियाद कुरआन की ओर चलते हैं । इस्लाम, आतंक है या आदर्श ? यह जानने के लिए मैं कुरआन मजीद की कुछ आयतें दे रहा हूं ।

कुरआन की शुरुआत 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' से होती है, जिसका अर्थ है–'शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा कृपालु, अत्यन्त दयालु है ।'

ध्यान दें । ऐसा अल्लाह, जो बड़ा कृपालु और अत्यन्त दयालु है वह ऐसे फ़रमान कैसे जारी कर सकता है, जो किसी को कष्ट पहुंचाने वाले हों अथवा हिंसा या आतंक फैलाने वाले हों ?

अल्लाह की इस कृपालुता और दयालुता का पूर्ण प्रभाव अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के व्यावहारिक जीवन में देखने को मिलता है ।

कुरआन की आयतों व पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) की जीवनी से पता चलता है कि मुसलमानों को उन काफ़िरों से लड़ने का आदेश दिया गया जो आक्रमणकारी थे, अत्याचारी थे । यह लड़ाई अपने बचाव के लिए थी । देखें कुरआन मजीद में अल्लाह के आदेश–

और (ऐ मुहम्मद ! उस वक़्त को याद करो) जब काफ़िर लोग तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे कि तुम को क़ैद कर दें या जान से मार डालें या (वतन से) निकाल दें तो (इधर से) वे चाल चल रहे थे और (उधर) खुदा चाल चल रहा था और खुदा सबसे बेहतर चाल चलने वाला है । (8:30)

ये वे लोग हैं कि अपने घरों से ना-हक़ निकाल दिये गये, (उन्होंने कुछ क़सूर नहीं किया) हां, यह कहते हैं कि हमारा परवरदिगार खुदा है और अगर खुदा लोगों को एक-दूसरे से न हटाता रहता तो (राहिबों के) पूजा-घर और (ईसाइयों के) गिरजे और (यहूदियों की) और (मुसलमानों की) मस्जिदें, जिनमें खुदा का बहुत ज़िक्र किया जाता है, गिरायी जा चुकी होतीं । और जो शख़्स खुदा की मदद करता है, खुदा उसकी ज़रूर मदद करता है । बेशक खुदा ताक़त वाला और ग़ालिब है । (22:40)

ये क्या कहते हैं कि इसने कुरआन खुद से बना लिया है ? कह दो कि अगर सच्चे हो तो तुम भी ऐसी दस सूरतें बना लाओ और खुदा के सिवा जिस-जिसको बुला सकते हो, बुला भी लो । (11:13)

(ऐ पैग़म्बर !) काफ़िरों का शहरों में चलना-फिरना तुम्हें धोखा न दे । (3:196)

जिन मुसलमानों से (ख़ाहमख़ाह) लड़ाई की जाती है, उनको इजाज़त है (कि वे भी लड़ें), क्योंकि उन पर जुल्म हो रहा है और खुदा (उन की मदद करेगा, वह) यक़ीनन उनकी मदद पर कुदरत रखता है । (22:39)

और उनको (यानी काफ़िर कुरैश को) जहां पाओ, क़त्ल कर दो और जहां से उन्होंने तुमको निकाला है (यानी मक्के) वहां से तुम भी उनको निकाल दो । (2:191)

जो लोग खुदा और उसके रसूल से लड़ाई करें और मुल्क में फ़साद करने को दौड़ते फिरें, उनकी यह सज़ा है कि क़त्ल कर दिये जाएं या सूली चढ़ा दिये जाएं या उनके एक-एक तरफ़ के हाथ और एक-एक तरफ़ के पांव काट दिये जाएं । यह तो दुनिया में उनकी रुसवाई है और आख़िरत (यानी क़ियामत के दिन) में उनके लिए बड़ा (भारी) अज़ाब (तैयार) है । हां, जिन लोगों ने इससे पहले कि तुम्हारे क़ाबू आ जाएं, तौबा कर ली, तो जान रखो कि खुदा बख़्शने वाला मेहरबान है । (5:33, 34)

इस्लाम के बारे में झूठा प्रचार किया जाता है कि

कुरआन में अल्लाह के आदेशों के कारण ही मुसलमान लोग ग़ैर-मुसलमानों का जीना हराम कर देते हैं, जबकि इस्लाम में कहीं भी निर्दोषों से लड़ने की इजाज़त नहीं है, भले ही वह काफ़िर या मुश्रिक या दुश्मन ही क्यों न हों। विशेष रूप से देखिये अल्लाह के ये आदेश–

जिन लोगों ने तुम से दीन के बारे में जंग नहीं की और न तुमको तुम्हारे घरों से निकाला, उनके साथ भलाई और इन्साफ़ का सुलूक करने से खुदा तुमको मना नहीं करता। खुदा तो इन्साफ़ करने वालों को दोस्त रखता है। (60:8)

खुदा उन्हीं लोगों के साथ तुमको दोस्ती करने से मना करता है, जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई की और तुमको तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे लिकालने में औरों की मदद की, तो जो लोग ऐंसों से दोस्ती करेंगे, वही ज़ालिम हैं। (60:9)

इस्लाम में दुश्मन के साथ भी ज़्यादती करना मना है देखिए--

और जो लोग तुम से लड़ते हैं, तुम भी खुदा की राह में उनसे लड़ो, मगर ज़्यादती न करना कि खुदा ज़्यादती करने वालों को दोस्त नहीं रखता। (2:190)

ये खुदा की आयतें हैं, जो हम तुमको सेहत के साथ पढ़कर सुनाते हैं और अल्लाह अहले आलम (अर्थात जनता) पर जुल्म नहीं करना चाहता। (3:108)

इस्लाम का प्रथम उद्देश्य दुनिया में शान्ति की स्थापना है, लड़ाई तो अन्तिम विकल्प है और यही तो आदर्श धर्म है, जो नीचे दी गयी इस आयत में दिखायी देता है–

(ऐ पैग़म्बर !) इन्कारियों से कह दो कि वे अपने कर्मों से बाज़ आ जाएं, तो जो हो चुका, वह उन्हें माफ़ कर दिया जायेगा और अगर फिर (वही हरकतें) करने लगेंगे तो अगले लोगों का (जो) तरीक़ा जारी हो चुका है (वही उनके हक़ में बरता जायेगा)। (8:38)

इस्लाम में दुश्मनों के साथ भी सच्चा न्याय करने का आदेश

इस्लाम न्याय का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत करता है इसे नीचे दी गयी आयत में देखिए–

ऐ ईमान वालो ! खुदा के लिए इन्साफ़ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो और लोगों की दुश्मनी तुम को इस बात पर तैयार न करे कि इन्साफ़ छोड़ दो। इन्साफ़ किया करो कि यही परहेज़गारी की बात है और खुदा से डरते रहो। कुछ शक नहीं कि खुदा तुम्हारे कामों से ख़बरदार है। (5:8)

इस्लाम में किसी निर्दोष की हत्या की इजाज़त नहीं है ऐसा करने वाले को एक ही सज़ा है, ख़ून के बदले ख़ून। लेकिन यह सज़ा केवल क़ातिल को ही मिलनी चाहिए और इसमें ज़्यादती मना है इसे ही तो कहते हैं सच्चा इंसाफ़। देखिए अल्लाह का यह आदेश–

और जिस जानदार का मारना खुदा ने हराम किया है, उसे क़त्ल न करना मगर जायज़ तौर पर (यानी शरीअत के हुक्म के मुताबिक़) और जो शख़्स जुल्म से क़त्ल किया जाये, हमने उसके वारिस को इख़्तियार दिया हे (कि ज़ालिम क़ातिल से बदला ले) तो उसको चाहिए कि क़त्ल (के क़िसास) में ज़्यादती न करे कि वह मंसूर व फ़त्हयाब है। (17:33)

इस्लाम में, देश में हिंसा (फ़साद) करने की इजाज़त नहीं है। देखिए अल्लाह का यह आदेश–

लोगों को उनकी चीज़ें कम न दिया करो और मुल्क में फ़साद न करते फिरो। (26:183)

ज़ालिमों को अल्लाह की चेतावनी–

जो लोग खुदा की आयतों को नहीं मानते और नबियों को नाहक़ क़त्ल करते रहे हैं और जो इन्साफ़ करने का हुक्म देते हैं, उन्हें भी मार डालते हैं उन को दुख देने वाले अज़ाब की खुशख़बरी सुना दो। (3:21)

सत्य के लिए कष्ट सहने वाले, लड़ने-मरने वाले ईश्वर की कृपा के पात्र होंगे उसके प्रिय होंगे–

तो उनके परवरदिगार ने उनकी दुआ कुबूल कर ली। (और फ़रमाया) कि मैं किसी अमल करने वाले के अमल को मर्द हो या औरत ज़ाया नहीं करता। तुम एक-दूसरे की जिन्स हो, तो जो लोग मेरे लिए वतन छोड़ गये और अपने घरों से निकाले गये और सताये गये और लड़े और क़त्ल किये गये मैं उनके गुनाह दूर कर दूंगा और उनको बहिश्तों में दाख़िल करूंगा, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। (यह) खुदा के यहां से बदला है और खुदा के यहां अच्छा बदला है। (3:195)

इस्लाम को बदनाम करने के लिए लिख-लिखकर प्रचारित किया गया कि इस्लाम तलवार के बल पर प्रचारित व प्रसारित मज़हब है। मक्का सहित सम्पूर्ण अरब व दुनिया के अधिकांश मुसलमान, तलवार के ज़ोर पर ही मुसलमान

बनाये गये थे, इस तरह इस्लाम का प्रसार ज़ोर-ज़बरदस्ती से हुआ ।

जबकि इस्लाम में किसी को ज़ोर-ज़बरदस्ती से मुसलमान बनाने की सख़्त मनाही है । देखिए कुरआन मजीद में अल्लाह के ये आदेश–

और अगर तुम्हारा परवरदिगार (यानी अल्लाह) चाहता, तो जितने लोग ज़मीन पर हैं, सब के सब ईमान ले आते । तो क्या तुम लोगों पर ज़बरदस्ती करना चाहते हो कि वे मोमिन (यानी मुसलमान) हो जाएं । (10:99)

(ऐ पैग़म्बर ! इस्लाम के इन नास्तिकों से) कह दो कि ऐ काफ़िरो ! जिन (बुतों) को तुम पूजते हो, उनको मैं नहीं पूजता, और जिस (ख़ुदा) की मैं इबादत करता हूं, उसकी तुम इबादत नहीं करते, और (मैं फिर कहता हूं कि) जिनकी तुम पूजा करते हो, उनकी मैं पूजा करने वाला नहीं हूं । और न तुम उसकी बन्दगी करने वाले (मालूम होते) हो, जिस की मैं बन्दगी करता हूं । तुम अपने दीन पर, मैं अपने दीन पर । (105:1-6)

ऐ पैग़म्बर ! अगर ये लोग तुमसे झगड़ने लगें, तो कहना कि मैं और मेरी पैरवी करने वाले तो ख़ुदा के फ़रमांबरदार (अर्थात आज्ञाकारी) हो चुके और अहले किताब और अनपढ़ लोगों से कहो कि क्या तुम भी (ख़ुदा के फ़रमांबरदार बनते और) इस्लाम लाते हो ? अगर ये लोग इस्लाम ले आयें तो बेशक हिदायत पा लें और अगर (तुम्हारा कहा) न मानें, तो तुम्हारा काम सिर्फ़ ख़ुदा का पैग़ाम पहुंचा देना है । और ख़ुदा (अपने) बन्दों को देख रहा है । (3:20)

कह दो कि ऐ किताब वालो ! जो बात हमारे और तुम्हारे दर्मियान एक ही (मान ली गयी) है, उसकी तरफ़ आओ, वह यह कि ख़ुदा के सिवा हम किसी की पूजा न करें और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक न बनाएं और हममें से कोई किसी को ख़ुदा के सिवा अपना कारसाज़ (कार्य साधक) न समझे । अगर ये लोग (इस बात को) न मानें तो (उनसे) कह दो कि तुम गवाह रहो कि हम (ख़ुदा के) फ़रमांबरदार हैं । (3:64)

इस्लाम में, ज़ोर-ज़बरदस्ती से धर्म परिवर्तन की मनाही के साथ-साथ इससे भी आगे बढ़कर किसी भी प्रकार की ज़ोर-ज़बरदस्ती की इजाज़त नहीं है । देखिए अल्लाह का यह आदेश–

दीने इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है । (2:256)

हां, जो बुरे काम करे और उसके गुनाह (हर तरफ़ से) उसको घेर लें तो ऐसे लोग दोज़ख़ (में जाने) वाले हैं । (और) वे हमेशा उसमें (जलते) रहेंगे । (2:81)

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की जीवनी व कुरआन मजीद की इन आयतों को देखने के बाद स्पष्ट है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की करनी और कुरआन की कथनी में कहीं भी आतंकवाद नहीं है । इससे सिद्ध होता है कि इस्लाम की अधूरी जानकारी रखने वाले ही अज्ञानता के कारण इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ते हैं ।

अपने घर को
इस्लाम के प्रकाश से रोशन कीजिए
स्वयं पढ़िए, अपने प्रियजनों, संबंधियों और अन्य लोगों को भी पढ़ाइए

कान्ति
स्वस्थ चेतना का वाहक हिन्दी साप्ताहिक अख़बार
सहयोग राशि वार्षिक : Rs. 250/-
आजीवन : Rs. 5,000/-

दावत
www.dawatonline.com
सहयोग राशि वार्षिक : Rs. 600/-
आजीवन : Rs. 10,000/-

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका
कान्ति
www.kanti.in
सहयोग राशि वार्षिक : Rs. 220/-
आजीवन : Rs. 5,000/-

ज़िन्दगी-ए-नव
ماہنامہ زندگی نو
सहयोग राशि वार्षिक स्वदेश में : Rs. 220/- विदेशों में 30 अमेरिकी डॉलर आजीवन : Rs. 5,000/-
www.zindgienau.com

मांगे जाने पर नमूने की प्रति निशुल्क भेजी जाएगी।

MANAGER, DAWAT TRUST,
D-314, DAWAT NAGAR, ABUL FAZL ENCLAVE,
JAMIA NAGAR, NEW DELHI-110025,
TEL.: Dawat: 09818799113, Kanti: 09818799223,
E-mail: dawattrust@yahoo.co.in

मुनअम पब्लिक स्कूल

(सी०बी०एस०ई०, दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त, 10+2, ईंग्लिश मिडियम विद्यालय)

महाराजगंज, पो० दादपुर, जिला हजारीबाग, झारखण्ड।

नामांकण सुचना

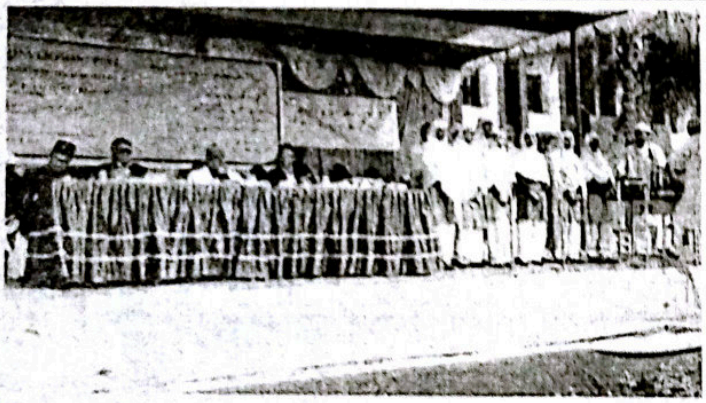

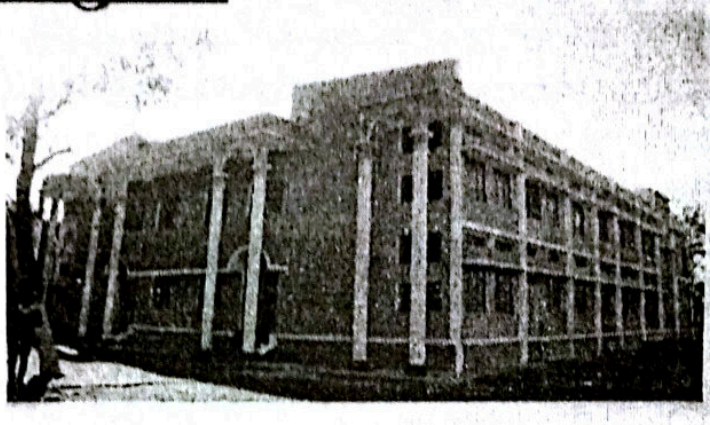

हजारीबाग के प्राकुतिक सौन्दर्य से भरपुर पहाडी क्षेत्र में स्थापित, विशाल कैम्पस में फैला एक अति-आधूनिक शैक्षणिक संस्था जहां छात्र-छात्राओं के लिए माडर्न स्कूल की तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं।

सफलता का सत्रहवां साल - मुस्लिम लडकीयों के लिए नायाब तोहफा

लडकीयों के लिए 100 बेड का शानदार हॉस्टल

सत्र 2013-2014 के लिए छात्रावास में रह कर शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्र-छात्राएं 150/- रू० अदा कर के फार्म एंव प्रास्पेक्टस स्कूल काउंटर से प्राप्त करें या 175/- रू० का ड्राफ्ट भेज कर डाक से भी प्राप्त किया जा सकता हैं। विशेष जानकारी हेतु सम्पर्क करें -

मो० 09431530878, Website : munammission.org

E-mail-munam_school2000edu@yahoo.com

एस०एम० नईम
डायरेक्टर
एम०ए०, बी०एड

वकील अहमद
प्रिन्सिपल
बी०एस०सी०, बी०एड

शराबबंदी की संवैधानिक ज़िम्मेदारी

❖ भरत डोगरा

शराब को राजस्व का प्रमुख स्रोत बनाकर हमारी राजनीतिक व्यवस्था भी नशे में डूग गयी प्रतीत होती है । शराब और अपराध ख़ासकर महिलाओं के विरुद्ध एवं शराब और बढ़ती ग़रीबी और बीमारी के बीच सीधा रिश्ता है । यदि राजस्व की शराब पर निर्भरता को समाप्त नहीं किया गया तो, विकास की किसी भी योजना का लाभ ग़रीब व वंचित समुदाय को प्राप्त नहीं हो पाएगा ।

हाल के समय में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मुद्दे पर वैसे तो व्यापक चर्चा हुई है, लेकिन इस गंभीर समस्या के एक महत्वपूर्ण कारण पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है । यह शराब की दुकानों व ठेके के तेज़ प्रसार के कारण देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में भी शराब की उपलब्धि के बहुत सरल हो जाने और बहुत बढ़ जाने का मुद्दा है । अनेक महिला संगठनों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस बारे में कई बार चेतावनी दी है कि शराब के ठेकों व दुकानों के तेज़ी से फैलने के कारण महिलाओं की असुरक्षा बढ़ रही है और उनके विरुद्ध हिंसा की संभावना बढ़ रही है ।

हाल के वर्षों में अपनी आय बढ़ाने के लिए अधिकांश राज्य सरकारों ने शराब के ठेकों की संख्या को तेज़ी से बढ़ाया है और अब ये ठेके बहुत दूर-दूर के गांवों में भी पहुंच गये हैं । इसका एक कारण यह भी रहा है कि शराब के कुछ बड़े व्यावसायियों के नेताओं और अधिकारियों से उच्च स्तर पर बहुत नजदीकी संबंध बन गये और इन्होंने भी शराब को इन गांवों में पहुंचाने के लिए विभिन्न सरकारों पर दबाव बनाया ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्ययन बताते हैं कि अधिक शराब पीने वाले क्षेत्रों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामले अधिक पाये गये । इतना ही नहीं इनमें से बड़ी संख्या में शराब से संबंधित थे । दूसरी ओर जहां शराब की उपलब्धि कम हुई, वहां महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में भी कमी आयी । वैश्विक तौर पर देखें तो जब शराब की दुकानों के खुले रहने के समय में कमी की गयी तो इससे ब्राजील व ऑस्ट्रेलिया में हिंसा कम हुई ।

अतिरिक्त सेशन जज सुश्री कामिनी लॉ ने 25 जनवरी के अपने निर्णय में शराब के नशे में बलात्कार करने वाले एक व्यक्ति को सज़ा देते हुए स्पष्ट कहा है कि शराब की बढ़ती खपत और बढ़ते अपराधों विशेषकर बढ़ती यौन हिंसा के अपराधों में निश्चित तौर पर आपसी संबंध है । माननीय न्यायाधीश ने सरकार को शराब की उपलब्धि और बिक्री को नियंत्रित व कम करने की संवैधानिक ज़िम्मेदारी की याद दिलायी है । साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार को अपनी ज़िम्मेदारी से दूर हटने के लिए लताड़ा भी है ।

महिला जब घर में पति को शराब पीने से मना करती है, तो उसे पीटा जाता है, जबकि घर से बाहर शराबियों द्वारा यौन हिंसा की संभावना बढ़ती है । जो बेहद अनुचित कार्य होशो-हवास में करने से पहले आदमी बीस बार सोचता है, उसे वह शराब के नशे में बेहिचक कर डालता है । शराब के बढ़ते चलन नें महिलाओं के जीवन को बेहद असुरक्षित बनाया है । यही स्थिति शहरों की मलिन बस्तियों में व शराब की दुकानों के आसपास के क्षेत्रों में भी देखी जा सकती है ।

इस सन्दर्भ में हाल में दिल्ली की एक अदालत के निर्णय को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है । अतिरिक्त सेशन जज सुश्री कामिनी ने 25 जनवरी के अपने निर्णय में शराब के नशे में बलात्कार करने वाले एक व्यक्ति को सज़ा देते हुए स्पष्ट कहा है कि शराब की बढ़ती खपत और बढ़ते अपराधों विशेषकर बढ़ती यौन हिंसा के अपराधों में निश्चित

तौर पर आपसी संबंध है । माननीय न्यायाधीश ने सरकार को शराब की उपलब्धि और बिक्री को नियंत्रण व कम करने की संवैधानिक ज़िम्मेदारी की याद दिलायी है । साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार को अपनी ज़िम्मेदारी से दूर हटने के लिए लताड़ा भी है ।

माननीय न्यायाधीश ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि शराब की बुराई को कम करना या नियंत्रित करना राज्य की प्राथमिकता में है नहीं, जबकि शराब के स्वास्थ्य व सुरक्षा पर प्रतिकूल असर के बारे में बहुत चिन्ता व्यक्त की गयी है ।

न्यायाधीश महोदया ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि शहरी ग़रीब बस्तियों में शराब की खपत बहुत बढ़ गयी है । उन्होंने कहा कि जब शराब में निकोटीन व केफीन मिलाकर सेवन किया जाता है तो यह और भी अधिक ख़तरनाक हो जाता है व विभिन्न अपराधों व यौन अपराधों की संभावना इस स्थिति में बढ़ती है । शराब के नशे की प्रवृत्ति व उपलब्धि को कम करने या दूर करने की अपनी ज़िम्मेदारी से सरकार को भागना नहीं चाहिए व पल्ला झाड़ने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए । सरकार को शराबबन्दी की अपनी संवैधानिक ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए ।

माननीय न्यायाधीश के इस निर्णय के भावना के अनुकूल महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने व कम करने का एक अनिवार्य बिन्दु यह भी होना चाहिए कि सरकार शराब की उपलब्धि को व्यापक और सरल बनाने के स्थान पर इसे समुचित ढंग से नियंत्रित भी करे तथा दूरदराज के गांवों में शराब के ठेके खोलने पर रोक लगानी चाहिए ।

"दीन का इल्म सीखो और दीनी इल्म के लिए वक़ार और संजीदगी सीखो और जिनसे तुम दीन का इल्म हासिल करो उनसे ख़ाकसाराना बर्ताव रखो ।" (मुस्लिम)

इस्लामिक प्राइमरी व गर्ल्स जूनियर हाईस्कूल

रहमत नगर, गोरखपुर (यू०पी०) 273005

फ़ोन : 0551-2291043

शहर गोरखपुर का एक जाना-माना स्कूल, आधुनिक शिक्षा व कंप्यूटर के साथ दीनी शिक्षा का बेहतरीन इन्तिज़ाम, बच्चों में अच्छा शहरी बनने के साथ-साथ एक अच्छा मुसलमान बनने की भावना पैदा करने की व्यवस्था, कक्षा 6 से बच्चियों के लिए शिक्षा की बेहतरीन व्यवस्था ताकि ये समाज निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभा सकें ।

Islamic Primary & Girl's J. H. School
Rahmat Nagar, Gorakhpur (U.P.)

तरकीब

❖ असलम जमशेदपुरी

वह कोर्ट की पुख़्ता दीवार की दूसरी ओर पान की दुकान लगाया करता था । दीवार में बने ख़ानों से वह पान लगाकर लोगों को दिया करता था । पहले पहल वह दिन भर में दो-चार रुपये के ही पान बेच पाता था । लेकिन जब लोगों को पता लगा तो दीवार में बने ख़ानों से पान लेने लगे ।

कोर्ट में दिन भर गहमा-गहमी रहा करती थी । अहाते के अन्दर जो दुकाने थीं, उनकी आमदनी अच्छी ख़ासी थी । हर दुकानदार ख़ुशहाल था लेकिन अहाते के अन्दर दुकान लगाना कोई आसान काम न था । सारी दुकानों का ज़बरदस्ती का मालिक पप्पू दादा था । उस अहाते में उसकी इजाज़त के बग़ैर कोई दुकान नहीं लगा सकता था । पप्पू दादा जिसे चाहता था उसकी दुकान अहाते के अन्दर लगवा देता । फिर दूसरे नम्बर पर कोर्ट की पुलिस चौकी के इंचार्ज शर्मा से भी बनाकर रखनी पड़ती थी । उसको हर माह एक बंधी रक़म देनी पड़ती थी । बज़ाहिर पुलिस को पप्पू दादा की तलाश थी । मगर लोग कहते थे कि पप्पू दादा और चौकी इंचार्ज शर्मा मिले हुए हैं ।

बेरोज़गारी के मारे श्याम प्रसाद के पास इतनी रक़म कहां थी कि वह पप्पू दादा को ख़ुश करता, चौकी इंचार्ज शर्मा को भी माहाना देता और फिर दुकान पर भी सर्फ़ करता था । पहले वह मज़दूरी किया करता था । रोज़ाना पैसे मिलते और रोज़ाना ख़र्च हो जाते । किसी दिन अगर तबियत ख़राब हो जाती तो घर में चुल्हा भी न जलता । आये दिन के होने वाले बन्द और चक्का जाम ने मज़दूरों की ज़िन्दगी दूभर कर दी थी, वह इस पेशे से बहुत परेशान था । उससे बच्चों का हाल देखा न जाता था । बीवी हमेशा कहती–

"मैं भी मज़दूरी करूंगी ।"

यह बात उसकी मर्दानगी पर तीर की तरह लगती । शहर में फ़साद हुआ तो कई दिन कर्फ़्यू लगा रहने से श्याम प्रसाद और उसके बच्चों का बुरा हाल हो गया । बग़ैर खाए-पिये जब गुज़ारा न हुआ तो पड़ोसियों के रहमो-करम पर वक़्त काटा । ऐसे वक़्त बीवी ने उम्मीद की किरण दिखायी ।

"आप ऐसा करें । मेरे पास मां की आख़िरी निशानी सोने की बालियां हैं । उन्हें बेच दें और जो पैसे मिलें, उनसे एक पान की दुकान कर लें ।"

उसे बीवी की तजवीज़ पसंद आयी । मगर साथ ही ग़ैरत भी कि बेचारी बीवी के जिस्म से उसने एक-एक करके तमाम जेवरात उतार लिए थे । पहले बच्चे की पैदाइश के वक़्त जब शीला को अस्पताल में दाख़िल करना पड़ा था, तो ऑप्रेशन की नौबत आ गयी थी, जिसमें कई हज़ार का ख़र्च था । उस वक़्त शीला की हंसली काम आयी थी । और दूसरे जेवरात की नागहानी आफ़ात व मुश्किलात की भेंट चढ़ गये थे । सिर्फ़ बालियां बचीं थीं जिसे शीला अपनी मां की आख़िरी निशानी के तौर पर संभालकर पहनती थी । शीला से बालियां लेते वक़्त उसकी आंखों में आंसू आ गये थे । दूसरी तरफ़ शीला का मुज़महिल चेहरा भी दर्दो-कर्ब की कहानी सुना रहा था ।

बालियों को फ़रोख़्त करने पर उसे कुल पन्द्रह सौ रुपये मिले थे । अब इन रुपयों में वह क्या-क्या करता । दुकान पर कम से कम ख़र्च पांच सौ रुपये से कम न था । और सुना था कि पप्पू दादा की फ़ीस दो हज़ार रुपये और फिर हर माह पांच सौ रुपये थी । फिर चौकी इंचार्ज शर्मा को तीन सौ रुपये माहाना देने थे । श्याम कोर्ट के अहाते के अंदर दुकान लगाना चाहता था । जहां उसे उम्मीद थी कि बहुत जल्द उसकी गिरती हुई हालत संभल जाएगी ।

जब वह किसी तौर अहाते में दुकान नहीं लगा पाता तो उसने कोर्ट की मोटी पुख़्ता दीवार के ऐसे हिस्से का इन्तिख़ाब किया, जहां दीवार में मुस्ततील ख़ाने बने हुए थे । दीवार की दूसरी तरफ़ दूर-दूर तक सरकारी ग़ैर-नाहमवार ज़मीन फैली हुई थी । उसने चंद पत्थरों और तख़्तों की मदद से एक चबूतरा-सा बना लिया और दुकान की ज़रूरी सामान सजा लिया । जिस जगह उसने दुकान लगायी थी वह जगह कोर्ट के दफ़्तरों से ख़ासी दूर थी । इसलिए शुरू में

हमारी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें

इस्लाम एक सामान्य परिचय	—शैख़ अली तंतावी	90.00
इस्लाम एक स्वयंसिद्ध ईश्वरीय जीवन व्यवस्था	—राजेन्द्र नारायण लाल	25.00
प्यारे नबी की पाक ज़िन्दगी	—एजाज़ुल हक़ क़ुद्दूसी	30.00
इतिहास के साथ यह अन्याय	—बी॰ एन॰ पाण्डे	7.00
मेरे दावती तजुर्बात (प्रथम)	—नसीम ग़ाज़ी फ़लाही	25.00
ग़लत फ़हमियों का निवारण	—डॉ॰ ज़ाकिर नाइक	25.00
क़ुरआन और हम मुसलमान	—नसीम ग़ाज़ी फ़लाही	15.00
क़ुरआन का पैग़ाम	—ख़ुर्रम मुराद	10.00
क़ुरआन पर अनुचित आक्षेप	—नसीम ग़ाज़ी फ़लाही	15.00
हमें ख़ुदा कैसे मिला?	—अब्दुल ग़नी फ़ारूक़	100.00
इस्लाम आतंक या आदर्श?	—स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य	40.00
इस्लाम और इनसान (1-6)	—डॉ॰ सैयद शाहिद अली	84.00
दलित समस्या जड़ में कौन?	—इन्तिज़ार नईम	140.00
हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) और भारतीय धर्म-ग्रंथ	—डॉ॰ एम॰ ए॰ श्रीवास्तव	18.00
इस्लामी सभ्यता	—मुंशी प्रेम चन्द्र	5.00
क़ुरआन पुकारता है "ऐ लोगो..."	—मुहम्मद ज़ैनुल आबिदीन मंसूरी	12.00
आधुनिक नारी	—नुज़हत यासमीन	10.00
इस्लाम एक मात्र रास्ता	—मुहम्मद ज़ैनुल आबिदीन मंसूरी	12.00
शैतानी धोखे के विभिन्न रूप	—डॉ॰ सैयद शाहिद अली	40.00

हमारी सभी पुस्तकें मर्कज़ी मक्तबा इस्लामी पब्लिशर्स से भी प्राप्त की जा सकती हैं।

MADHUR SANDESH SANGAM

E-20, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025

E-mail : madhursandeshsangam@yahoo.co.in, Ph. : 9212356332

उसकी नाकामी भी उसका साथ निभाती रही लेकिन जैसे-जैसे लोगों को इल्म होता गया, लोग पान खाने आने लगे ।

पानों की फ़रोख़्त तो बढ़ गयी थी लेकिन जिन ख़्वाहिशों और अज़ायम के साथ उसने दुकान की थी, वह पूरी होती नज़र नहीं आ रही थी । वह मायूसी और उदासी के अथाह समुंदर में डूबने लगा था । बेदिली से रोज़ाना शाम को दुकान समेटता और थका-हारा घर पहुंच जाता । घर भी क्या था । मिट्टी के रहमो-करम पर टिकी फूस की छत । मायूसी और नाउम्मीदी के घने बादलों में भी उसने मेहनत और लगन का चिराग़ रौशन रखा । एक दिन एडवोकेट मोहन उसकी दुकान पर पान खाने आये तो उससे पूछ बैठे–

''श्याम कैसी चल रही है दुकान ?''

हमदर्दी के अल्फ़ाज़ ने उसे पिघला दिया । वह फट रो पड़ा और रो-रोकर अपना हाल बयान कर दिया । एडवोकेट मोहन रहमदिल शख़्स थे । ज़हीन वकील शुमार किये जाते थे । कोर्ट में उनके नाम का सिक्का चलता था । उन्होंने तसल्ली देते हुए कहा–

''अरे तुम तो रोने लगे । तुम मर्द हो । हिम्मत न हारो । और यह पान की दुकान वग़ैरह का चक्कर छोड़ो । मैं तुम्हें पैसा कमाने का नया तरीक़ा बताता हूं ।''

फिर एडवोकेट मोहन ने श्याम को दीवार की दूसरी जानिब खाने में दुकान लगाने को कहा । और उन्होंने राज़दारी में कुछ कहा । फिर इधर-उधर देखते हुए, मानो देख लिए जाने का ख़तरा हो, वह कोर्ट की तरफ़ चले गये ।

अगले दिन श्याम खोदाई के औज़ार लेकर आया । और सुबह ही से दुकान की जगह खोदाई करने लगा । कुछ लोगों ने टोका–

''अरे भाई श्याम, क्या कर रहे हो ?''

''धरती बराबर कर रहा हूं । यहां बहुत ऊंच-नीच है ।''

दोपहर तक उसी तरह खोदाई करता रहा । दोपहर के वक़्त जब उसने कोर्ट की अंदरूनी दीवार के पास से लोगों को गुज़रते देखा तो अचानक चिल्ला पड़ा–

''अरे भगवान राम... ।''

यह कुछ इस ज़ोर से चिल्लाया कि दीवार की दूसरी जानिब चलने वाले लोगों के क़दम रुक गये । पर वह ख़ामोश नहीं हुआ ।

''भगवान राम...राम...।''

चिल्लाए गया । चलने वालों ने पास आकर पूछा–

''क्या हुआ भई क्यों राम-राम की रट लगा रखी है ।''

''यहां भगवान राम प्रकट हुए हैं ।''

इतना सुनना था कि सुनने वालों ने कोर्ट की दीवार फांदकर दूसरी तरफ़ पहुंचने में देर नहीं लगायी । श्याम को परे धकेलकर उस हिस्से को देखने लगे जहां राम की इन्तिहाई बोसीदा, मिट्टी में लिथड़ी मूर्ति थी । फिर क्या था । पल के पल में हंगामा हो गया ।

''श्याम की दुकान की जगह पर भगवान राम प्रकट हुए हैं । ''

बात कोर्ट में फैली, फिर सारे शहर में हंगामा बरपा हो गया । राम जी के श्रद्धालुओं की भीड़ लग गयी । भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया । श्याम ने खुद को राम जी के चरणों में झुका दिया था । लोग आ रहे थे और रुपये पैसे फेंककर जा रहे थे । शाम तक वहां बेक़ाबू भीड़ जमा हो गयी । पुलिस का पहरा लगा दिया था लेकिन सिपाहियों ने श्याम को वहीं रहने दिया । श्याम की खोदाई के कारण ही ऐसा हुआ था । शाम होते ही श्याम ने तमाम रुपये पैसे समेट लिये और जब उसकी बीवी राम जी के दर्शन करने आयी तो रुपये पैसे उसे दे दिये ।

अगले रोज़ फिर सुबह ही भीड़ जमा होने लगी । माम्ला अख़बारात की सुर्ख़ी बन गया । हुकूमत ने कोर्ट के उस मक़ाम की दीवार गिराकर वहां एक रास्ता बनवा दिया । और उसे एक आर्ज़ी (अस्थाई) मंदिर की शक्ल दे दी । श्याम को उस मंदिर का पुजारी मान लिया गया । श्याम ने अपना हुलिया भी तब्दील कर लिया था और अब वह दूर ही से पुजारी नज़र आता था ।

दिन भर राम जी के श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता । प्रसाद, रुपये-पैसे चढ़ते रहते और श्याम की क़िस्मत का सितारा चमकाते रहते ।

कई दिन बाद एडवोकेट मोहन जब उधर आये तो श्याम ने दूर ही से नमस्कार किया । मोहन साहब बोले–

''श्याम, तुम्हारी तो क़िस्मत ही बदल गयी ।''

''सब आपकी कृपा है ।''

''नहीं, भगवान की कृपा कहो ।''

''वही तो ठीक है । पर मुझे यह तरकीब तो आप ही ने बतायी थी ।''

مولانا سیّد ابوالاعلیٰ مودودیؒ کی شہرہ آفاق تفسیر

تفہیم القرآن حصہ اوّل کا ہندی اڈیشن

तफ़्हीमुल-क़ुरआन [1]

अल-फ़ातिहा - अल-अनआम

ہندی ترجمہ: مولانا نسیم احمد غازی فلاحی

بندگانِ خدا کو خدا اور اس کی کتاب قرآن حکیم سے وابستہ کرنے والی عصری اسلوب میں ہر عام وخاص طبقے کے درمیان یکساں مقبول و پسندیدہ اُردو تفسیر تفہیم القرآن حصہ اوّل کا ہندی زبان میں عام فہم اور دل نشیں ترجمہ۔ ہندی اڈیشن میں 'ترجمہ قرآن مجید مع مختصر حواشی' سے لیے گئے کچھ حاشیے کا اضافہ بھی۔

● سائز: $\frac{۲۰ \times ۳۰}{۸}$ ● صفحات: ۴۴۷ ● ہدیہ: ۳۰۰ روپے

MMI PUBLISHERS

D-307, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar,
New Delhi-110025 • Phone: 26971652, 26954341, 26946447(D)
• Fax: 26947858 • E-mail:mmipublishers@gmail.com
• Website: www.mmipublishers.net

जलाशयों की क़ब्र पर फ़लकबोस इमारतें

■ विद्या प्रकाश

पनघट और पनिहारिनों का बहुत पुराना भावनात्मक संबंध रहा है । अधिक दिन नहीं हुए जब जलाशयों को ग्रामीण जन जीवन की अनिवार्य आवश्यकता माना जाता था । वर्तमान परिवर्तनशील तथा अर्थप्रधान युग में पनघट, पनिहारिन तथा जलाशय से रिश्ते की बात आउटडेटेड हो गयी है । अब न पनघट पर पनिहारिनों के परंपरागत लोकगीतों की स्वर लहरियों की मीठी कर्ण प्रिय धुन सुनायी पड़ती है और न ही कहीं तालाब दृष्टिगत होते हैं । अब तो पानी के लिए लोगों को मीलों तक भटकना पड़ता है । प्राचीन काल में हमारे समाज में तालाबों की संस्कृति थी । तालाबों के आस-पास बगीचे हुआ करते थे । तालाब खुदवाना, बगीचे लगाना तथा पौधारोपण शुभ पुण्यवर्द्धक कार्य माना जाता था । कभी ये तालाब हमारी प्यास बुझाने के साथ-साथ खेतों की सिंचाई के माध्यम हुआ करते थे । सामान्य जनजीवन से जुड़े इन तालाबों के किनारे मेले लगते थे । पावन काल में उत्तरी भारत में ग्राम बालाएं तथा ग्रामवधुएं इन्हीं तालाबों पर आकर जरई धोया करती थी तथा पास की अमराइयों में सावन की फुहार में झूले की पेंग पर कजरी का समवेत स्वर में मधुर सलच गायन करती थी । इन जलाशयों के किनारे भांति-भांति के नवपल्लवशोभित रसीले फलाच्छादित वृक्षों पर पक्षियों का बसेरा होता था तथा कोकिल, तोता, मैना, बुलबुल, लालमुनिया आदि रंग-बिरंगे पखेरुओं के गान से दिशाएं गूंज उठती थी ।

एक आंकड़े के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति के समय मुल्क में जलाशयों की संख्या लगभग 24 लाख थी । वर्षा कालीन पानी इन जलाशयों में संचित होता था जो भूजल स्तर को बनाये रखने में सहायक होता था । तुलसीदास ने रामचरित मानस में उल्लेख किया है–सिमट-सिमट जल भरहिं तालाब । जिभि सद्गुण सज्जन पहिं आवग ।' इन जलाशयों की वजह से ग्रामवासी कृषकों को सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था तथा जलाशयों से समय पर अपने खेतों की आवश्यकतानुसार सिंचाई कर लिया करते थे इन जलाशयों के संबंध में पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का कथन सत्य है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सैकड़ों, हज़ारों तालाब धरती पर अचानक शून्य से प्रकट नहीं हुए थे । इनके पीछे एक इकाई थी बनवाने वालों की तो दहाई थी बनाने वालों की । यह इकाई और दहाई से आगे बढ़कर सैकड़ा तथा हज़ार बनता था । समय बदलने के साथ



ही लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आया तथा नयी सोच ने इस इकाई, दहाई, सैकड़ा तथा हज़ार को शून्यावस्था में लाकर खड़ा कर दिया । व्यावसायिक सोच तथा औद्योगिकरण की नीति के कारण ग्रामीण इलाक़ों में जलाशयों को पाटने का ख़तरनाक सिलसिला जारी है । उ०प्र० के पीलीभीत, लखीमपुर तथा बरेली जनपदों में स्वातंत्र्य काल में लगभग 32 जलाशय थे और अब इनकी संख्या घटकर महज 20 से 30 के बीच शेष है । जो जलाशय किसी प्रकार अपना अस्तित्व बचाए भी हैं, उनमें पानी के भाग न के बराबर हैं और इनमें से कइयों पर तो भू-माफ़ियाओं तथा अतिक्रमणकारियों की कुदृष्टि लगी है । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कभी जलाशयों की संख्या लगभग 500 थी लेकिन कथित भौतिकवादी विकास की अंधी आंधी ने दिल्ली में जलाशयों का अस्तित्व एकदम से नष्ट कर डाला ।

यह दुखद तथा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने नवीन जलाशयों का निर्माण तो नहीं किया और जो पुराने जलाशय थे भी, उनको पाटकर उनकी भूमि पर बहुमंजिली फ़लकबोस इमारतें खड़ी कर दीं । भू-माफ़ियाओं तथा बिल्डरों ने जलाशयों को पाटकर बनायी गयी इमारतों का अरबों-खरबों रुपयों में सौदा किया तथा ख़ूब मुनाफ़ा कमाया । इस मुनाफ़ाख़ोरी में उनके साझीदार बने राजनेता तथा प्रशासनाधिकारी। भू-माफ़ियाओं, राजनेताओं, प्रशासनाधिकारियों तथा पुलिस की चौकड़ी से देश को जलाशयविहीन बनाने में कोई कोर क़सर नहीं बाक़ी रखी । परिणामस्वरूप 24 लाख जलाशयों वाले मुल्क में आज जलाशयों की संख्या फ़क़त 80 हज़ार के आसपास सिमट कर रह गयी है । यह तो सरकारी आंकड़ों की ज़ुबानी है । इसमें कितनी हक़ीक़त है, स्वयं यह स्पष्ट है । सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत फिर से तालाब बनाने की योजना का सूत्रपात तो किया और अरबों रुपये व्यय हो गये लेकिन वास्तविकता के धरातल पर न कहीं नवनिर्मित तालाब दृष्टिगत हो रहे हैं तथा न ही पुराने जलाशयों की मरम्मत और संरक्षण होता दिख रहा है । गुज़रते वक़्त के साथ तालाबों को आज दम तोड़ते देखा जा सकता है । प्रश्न है–आख़िर यह कैसा विकास है जो हमारे पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किये जा रहा है और जो भावी पीढ़ी के जीवन हेतु संकट उत्पन्न करने वाला है ? जहां तालाब होते हैं, वहां भू-जल स्तर बेहतर होता है तथा फ़सलों को भी पर्याप्त जल सैदव उपलब्ध होता रहता है । अब न वह दौर है और न ही जलाशय बनवाने वाले लोग हैं । अब बीता हुआ वक़्त और दौर तो वापस नहीं आ सकता मगर नये तालाबों को बनवाने तथा पुराने तालाबों की मरम्मत का कार्य तो फिर से शुरू किया जा सकता है ।

"ख़ुदा उस आदमी पर रहम फ़रमाएगा, जो ख़रीदने-बेचने और तक़ाज़ा करने में नर्मी और ख़ुशअख़्लाक़ी से काम लेता है।" (हदीस)

Dr. Rafique Ahmad

Mumbai

मकतबा अलफहीम मऊ
की नई हिंदी इस्लामी पुस्तकें

मुख्तसर तफसीर अहसनुल बयान	450/=
बुलूगुल मराम	275/=
नबूवत की किरनें मौ० सफीउरेहमान मो०	275/=
हुकूकुलएबाद सलाहुददीन यूसुफ	55/=
हुकूकुल औलाद सलाहुददीन यूसुफ	50/=
हुकूकुज़्ज़ौजैन सलाहुददीन यूसुफ	32/=
सैय्यदना अबू बक्र सिद्दीक रज़ि:	25/=
सैय्यदना उमर फारूक रज़ि:	25/=
सैय्यदना उसमान गनी रज़ि:	25/=
सैय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ि:	25/=
इस्लाम पर ४० एतेराज़ात और उसके जवाबात	80/=
कुरआन और विज्ञान डा. ज़ाकिर नाइक	50/=
इस्लाम और हिन्दू धर्म में समानताएं //	50/=
क्या कुरआन ईश्वरीय ग्रन्थ है //	60/=
विशेष धर्मों में ईश्वर की कल्पना //	28/=
इस्लाम में औरतों के अधिकार //	60/=
इस्लाम आतंकवाद या भाईचारा //	50/=
मांसाहार उचित या अनुचित //	60/=
जन्नत का बयान इकबाल कीलानी	120/=
जहन्नम का बयान इकबाल कीलानी	130/=
नमाज़ के मसाइल इकबाल कीलानी	120/=
तौहीद के मसाइल इकबाल कीलानी	120/=

सुन्नत के मसाइल इकबाल कीलानी	80/=
तौहीद के आंसू	65/=
हमारी दावत किताब व सून्नत	40/=
चेहरे का पर्दा मुस्तहब या वाजिब //	20/=
मुहम्मद(स०) हिन्दू किताबों में	65/=
तावीज़ गंडा की हक़ीक़त	25/=
और मैं मर गया	32/=
मसला उर्स और ग्यारहवीं	25/=
इस्लाम और इमान के अरकान	80/=
किताबुत्तौहीद	75/=
कुरआन की शीतल छाया	85/=
अल्लाह और उसके रसूल की पहचान	50/=
जादू का इलाज	85/=
कलमा-ए-तौहीद अर्थ, महत्तव, फज़ीलत	28/=
इस्लाम एक नज़र में	50/=
इस्लाम खालिस क्या है	22/=
इस्लामी अक़ीदा	22/=
मुसलमान का अक़ीदा(पाकेट)	12/=
मासूरह दुआएं	30/=
हिसनुल मुसलिम(उच्चारण सहित)	40/=
हिसनुल मुसलिम	35/=
परदा	35/=

आप घर बैठे किताबें VPP डाक द्वारा मँगा सकते हैं। एकाउंट में रक्म ट्रांस्फर करने पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा किताबें भेजने की सुविधा है।

MAKTABA AL-FAHEEM
Raihan Market, 1st Floor, Dhobia Imli Road
Sadar Chowk, Maunath Bhanjan - (U.P.) 275101
Ph.: (O) 0547-2222013, Mob. 9236761926, 9889123129, 9336010224
Email :faheembooks@gmail.com

इस्लामी अर्थव्यवस्था और उसके अंग

❖ **मौलाना अबुल आला मौदूदी**

इस्लाम ने साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच जो मध्यमार्गी दृष्टिकोण अपनाया है, उसे व्यावहारिक रूप देने के लिए वह नैतिकता और क़ानून दोनों से सहायता लेता है । अपनी नैतिक शिक्षा से वह समाज और उसके प्रत्येक व्यक्ति की मानसिकता को अपनी व्यवस्था का स्वैच्छिक रूप से आज्ञापालन के लिए तैयार करता है जो उन्हें इस व्यवसाय की बंदिश में रहने पर मजबूर करें, और इसकी सीमाओं से निकलने न दें । ये नैतिक सिद्धांत और क़ानूनी आदेश इस अर्थव्यवस्था के स्तम्भ और अंग हैं । इसकी प्रकृति को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इन पर विस्तृत रूप से एक नज़र डाल लें–

1. माल उपार्जित करने के साधनों में जायज़ और नाजायज़ का अन्तर

सबसे पहली चीज़ यह है कि इस्लाम अपने मानने वालों को दौलत कमाने का आम लाइसेंस (Licence) नहीं देता बल्कि कमाई के तरीक़े में सामूहिक हित के लिहाज़ से जायज़ (वैध) और नाजायज़ (अवैध) का अन्तर करता है । यह अन्तर इस सर्वव्यापक नियम पर आधारित है कि धन प्राप्त करने के सभी वे तरीक़े नाजायज़ हैं जिनमें एक आदमी का फ़ायदा दूसरे आदमी या आदमियों के नुक़सान पर हो, और हर वह तरीक़ा जायज़ है जिसमें फ़ायदों का आदान-प्रदान संबंधित लोगों के बीच न्यायसंगत रूप से हो । क़ुरआन मजीद में इस नियम-क़ायदे को इस तरह बयान किया गया है : "ऐ ईमान लाने वालो ! परस्पर एक-दूसरे के माल अवैध रूप से न खाओ, सिवाय इसके कि तुम्हारी आपस में रज़ामंदी से कोई सौदा हो, और अपनों की हत्या न करो । निस्सन्देह अल्लाह तुम पर दयावान है । और जो कोई ज़्यादती और जुल्म से ऐसा करेगा, उसे हम जल्द ही कठिन आग में झोंक देंगे ।" (अन-निसा : 29,30)

इन आयतों में सौदा से अभिप्राय है : वस्तुएं या चीज़ें और सेवाओं का पारस्परिक आदान-प्रदान आपस की रज़ामंदी



के साथ सशर्त लेन-देन की उन तमाम सूरतों को नाजायज़ ठहरा दिया गया है, जिनमें किसी तरह का दबाव शामिल हो या कोई धोखा या ऐसी चाल हो जो अगर दूसरा पक्ष करने लगे, तो वह उस पर राज़ी न हो । फिर और नसीहत करने के लिए कहा है 'तक़्तुलू अन्फ़ुसकुम' । इसके दो भावार्थ हैं और दोनों का यहां यही अभिप्राय है । एक यह कि तुम आपस में एक-दूसरे को क़त्ल न करो । दूसरा यह कि तुम ख़ुद अपने आपको क़त्ल न करो । मतलब यह है कि जो आदमी अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुक़सान करता है वह मानो उसका ख़ून करता है और अन्ततः वह ख़ुद अपनी तबाही का रास्ता खोल देता है ।

इस सैद्धांतिक आदेश के अलावा विभिन्न स्थानों पर क़ुरआन मजीद में माल हासिल करने की जिन सूरतों को हराम किया गया है वे हैं :

- रिश्वत और जुल्म । (अल-बक़रा : 188)
- ख़यानत, चाहे लोगों के माल में हो या पब्लिक के माल में । (अल-बक़रा : 283)
- चोरी । (अल-माइदा : 38)
- यतीमों के माल जुल्म से खाना । (अन-निसा : 10)
- नाप-तौल में कमी । (अल-ततफ़ीफ़ : 3)
- अश्लीलता फैलाने वाले साधनों का कारोबार । (अन-नूर : 18)

विशेषताओं पर एक नज़र

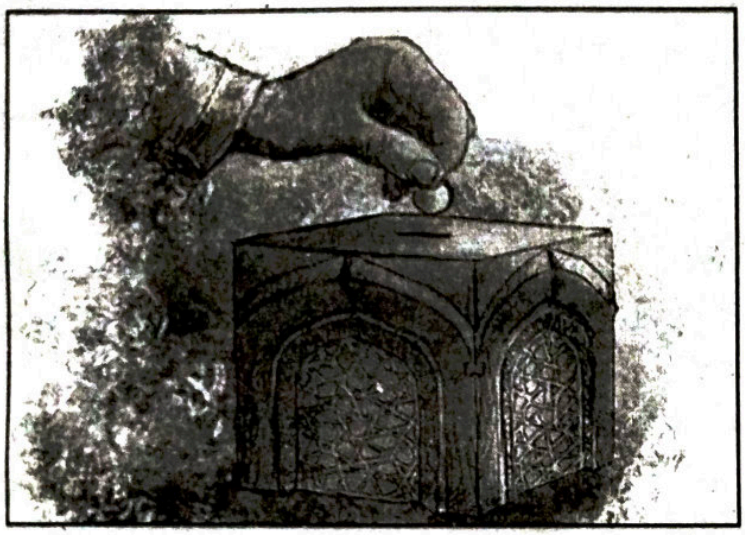

- वेश्यावृत्ति और ज़िना (व्यभिचार) की आमदनी ।
(अन-नूर : 2,33)
- शराब का धंधा, इसे बेचना और रखना ।
(अल-माइदा : 90)
- जुआ और वे सभी साधन जिनसे लोगों का माल दूसरे लोगों की ओर स्थानांतरित होना केवल भाग्य और संयोग पर निर्भर हो । (अल-माइदा : 90)
- बुत (मूर्ति) बनाना, बुत का कारोबार और बुतख़ानों की सेवाएं । (अल-माइदा : 90)
- क़िस्मत बताने (ज्योतिष) और फ़ाल (सगुन) बताने निकालने का कारोबार । (अल-माइदा : 90)
- सूदख़ोरी ।

(अल बक़रा : 265, 268-280, आले इमरान : 130)

2. माल जमा करने का निषेध

दूसरा महत्वपूर्ण आदेश यह है कि जायज़ तरीक़ों से जो दौलत कमाई जाए उसको जमा न किया जाए, क्योंकि इससे दौलत की गर्दिश रुक जाती है और दौलत के वितरण में संतुलन बना नहीं रहता । दौलत समेट-समेट कर जमा करने वाला न केवल स्वयं घिनौनी नैतिक बीमारियों में घिर जाता है, बल्कि वस्तुतः वह पूरे समाज के विरुद्ध एक गंभीर अपराध का सूत्रपात करता है और इसका नतीजा अन्ततः स्वयं उसके लिए भी बुरा है । इसीलिए क़ुरआन मजीद कंजूसी और माल जमा करने की प्रवृत्ति का सख़्त वरोधी है । वह कहता है :

■ "जो लोग उस चीज़ में कृपणता से काम लेते हैं जो अल्लाह ने अपने फ़ज़्ल (कृपा) से उन्हें दी है वे यह न समझें कि यह उनके लिए अच्छा है । बल्कि यह उनके हक़ में बुरा है ।" (आले इमरान : 180)

■ "और जो लोग सोना और चांदी एकत्र करके रखते हैं और उन्हें अल्लाह के मार्ग में ख़र्च नहीं करते, उन्हें दुख देने वाली यातना की मंगल सूचना दे दो ।"
(अत-तौबा : 34)

यह चीज़ पूंजीवाद की बुनियाद पर चोट करती है । बचत को जमा करना और जमा दौलत को और अधिक दौलत पैदा करने में लगाना, यही वस्तुतः पूंजीवाद की जड़ है । किन्तु इस्लाम सिरे से इस बात को पसन्द नहीं करता कि आदमी अपनी ज़रूरत से अधिक दौलत को जमा करके रखे ।

3. ख़र्च करने का आदेश

जमा करने के बजाए इस्लाम ख़र्च करने की शिक्षा देता है । मगर ख़र्च करने से इसका मक़सद यह नहीं है कि आप ऐश व आराम और गुलछर्रे उड़ाने में दौलत लुटाएं, बल्कि वह ख़र्च, अल्लाह की राह में ख़र्च करने का आदेश की सीमा के साथ देता है, यानी आपके पास अपनी ज़रूरतों से जो कुछ बच जाए उसको समाज की भलाई के कामों में ख़र्च कर दें । यही अल्लाह की राह है ।

क़ुरआन में है–

■ "और वे तुमसे पूछते हैं कि कितना ख़र्च करें ? कह दो : जो तुम्हारी आवश्यकता से अधिक हो ।"
(अल-बक़रा : 219)

■ "और अच्छा व्यवहार करो । माता-पिता के साथ और नातेदारों, अनाथों, मुहताजों, नातेदार पड़ोसियों के साथ और उन पड़ोसियों के साथ जिनसे संबंध न हो और पास के व्यक्ति के साथ और राह चलने वाले के साथ और उन

(लौंडी-गुलामों) के साथ जो तुम्हारे अधिकार में हों।"

(अन-निसा : 36)

■ "और उनके मालों में मांगने वालों का और उनका हक़ था जो पाने से रह गये हों।" (अज़-ज़ारियात : 19)

यहां पहुंचकर इस्लाम का दृष्टिकोण पूंजीवादी दृष्टिकोण से बल्कुिल प्रतिकूल हो जाता है।

पूंजीपति समझता है कि ख़र्च करने से दरिद्र हो जाऊंगा और जमा करने से मालदार बनूंगा। इस्लाम कहता है ख़र्च करने से 'बरकत' (बढ़ती) होगी, तेरी दौलत घटेगी नहीं बल्कि और बढ़ेगी। कुरआन मजीद में है :

"शैतान तुम्हें निर्धन होने से डराता है और कंजूसी जैसी शर्मनाक बात का हुक्म देता है। और अल्लाह तुम्हें अपनी ओर से क्षमा और कृपा का वचन देता है।"

(अल-बक़रा : 268)

पूंजीपति समझता है कि जो कुछ ख़र्च कर दिया खो दिया। इस्लाम कहता है : नहीं, वह खो नहीं गया बल्कि उसका बेहतर फ़ायदा तुम्हें मिल जाएगा। कुरआन में है :

■ "और तुम नेक कामों में जो कुछ ख़र्च करोगे वह तुमको पूरा-पूरा वापस मिलेगा और तुमपर जुल्म नहीं किया जाएगा।"

(अल-बक़रा : 262)

■ "और जिन लोगों ने हमारी दी हुई रोज़ी में से खुले और छिपे ख़र्च किया वे एक ऐसे व्यापार की आशा रखते हैं जो कभी घाटा न देगा, (इस व्यापार में उन्होंने अपना सब कुछ इसलिए खपाया है) ताकि अल्लाह उन्हें उनका बदला पूरा-पूरा दे और अपनी कृपा से उन्हें और बढ़ा कर दे।"

(फ़ातिर : 28,30)

पूंजीपति समझता है कि दौलत को जमा करके उसको ब्याज पर चलाने से दौलत बढ़ती है। इस्लाम कहता है कि नहीं, ब्याज से तो दौलत घट जाती है। नेक कामों में ख़र्च करने से दौलत बढ़ती है। कुरआन में है :

■ "अल्लाह ब्याज (सूद) का मठ मार देता है और सदक़ों को बढ़ाता है।" (अल-बक़रा : 276)

■ "और जो ब्याज (सूद) तुम देते हो ताकि लोगों के मालों में शामिल होकर बढ़ जाए तो अल्लाह की दृष्टि में वह बढ़ता नहीं। बढ़ोत्तरी तो उन मालों को प्राप्त होती है जो तुम अल्लाह के लिए ज़कात में देते हो।"

(अर-रूम : 39)

यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो पूंजीवादी दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरित है। ख़र्च करने से दौलत का बढ़ना और ख़र्च किये हुए माल का नष्ट न होना बल्कि इस का पूरा-पूरा बदला कुछ अधिक फ़ायदे के साथ वापस आना, ब्याज से दौलत में वृद्धि होने के बजाए उल्टा घाटा आना, ज़कात और सदक़ों से दौलत में कमी आने के बजाए वृद्धि होना-ये बातें इस दृष्टिकोण में स्पष्ट रूप से अजीब मालूम होती हैं। सुनने वाला समझता है कि शायद इन सब बातों का संबंध आख़िरत (परलौकिक जीवन) की सफलता से होगा। इसमें सन्देह नहीं कि इन बातों का संबंध आख़िरत की सफ़लता से भी है, और इस्लाम की दृष्टि में प्रमुख महत्व इसी का है। लेकिन अगर ग़ौर से देखा जाए तो मालूम होगा कि इस संसार में भी आर्थिक हैसियत से ये दृष्टिकोण एक अत्यंत मज़बूत आधार पर क़ायम हैं। दौलत को जमा करने और उसको ब्याज पर चलाने का अन्तिम परिणाम यह है कि दौलत सिमट-सिमट कर कुछ लोगों के पास इकट्ठी हो जाए। जनता की क्रय-शक्ति (Purchasing Power) दिन-प्रतिदिन घटती चली जाए। उद्योग, व्यापार और कृषि में मंदी आ जाए। राष्ट्र का आर्थिक जीवन तबाही के कगार पर जा पहुंचे और अन्ततः स्वयं पूंजीपति व्यक्तियों के लिए भी अपनी जमा पूंजी को दौलत बढ़ाने के कामों में लगाने का कोई अवसर शेष न रहे।[1] इसके विपरीत ख़र्च करने और ज़कात और सदक़ा देने का माल यह है कि क़ौम के सभी लोगों तक दौलत फैल जाए। प्रत्येक व्यक्ति में काफ़ी क्रयशक्ति प्राप्त हो। उद्योगों को संरक्षण मिले, खेतियां हरी-भरी हों, व्यापार की ख़ूब उन्नति हो और चाहे कोई लखपति और करोड़पति न हो, मगर सब ख़ुश हाल और निश्चिंत हों। उस संशयपूर्ण आर्थिक दृष्टिकोण की सच्चाई अगर देखनी है तो अमेरिका की मौजूदा आर्थिक स्थितियों को देखिए,[2] जहां ब्याज के कारण धन के वितरण का संतुलन बिगड़ गया है और उद्योग और व्यापार की मंदी ने राष्ट्र की आर्थिक ज़िन्दगी को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया है। इसके मुक़ाबले में इस्लाम के आरंभिक काल की दशा को देखिए कि जब इस आर्थिक दृष्टिकोण को पूरी शान के साथ अमली जामा पहनाया गया तो कुछ साल के

अन्दर क़ौम की ख़ुशहाली इस दर्जे को पहुंच गयी कि लोग ज़कात के पात्र लोगों को ढूंढ़ते फिरते थे और कठिनाई से कोई ऐसा आदमी मिलता था जिसकी गणना ज़कात देने वालों में न हो । इन दोनों दशाओं की तुलना करने से मालूम हो जाएगा कि अल्लाह किस तरह ब्याज का मठ मार देता है और सदक़ों को बढ़ावा देता है ।

फिर इस्लाम जो मानसिकता पैदा करता है वह भी पूंजीवादी मानसिकता से बिल्कुल भिन्न है । पूंजीपति के मन में किसी तरह यह धारणा समा ही नहीं सकती कि एक आदमी अपना रुपया दूसरे को ब्याज के बिना कैसे दे सकता है । वह क़र्ज़ पर न केवल ब्याज लेता है बल्कि अपने मूलधन और ब्याज को प्राप्त करने के लिए क़र्ज़दार के कपड़े और घर के बर्तन तक कुर्क़ करा लेता है । मगर इस्लाम की शिक्षा यह है कि ज़रूरतमंद को सिर्फ़ क़र्ज़ ही न दो, बल्कि यदि वह तंगदस्त हो तो उस पर तक़ाज़े में सख़्ती भी न करो यहां तक कि उसमें देने की सामर्थ्य न हो तो क्षमा कर दो । क़ुरआन में है :

"अगर क़र्ज़दार तंगी में हो तो हाथ खुलने तक उसे मोहलत दो, तो यह तुम्हारे लिए अधिक अच्छा है । इसका फ़ायदा तुम समझ सकते हो अगर कुछ ज्ञान रखते हो ।"
(अल-बक़रा : 280)

पूंजीवाद में पारस्परिक सहयोग का अर्थ यह है कि आप सहकारी संस्था को पहले रुपये देकर उसके सदस्य बनिये, फिर अगर कोई ज़रूरत आपको पेश आएगी तो संस्था आपको सामान्य बाज़ारी ब्याज (सूद) दर से कुछ कम पर क़र्ज़ दे देगी । अगर आपके पास रुपया नहीं है तो "सहकारिता" से आप कुछ भी सहायता प्राप्त नहीं कर सकते । इसके विपरीत इस्लाम की सहकारिता की धारणा यह है कि जो लोग सामर्थ्य रखते हों वे आवश्यकता के समय अपने कम सामर्थ्यवान भाइयों को न केवल क़र्ज़ दें, बल्कि क़र्ज़ अदा करने में भी अल्लाह से अज्र (बदले) और सवाब (पुण्य) की आशा करते हुए उनकी सहायता करें । यद्यपि ज़कात के ख़र्चों में से एक ख़र्च क़र्ज़दार के क़र्ज़ अदा करना भी है ।

पूंजीपति यदि नेक कामों में ख़र्च करता है तो केवल दिखावे के लिए, क्योंकि इस संकीर्ण व्यक्ति को इस ख़र्च का कम से कम यह मुआवज़ा प्राप्त होना ही चाहिए कि उसका नाम हो जाए, उसे लोकप्रियता प्राप्त हो, उसकी धाक और साख बैठ जाए । किन्तु इस्लाम कहता है कि ख़र्च करने में दिखावा कदापि न होना चाहिए । छुपे या खुले जो कुछ भी ख़र्च करो, उसके पीछे यह उद्देश्य ही न हो कि तुरन्त एसका बदला किसी न किसी रूप में आपको मिल जाए बल्कि परिणाम पर नज़र रखो । इस संसार से लेकर आख़िरत (पारलौकिक जीवन) तक जितनी दूर आपकी नज़र जाएगी, आपको यह ख़र्च फलता-फूलता और लाभ पर लाभ पैदा करता दिखायी देगा । क़ुरआन में है :

■ जो व्यक्ति लोगों को दिखाने के लिए अपने माल को ख़र्च करता है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक चट्टान पर मिट्टी पड़ी थी । उसने इस मिट्टी पर बीज बोया । मगर उस पर घोर वर्षा हुई और मिट्टी को बहा ले गयी । और जो व्यक्ति अपनी नीयत को ठीक करके अल्लाह की प्रसन्नता के लिए ख़र्च करता है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक उपजाऊ ज़मीन में बाग़ लगाया । अगर वर्षा हुई तो दोगुना फल लाया और अगर वर्षा न हुई तो केवल हल्की-सी फुहार इसके लिए काफ़ी है ।
(अल-बक़रा : 264, 265)

■ "अगर तुम खुले तौर पर सदक़ा दो, तो यह भी अच्छी बात है, और यदि उसे छिपाकर दो, तो यह तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है ।" (अल-बक़रा : 261)

पूंजीपति यदि नेक काम में कुछ ख़र्च करता है तो अनिच्छापूर्वक ख़राब से ख़राब माल देता है और फिर जिसको देता है उसकी आधी जान अपने तीखे स्वर की धार से निकाल लेता है । इस्लाम इसके बिल्कुल विपरीत यह सिखाता है कि अच्छा माल ख़र्च करो, और ख़र्च करके एहसान न जताओ बल्कि इसकी इच्छा भी न रखो कि कोई आपके सामने एहसान मानने का प्रदर्शन करे । क़ुरआन में अल्लाह तआला ने कहा है :

■ "तुमने जो कुछ कमाया है और जो कुछ हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला है उसमें से अच्छे मालों को अल्लाह की राह में ख़र्च करो न यह कि ख़राब माल छांटकर उसमें से देने लगो ।" (अल-बक़रा)

■ "अपने सदक़ों को एहसान जताकर और दुख

पहुंचाकर मलियामेट न करो ।" (अल-बक़रा : 262)

■ "और वे अल्लाह के प्रेम में मोहताज और अनाथ और क़ैदी को खाना खिलाते हैं और कहते हैं कि हम अल्लाह की रज़ामंदी के लिए तुम को खिलाते है । न हम तुमसे कोई बदला चाहते हैं और न धन्यवाद ।"

(अद-दह्र : 8,9)

छोड़िये इस प्रश्न को कि नैतिक दृष्टिकोण से इन दोनों मानसिकताओं में कितना बड़ा फ़ासला है । हम कहते हैं कि विशुद्ध रूप से आर्थिक दृष्टिकोण ही से देख लीजिए कि फ़ायदे और नुक़सान के इन दोनों दृष्टिकोणों में से कौन-सा दृष्टिकोण अधिक सुदृढ़ और दूरगामी परिणामों के लिहाज़ से ज़्यादा सही है । फिर जबकि फ़ायदे और नुक़सान के इस अध्याय में इस्लाम का दृष्टिकोण वह है जो आप देख चुके हैं तो क्यों कर संभव है कि इस्लाम किसी भी रूप में ब्याजपरक कारोबार को जायज़ रखे ?

4. ज़कात

जैसा कि ऊपर बयान हुआ; आर्थिक मामलों में इस्लाम जिस लक्ष्य को सामने रखता है वह यह है कि दौलत किसी जगह जमा न होने पाए । वह चाहता है कि समाज के जिन लोगों को अपनी अच्छी योग्यता या सौभाग्य से उनको आवश्यकता से अधिक दौलत हासिल हो गयी हो, वे उसको समेट कर न रखें, बल्कि ख़र्च करें । और ऐसे काम में ख़र्च करें जिनसे दौलत की गर्दिश में समाज के भाग्यहीन लोगों को भी काफ़ी हिस्सा मिल जाए । इसके लिए इस्लाम एक तरफ़ अपनी उच्च नैतिक शिक्षा और प्रशिक्षण के नितांत प्रभावपूर्ण तरीक़े से दानशीलता और वास्तविक पारस्परिक सहयोग की भावना पैदा करता है ताकि लोग स्वयं स्वेच्छा ही से दौलत जमा करने को बुरा समझें और उसे ख़र्च कर देने की ओर प्रवृत्त हों । दूसरी तरफ़ वह ऐसा क़ानून बनाता है कि जो लोग दानशीलता की इस शिक्षा के बावजूद अपनी मनोवृत्ति क कारण रूपये जुटाने और माल समेटने के आदी हों, या जिनके पास किसी न किसी रूप में माल जमा हो जाए, उनके माल में से भी कम से कम एक हिस्सा समाज के कल्याण और समृद्धि के लिए अवश्य निकलवाया जाए । इसी चीज़ का नाम ज़कात है, और इस्लाम की अर्थव्यवस्था में इसको इतना महत्व प्रदान किया गया है कि इसको इस्लाम के स्तम्भों में शामिल कर दिया गया है । नमाज़ के बाद सबसे अधिक इसी पर ज़ोर दिया गया है और स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि जो आदमी दौलत इकट्ठा करता है उसकी दौलत उसी के लिए हलाल (वैध) नहीं हो सकती जब तक कि वह ज़कात न अदा करे । क़ुरआन में है :

"(ऐ नबी), तुम उनके मालों में से एक सदक़ा[3] लेकर उन्हें पाक करो और उन (की आत्मा) को विकसित करो ।" (अत-तौबा : 103)

आयत के अन्तिम शब्दों में साफ़ ज़ाहिर होता है कि मालदार आदमी के पास जो दौलत इकट्ठा होती है वह इस्लाम की दृष्टि में एक गंदी चीज़ है, एक नापाकी है और वह पाक नहीं हो सकती जब तक कि उसका मालिक उसमें से हर साल कम से कम एक निर्धारित मात्रा अल्लाह की राह में न ख़र्च कर दे । 'अल्लाह की राह' क्या है ? अल्लाह तो बेनियाज़ (निस्पृह) है, उसको न आपका माल पहुंचता है न ही वह इसका इच्छुक है । उसकी राह बस यही है कि आप स्वयं अपने क़ौम के तंगहाल लोगों को ख़ुशहाल बनाने की कोशिश करें और ऐसे लाभकारी कामों को बढ़ाएं जिनका फ़ायदा सारी क़ौम को प्राप्त होता है । क़ुरआन में है :

"सदक़े (ज़कात) तो वास्तव में फ़क़ीरों (ग़रीबों) और मुहताजों के लिए हैं,[4] और उन कर्मचारियों के लिए जो इस (सदक़े के काम) पर लगे हों, और उनके लिए जिनके दिलों को परचाना हो[5] और गर्दनों को छुड़ाने में और क़र्ज़दारों की सहायता करने में, और अल्लाह के मार्ग में, और मुसाफ़िर की सहायता में लगाने के लिए हैं ।"[6]

(अत-तौबा : 60)

यह मुसलमानों की सहकारी समिति (Co-operative society) है। यह उनकी बीमा कम्पनी (Insourance Company) है । यह उनकी भविष्य निधि (Provident Fund) है । यह उनके लिए कारून का ख़ज़ाना है । यह उनके असहायों, अपाहिजों, बीमारों, अनाथों, विधवाओं और बेरोज़गारों के पालन-पोषण का माध्यम है और इन सबसे बढ़कर यह वह चीज़ है जो मुसलमान को कल की चिन्ता से बिल्कुल निस्पृह (बेनियाज़) बना देती है । इसका सीधा-साधा उसूल

यह है कि आज आप मालदार हैं तो दूसरों की सहायता कीजिए । कल आप निर्धन हो गये तो दूसरे आपकी सहायता करेंगे । आपको यह चिन्ता करने की ज़रूरत ही नहीं है कि निर्धन हो गये तो क्या बनेगा ? मृत्यु हो गयी तो पत्नी-बच्चों का क्या हाल होगा ! कोई आकस्मात आपदा आ पड़ी, बीमार हो गये, घर में आग लग गयी, बाढ़ आ गयी, दीवाला निकल गया, तो इन मुसीबतों से छुटकारा पाने की क्या राह है ? यात्रा में पैसा पास न रहा तो कैसे गुज़र-बसर होगी ? इन सब चिंताओं से केवल ज़कात आपको सदैव के लिए चिंतामुक्त कर देती है । आपका काम बस इतना है कि अपनी संचित दौलत में से एक हिस्सा देकर अल्लाह की बीमा कम्पनी में अपना बीमा करा लें । इस समय आपको इस दौलत की ज़रूरत नहीं है । यह उनके काम आयेगी जिन्हें इसकी ज़रूरत है । कल जब आपको ज़रूरत पेश आयेगी या आपकी संतान को आवश्यकता होगी तो न केवल आपका अपना दिया हुआ माल बल्कि इससे भी अधिक आपको वापस मिल जाएगा ।

यहां फिर पूंजीवाद और इस्लाम के सिद्धांतों और पद्धतियों में पूर्णरूपेण प्रतिकूलता दिखायी पड़ती है । पूंजीवाद की अपेक्षा यह है कि रुपया जमा किया जाए, और उसको बढ़ाने के लिए ब्याज लिया जाए ताकि इन नालियों के द्वारा आस-पास के लोगों का रुपया भी सिमट कर इस झील में जमा हो जाए । इसके विपरीत इस्लाम यह आदेश देता है कि रुपया सर्वप्रथम तो रोककर न रखा जाए, और अगर रुक गया हो तो उस तालाब में से ज़कात की नहरें निकाल दी जाए ताकि जो खेत सूखे हैं उनको पानी पहुंचे और आस-पास की सारी ज़मीन हरी-भरी हो जाए । पूंजीवाद के तालाब से पानी लेने के लिए अनिवार्य है कि आपका ही पानी पहले से वहां मौजूद हो, अन्यथा आप एक बूंद पानी भी वहां से नहीं ले सकते । इसके मुक़ाबले में इस्लाम की ''जल-निधि'' का नियम यह है जिसके पास आवश्यकता से अधिक पानी हो वह इसमें लाकर डाल दे और जिसको पानी की आवश्यकता हो तो इसमें से ले ले । स्पष्ट है कि ये दोनों तरीक़े अपने मौलिक नियम और प्रकृति के लिहाज़ से एक दूसरे के पूर्णत: प्रतिकूल हैं, और एक ही अर्थ व्यवस्था में इन दोनों को इकट्ठा करना वस्तुत: प्रतिकूलताओं को इकट्ठा करना है जिसकी कल्पना भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कर सकता ।

5. विरासत का क़ानून

अपनी ज़रूरतों पर ख़र्च करना और अल्लाह की राह में देने और ज़कात अदा करने के पश्चात भी जो दौलत किसी एक स्थान पर सिमट कर रह गयी हो, उसको फैलाने के लिए फिर एक उपाय इस्लाम ने किया है और वह इसका विरासत का क़ानून है । इस क़ानून की मंशा यह है कि जो आदमी माल छोड़कर मर जाए, चाहे वह ज़्यादा हो या कम, उसको टुकड़े-टुकड़े करके नज़दीक या दूर के सभी रिश्तेदारों में हक़ के अनुसार फैला दिया जाए और यदि किसी का कोई वारिस (उत्तराधिकारी) न हो या न मिले तो उसे मुंहबोला बेटा बनाने का हक़ देने के बजाए उसके माल को मुसलमानों के बैतुलमाल (राजकोष या सामूहिक प्रयास से स्थापित कोष) में डाल देना चाहिए । ताकि इससे पूरी क़ौम फ़ायदा उठाये । विरासत के वितरण का यह क़ानून जैसा इस्लाम में पाया जाता है, किसी और अर्थ व्यवस्था में नहीं पाया जाता है । दूसरी अर्थ व्यवस्थाओं का रुझान इस ओर है कि जो दौलत एक आदमी ने समेट कर जमा की है वह उसके बाद भी एक या कुछ विशेष व्यक्तियों के पास सिमटी रहे ।[7] परन्तु इस्लाम दौलत के सिमटने को पसन्द ही नहीं करता । वह उसको फैलाना चाहता है ताकि दौलत की गर्दिश में आसानी हो ।

6. लड़ाई में प्राप्त शत्रु-धन और विजित माल का वितरण

इस मामले में भी इस्लाम का वही उद्देश्य सामने रखता है । लड़ाई में जो शत्रु का माल (ग़नीमत) सैनिकों के हाथ आये उसके संबंध में यह क़ानून बनाया गया है कि उसके पांच हिस्से किये जाएं, चार हिस्से सेना में बांट दिये जाएं और एक हिस्सा प्रयोजन के लिए रख लिया जाए कि राष्ट्रीय हितों पर ख़र्च हो । क़ुरआन में है :

''जान लो कि जो चीज़ 'ग़नीमत' के रूप में तुमने प्राप्त की है, उसका पांचवां हिस्सा अल्लाह का और रसूल का, और अनाथों और मोहताजों और मुसाफ़िरों के लिए है ।''

(अल-अनफ़ाल : 41)

अल्लाह और रसूल (सल्ल०) के हिस्से से अभिप्राय

उन सामूहिक प्रयोजन के हितों का हिस्सा है जिनकी निगरानी अल्लाह और रसूल के आदेशाधीन इस्लामी शासन को सौंपी गयी है ।

रसूल (सल्ल०) के रिश्तेदारों का हिस्सा इसलिए रखा गया है ताकि ज़कात में उनका हिस्सा न था । इसके पश्चात् पांचवें में तीन तबक़ों का हिस्सा विशेष रूप से रखा गया है–

■ क़ौम के अनाथ बच्चे ताकि उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रबन्ध हो और उनको जीवन-संघर्ष में हिस्सा लेने के योग्य बनाया जाए ।

■ मोहताजों जिनमें विधवा औरतें, अपाहिज, असहाय, बीमार और निर्धन सब शामिल हैं ।

■ 'इब्नुस्सबील' अर्थात मुसाफ़िर । इस्लाम ने अपनी नैतिक शिक्षा से लोगों में विशेष रूप से मुसाफ़िरनवाज़ी (आतिथ्य-सत्कार) का रुझान पैदा किया है और इसके साथ ज़कात और सदक़ों और युद्ध में प्राप्त शत्रु-धन में भी मुसाफ़िरों का हक़ रखा है । यह वह चीज़ है जिसने इस्लामी देशों में व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, और प्राचीन अवशेषों की हालातों के अध्ययन और निरीक्षण के लिए लोगों के आने-जाने में बड़ी सुगमताएं पैदा कर दीं ।

युद्ध के फलस्वरूप जो क्षेत्र और माल इस्लामी हुकूमत के हाथ आएं उनके लिए यह क़ानून बनाया गया कि इनको पूर्णतः हुकूमत के क़ब्ज़े में रखा जाए ।

क़ुरआन में है :

■ "जो कुछ ईश्वर (अल्लाह) ने अपने रसूल को बस्तियों के निवासियों से 'फ़ै'[8] में दिलवाया है वह अल्लाह और रसूल के रिश्तेदारों और अनाथों और मुहताजों और मुसाफ़िरों के लिए है ताकि यह माल तुम्हारे मालदारों ही के बीच न चक्कर खाता रहे–और इसमें उन 'हिजरत' करने वाले ग़रीबों का भी हिस्सा है जो अपने घर-बार और जायदादों से बेदख़ल करके निकाल दिये गये हैं और उन लोगों का भी हिस्सा है जो लोग इनसे पहले मदीना में ईमान ले आये थे और उन आने वाली नस्लों (पीढ़ियों) का भी जो बाद में आने वाली हैं । (अल-हश्र : 6-10)

इन आयतों में न केवल उन ख़र्चों की पुष्टि की गयी है जिनमें 'फ़ै' के मालों को ख़र्च किया जाएगा, बल्कि स्पष्ट रूप से इस उद्देश्य की ओर संकेत कर दिया गया है जिसको इस्लाम ने न केवल 'फ़ै' के मालों के वितरण में बल्कि अपनी पूरी अर्थव्यवस्था में सामने रखा है । "माल तुम्हारे मालदारों ही के बीच न चक्कर खाता रहे" यह विषय, जिसको क़ुरआन मजीद ने एक छोटे-से व्यापक अर्थ वाले वाक्य में बयान कर दिया है, इस्लामी अर्थशास्त्र की आधारशिला है ।

7. मितव्ययता का आदेश

एक ओर इस्लाम ने दौलत को क़ौम के सभी लोगों के बीच गर्दिश में रहने और मालदारों के माल में ग़रीबों को हिस्सेदार बनाने का प्रबंध किया है, जैसा कि आप ऊपर देख चुके हैं । दूसरी ओर वह हर आदमी को अपने ख़र्च में मितव्ययता और किफ़ायत करने को ध्यान में रखने का आदेश देता है ताकि लोग अपने आर्थिक संसाधनों से काम लेने में अपव्यय या कृपणता की प्रवृत्ति अपनाकर माल बढ़ाने के संतुलन को न बिगाड़ दें । क़ुरआन मजीद की व्यापक शिक्षा इस सन्दर्भ में यह है कि :

■ "न अपने हाथ को अपनी गर्दनों से बांध रखो (कि खुले ही नहीं) और न इसको बिलकुल ही खोल दो कि बाद में शोकाकुल होकर बैठे रहो ।"

(बनी इसराईल : 29)

■ "अल्लाह के नेक बन्दे वे हैं कि जब ख़र्च करते हैं तो न अपव्यय करते हैं और न कृपणता से काम लेते हैं, बल्कि दोनों के बीच माध्यमिकता पर स्थिर रहते हैं ।"

(अल-फ़ुरकान : 67)

इस शिक्षा की मंशा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ ख़र्च करे, अपने आर्थिक संसाधनों की सीमा में रहकर ख़र्च करे, न इस तरह से आगे बढ़ जाए कि उसका ख़र्च उसकी आमदनी से बढ़ जाए, यहां तक कि वह अपनी फ़िज़ूलख़र्चियों के लिए एक-एक के आगे हाथ फैलाता फिरे । दूसरों की कमाई पर डाके मारे, वास्तविक आवश्यकता के बिना लोगों से क़र्ज़ ले और फिर या तो उनके क़र्ज़ मार खाये या क़र्ज़ों का भुगतान करने में अपने सभी आर्थिक संसाधनों को ख़र्च करके अपने आपको स्वयं अपनी करतूतों से ग़रीबों और मोहताजों के दल में शामिल कर दे । न ऐसा कंजूस बन जाए कि उसके पास जितने आर्थिक संसाधन ख़र्च करने योग्य हों

उतना भी ख़र्च करे । फिर अपनी सीमा के अन्दर ख़र्च करने के भी यह अर्थ नहीं हैं कि यदि उसकी अच्छी आय हो तो अपनी सारी कमाई केवल अपने ऐश व आराम, साज-सज्जा और वैभव पर ख़र्च कर दे चाहे हाल यह हो कि उसके प्रियजन, निकट मित्र, आश्रित कठिनाई का जीवन बिता रहे हों । इस प्रकार के स्वार्थपरक ख़र्च को भी इस्लाम फ़िज़ूलख़र्ची ही मानता है । क़ुरआन में है–

"और अपने रिश्तेदारों को उसका हक़ दे और मोहताज और मुसाफ़िर को (उनका हक़ दे) । फ़िज़ूलख़र्ची न कर । फ़िज़ूलख़र्ची करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का अकृतज्ञ है ।" (बनी इसराईल : 26,27)

इस्लाम ने इस संदर्भ में सिर्फ़ नैतिक शिक्षा ही देने पर बस नहीं किया है, बल्कि उसने कंजूसी और फ़िज़ूलख़र्ची की बढ़ी हुई सूरतों को रोकने के लिए क़ानून भी बनाये हैं और ऐसी सभी सूरतों को निषिद्ध करने की कोशिश की है जो माल के वितरण के संतुलन को बिगाड़ने वाले हैं । वह जुए को हराम (अवैध) क़रार देता है । शराब और व्यभिचार (ज़िना) से रोकता है । मनोरंजन और खेल की बहुत-सी ख़र्चीली आदतों को, जिनका अनिवार्य परिणाम समय और माल की बरबादी है, निषिद्ध ठहरा देता है । संगीत के प्रति स्वाभाविक रुचि को उस सीमा तक पहुंचने से रोके रखता है, जहां इंसान इतना रम जाए कि दूसरी नैतिक और आध्यात्मिक (रूहानी) ख़राबियां पैदा करने के साथ आर्थिक जीवन में भी अव्यवस्था पैदा कर सकता हो और ऐसा हो भी जाता है । सौन्दर्य संबंधी बातों के प्रति स्वाभाविक रुझान को भी इस्लाम सीमा के अन्दर रखता है । क़ीमती वस्त्रों, मोती-हीरे के ज़ेवरों, सोने-चांदी के बर्तनों और तस्वीरों और प्रतिमाओं के बारे में नबी (सल्ल०) ने जो आदेश दिये हैं, उन सब में दूसरे हितों के साथ एक बड़ा हित यह भी सामने रखा है कि जो दौलत आपके बहुत-से ग़रीब भाइयों की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी कर सकती है, उनको जीवन-सामग्री जूटा कर दे सकती हैं, उसे केवल अपने शरीर और अपने घर की साज-सज्जा पर ख़र्च कर देना सौन्दर्यता नहीं, निर्दयता और स्वार्थपरता है । तात्पर्य यह कि नैतिक शिक्षा और क़ानूनी आदेशों दोनों तरीक़ों से इस्लाम ने इंसानों को जिस प्रकार का जीवन व्यतीत करने का निर्देश दिया है वह ऐसा सादा जीवन है कि इसमें इंसान की आवश्यकताओं और इच्छाओं का क्षेत्र इतना विस्तृत ही नहीं हो सकता कि वह एक औसत दर्जे की आय में गुज़र-बसर न कर सकता हो । और उसे अपने क्षेत्र से पांव निकालकर दूसरों की कमाइयों में हिस्सा लेने की ज़रूरत पेश आये या अगर वह औसत से अधिक आय रखता हो तो अपना तमाम माल स्वयं अपने आप पर ख़र्च कर दे और अपने उन भाइयों की सहायता न कर सके जिनकी औसत से कम आमदनी हो ।

एक सवाल

यह एक 'एलबम' है जिसमें इस्लाम के पूरी अर्थव्यवस्था को आपके सामने पेश कर दिया गया है । अब इस तस्वीर को देखिए, बार-बार देखिए, और बताइए कि इसमें आप ब्याज को किस जगह खपा सकते हैं ? इसकी रूह (आत्मा) को देखिए, इसकी बनावट को देखिए, इसके अंगों और उनके पारस्परिक संपर्क और संबंध को देखिए, इसमें ब्याजपरक जो अर्थ और उद्देश्य छिपा है उसे देखिए । इसमें लेन-देन की कहां गुंजाइश या ज़रूरत है ? इसमें कहां पूंजीवादी व्यवस्था की संस्थाओं में से किसी संस्था को रखने की जगह या इच्छा है ? अगर जवाब नहीं में है और वस्तुतः नहीं में होना चाहिए, तो इसके बाद दोबारा एक गहरी नज़र इस तस्वीर पर डालिये और बताइये कि इसमें नैतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से कहां आपको दोष दिखायी पड़ता है ? नैतिकता और सामाजिकता के सर्वोच्च हित को आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़िये । यदि आजीविका ही मानव-जीवन में एक महत्वपूर्ण चीज़ है तो विशुद्ध आर्थिक हैसियत ही से देख लीजिए । क्या इस अर्थव्यवस्था के सिद्धांत और इसकी शाखाओं में कोई ख़राबी है ? क्या इसमें तर्कों (दलीलों) और साक्ष्यों (गवाहों) के ज़ोर से कोई ऐसा संशोधन किया जा सकता है जिसके बिना यह व्यवस्था अपने आपमें अधूरी हो । इससे अच्छी कोई दूसरी अर्थव्यवस्था विचारणीय नहीं हो सकती जिसमें व्यक्ति और समाज के बीच अधिकारों (हक़ों) और फ़ायदों का इससे अधिक संतुलन स्थापित किया गया हो और व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण और समृद्धि का समान ध्यान इससे अधिक अच्छे तरीक़े से सामने रखा गया हो ? अगर यह भी नहीं हो सकता

और हम विश्वासपूर्वक कहते हैं कि कदापि नहीं हो सकता । तो क्या बुद्धि का यही तक़ाज़ा है कि आप सर्वप्रथम तो अपनी कमज़ोरी से इस श्रेष्ठ अर्थव्यवस्था को छोड़कर संसार की सबसे बुरी, सबसे अधिक विनाशकारी अर्थव्यवस्था को अपनाएं । और फिर इस पर लज्जित भी न हों, अपने अन्त:करण (ज़मीर) पर गुनाह का बोझ भी न रहने दें और इस गुनाह को सवाब (पुण्य), इस दुराचार और अवज्ञा को अनुकरणीय ठहराने के लिए क़ुरआन की आयतों और नबी (सल्ल०) से रिवायत की गयी हदीसों (कथनों और कर्मों) की झूठी व्याख्या करें और इस शैतानी अर्थव्यवस्था के सभी विकृत अंशों को लेकर इस्लाम की पाक (पवित्र) और निर्मल अर्थ-व्यवस्था में जोड़ने की कोशिश करें, बिना इस लिहाज़ के कि इस्लाम के उसूल और इसकी रूह और इसके स्वभाव से इन चीज़ों की कितनी ही प्रतिकूलता हो ? पहले तो आप डॉक्टर के बताए हुए नुस्ख़े को फेंक देते हैं, स्वास्थ्य की रक्षा के उसके उपाय से बचते और इन्कार करते हैं जो परहेज़ उसने सुझाये है उस पर अमल नहीं करते । फिर जब मर्ज़ बढ़ता है और मौत सामने नज़र आती है तो उसी डॉक्टर से कहते हैं कि जिस नीम हकीम के नुस्ख़ों ने मुझे बीमार कर दिया है उसी का नुस्ख़ा तू अपने हाथ से लिख दे । जिन बदपरहेज़ियों ने मुझे मौत के नज़दीक ला दिया है उन्हीं की अनुमति दे दे । जिस चीज़ को तूने विष बताया था उसी को कह दे कि यह विषनाशक है । आख़िर इस बिडम्बना का कोई अंत भी है ?

संदर्भ

1. इसी बात की ओर इस हदीस में संकेत है जिसमें नबी (सल्ल०) ने कहा कि "यद्यपि कितना ही ज़्यादा हो परन्तु अंतत: वह (पूंजीपति) कमी की तरफ़ पलटता है ।" (इब्ने माजा, बैहक़ी, अहमद)

2. संकेत है उस ख़ौफ़नाक मंदी की ओर जो इस किताब को लिखने के समय थी । (आज भी स्थिति अधिक सुधरी नहीं है–अनुवादक)

3. 'एक सदक़ा' के शब्द से स्पष्ट है कि इससे अभिप्राय एक विशुद्ध मात्रा सदक़ा है और नबी (सल्ल०) को इसके वसूल करने का हुक्म यह ज़ाहिर करता है कि सामान्य रज़ामंदी के साथ दिये जाने वाले सदक़ों के अलावा यह एक अनिवार्य सदक़ा है जो अनिवार्यत: मालदार लोगों से वसूल किया जाएगा । अतएव इस आदेश के अनुसार नबी (सल्ल०) ने विभिन्न प्रकार के मालों के मामले में दौलत एक मात्रा निर्धारित की जिस से कम दौलत पर अनिवार्य सदक़ा न लिया जाएगा । फिर आपने दौलत की मात्रा या इससे अधिक दौलत पर विभिन्न चीज़ों के मामले में विभिन्न दरों से ज़कात देने को कहा । सोने और चांदी और नक़द राशि पर यह ज़कात ढाई प्रतिशत वार्षिक है । कृषि पैदावार जो वर्षा के पानी वाली ज़मीनों से हो, पर 10 प्रतिशत और कृत्रिम सिंचाई की ज़मीनों में पांच प्रतिशत । व्यापारिक मालों पर ढाई प्रतिशत, खानें जो निजी मिल्कियत में हों और गड़े हुए धन पर 20 प्रतिशत । इसी तरह मवेशी पर भी, जो नस्ल बढ़ाने और बेचने के लिए हों, विभिन्न जानवरों के मामले में विभिन्न दरें नबी (सल्ल०) ने निर्धारित कीं जो फ़िक़्ह (धर्मशास्त्र) की किताबों में वर्णित हैं ।

4. फ़क़ीर (ग़रीब) से अभिप्राय वह व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकता से कम जीविका पाने के कारण सहायता का पात्र हो फ़क़ीर और मोहताज की पहचान हज़रत उमर (रज़ि०) ने यह बयान की है कि वह ऐसा आदमी है जो कमा न सकता हो, या कमाने का अवसर न पाता हो । इस परिचय को देखते हुए वे ग़रीब बच्चे जो अभी कमाने के योग्य न हुए हों और वे अपाहिज और बूढ़े जो कमाने के योग्य न रहे हों, और वे बेरोज़गार या बीमार जो अस्थायी रूप से कमाने के अवसरों से वंचित रह गये हों–सब मोहताज हैं ।

5. इसमें वे नवमुस्लिम आ जाते हैं जो इस्लाम में दाख़िल होने के कारण कठिनाइयों में फंस गये हों ।

6. मुसाफ़िर, अगर अपने घर पर धनी भी हो तो सफ़र की हालत में तंगी हो जाए, वह ज़कात का पात्र हो जाता है ।

7. बड़े बेटे के उत्तराधिकार का क़ानून (Primogeniture) और संयुक्त परिवार प्रणाली (Joint Family System) इसी उद्देश्य पर आधारित है ।

8. 'फ़ै' उस माल को कहते हैं जो विरोधी दल से बिना लड़े प्राप्त हो । बनू नज़ीर पर चढ़ाई की गयी परन्तु लड़ने की नौबत नहीं आयी थी । इस अवसर पर मुसलमानों के क़ब्ज़े में आने वाले माल को 'फ़ै' कहा गया ।

–अनुवादक

वर्तमान अर्थव्यवस्था का मूल दोष और उसका निवारण

❖ रोशन लाल अग्रवाल

अर्थव्यवस्था सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानी जा सकती है । क्योंकि इसका संबंध सभी लोगों की भौतिक आवयकताओं की पूर्ति से होता है और उनकी निरन्तर पूर्ति के बिना व्यक्ति के सुखद जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती । अत: अर्थव्यवस्था की उपयुक्तता और सफलता की कसौटी मुख्य रूप से यह है कि वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी प्रकार के साधन पर्याप्त मात्रा में न्यूनतम समय और न्यूनतम श्रम में निरन्तरता के साथ उपलब्ध कराते रहने में समर्थ हो । अर्थात न केवल उपभोग के सभी पदार्थों का प्रचुर मात्रा में उत्पादन हो बल्कि इस लाभ का वितरण समाज के सभी लोगों में न्यायपूर्वक हो जिससे एक भी व्यक्ति अपने न्यायपूर्ण अधिकार से वंचित न हो ।

वर्तमान अर्थव्यवस्था का मूल दोष यह है कि यह अपने लाभ का समाज में न्यायपूर्ण वितरण नहीं करती । इससे पैदा होने वाले लाभ का अधिकांश भाग मुट्ठी भर लोगों को मिल रहा है और समाज का विशाल भाग अपने न्यायपूर्ण अधिकार से वंचित है । इस ग़लत वितरण के कारण ही समाज में गम्भीर आर्थिक असमानता की स्थिति पैदा होती है जो लोगों में सामंजस्य के लिए बनाये गये सारे ताने-बाने को ध्वस्त कर रही है । इसके कारण ही समाज में हर स्तर पर भीषण टकराव दिखलायी पड़ता है जिसके कारण हर आदमी की सुरक्षा को ख़तरा पैदा हो रहा है । अन्याय से उत्पन्न आर्थिक समानता की यह खाई निरन्तर बढ़ती जा रही है और इसी के साथ समाज में हर स्तर पर टकराव, असुरक्षा और विनाश की भयानकता भी बढ़ती जा रही है । लोगों में परस्पर सद्भाव, सहयोग, और पूरकता के संबंध समाप्त होते जा रहे हैं । ये स्थितियां व्यक्ति, परिवार, गांव, शहर, प्रान्त, राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रीय, हर स्तर पर दिखायी पड़ रही है । इस स्थिति ने हर आदमी को स्वार्थी और धूर्त बनने को मजबूर कर दिया है और उसकी उदारता व कोमल मानवीय संवेदनाओं को बुरी तरह कुचल कर रख दिया है । इसके कारण धरती का हर क्षेत्र अनेक प्रकार के आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, जघन्य अपराधों व षड्यंत्रों के अघोषित युद्धक्षेत्र में बदल कर रहा गया है । संतोष और शान्ति ग़ायब हो गये हैं । अत: अन्याय से उत्पन्न इन अनेक समस्याओं का एकमात्र स्थायी व सरल समाधान अर्थ का न्यायपूर्ण वितरण है । न्याय के आधार पर हमको यह स्वीकार करना होगा कि प्रकृति में पाये जाने वाले सभी पदार्थों पर सभी व्यक्तियों का समान अधिकार है । इस अधिकार का संबंध व्यक्ति की योग्यता, क्षमता या पुरुषार्थ से नहीं बल्कि जन्म से है । किन्तु हमको यह भी स्वीकार करना होगा कि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की योग्यता, क्षमता और पुरुषार्थ की स्थितियां समान नहीं होती और इनका भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान होता है इसलिए अर्थव्यवस्था से उत्पन्न होने वाले शुद्ध लाभ का वितरण भी इन समानताओं और भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही होना चाहिए ।

अर्थव्यवस्था में जिसे हम उत्पादन या निर्माण कहते हैं उसमें मूल रूप से हम प्रकृति में पाये जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों का रूपान्तरण करते हैं ताकि उन्हें उपभोग योग्य बनाया जा सके । इसके लिए हमें बौद्धिक और शारीरिक श्रम करना पड़ता है । इस प्रकार इस रूपान्तरण के दो मुख्य घटक होते हैं–1. मूल प्राकृतिक संसाधन 2. शारीरिक व बौद्धिक श्रम । मनुष्य का निरन्तर यह प्रयास रहा है कि उसे उत्पादन या निर्माण की उपरोक्त प्रक्रिया में कम से कम श्रम करना पड़े । भौतिक विज्ञान की कल्पनातीत उन्नति, जिसने मनुष्य को अनेक प्रकार के यन्त्र व उपकरण प्रदान किये हैं,

मनुष्य की इसी इच्छा का परिणाम हैं । इसके कारण मनुष्य के उपभोग की अनेक वस्तुएं भारी मात्रा में उपलब्ध हैं । अनेक प्रकार के यंत्रों की सहायता से होने वाले उत्पादन में मानवीय श्रम की भूमिका निरन्तर घटते-घटते गौण होती जा रही है ।

किन्तु अब सवाल यह है कि मनुष्य के ज्ञान-विज्ञान के निरन्तर विकास के कारण उत्पन्न हुए इस अतिरिक्त लाभ का समाज में वितरण किस प्रकार हो जिसे हम न्याय की कसौटी पर खरा कह सकें । इसके लिए हमें उत्पादन या निर्माण में लगने वाले दोनों मूल घटकों पर ध्यान देना होगा । उत्पादन या निर्माण का मुख्य घटक प्राकृतिक संसाधन हैं । सभी प्रकार की मशीनें व उपकरण आदि सभी प्राकृतिक संसाधनों से ही निर्मित होती हैं और चूंकि प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान स्वामित्व है इसलिए इनसे प्राप्त अतिरिक्त लाभ को सामूहिक या संयुक्त लाभ माना जाना चाहिए और इस कार्य में श्रम के भाग पर उस व्यक्ति का हक़ माना जाना चाहिये जिसने श्रम किया है । इस प्रकार न्यायपूर्ण वितरण से कुछ भी श्रम न करने वाले या कम श्रम करने वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक श्रम करने वाले व्यक्ति को लाभ का अधिक भाग मिलना चाहिए और सभी लोग अपने-अपने न्यायोचित भाग का उपभोग करने के लिए स्वतंत्र हों ।

अत: अर्थव्यवस्था से प्राप्त सम्पूर्ण लाभ का न्यायपूर्ण वितरण करने पर सब लोगों को लाभ की कुल मात्रा समान न होकर असमान होनी चाहिए । इसके साथ-साथ यह बात भी स्पष्ट होनी चाहिये कि हर आदमी इस लाभ का उपभोग करने के लिए तो स्वतंत्र हो किन्तु उसका संग्रह करने के लिए नहीं । व्यक्ति को जो आय प्राप्त होती है वह उसका एक भाग ही उपभोग में ख़र्च करता है और शेष भाग को सम्पत्ति के रूप में संग्रहित करता है, ताकि भविष्य में वह उसका उपभोग कर सके । सम्पत्ति के रूप में संग्रहित ये साधन ही उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं जिसके कारण इनसे अतिरिक्त लाभ उत्पन्न होता है । साधनों की इस महत्वपूर्ण भूमिका के कारण ही धन पर ब्याज की उत्पत्ति होती है । स्पष्ट है कि धन पर ब्याज के रूप में मिलने वाला लाभ व्यक्ति के परिश्रम के कारण नहीं बल्कि साधनों की भूमिका के कारण मिलने वाला अतिरिक्त लाभ है । इसलिए न्याय के आधार पर इस पर व्यक्ति का स्वामित्व भी नहीं माना जा सकता ।

इसलिए न्यायपूर्ण वितरण के लिए व्यक्ति को एक सीमा तक ही सम्पत्ति के संग्रह की स्वतंत्रता दी जा सकती है । अत: एक व्यक्ति को एक सीमा से अधिक संग्रह की छूट केवल इश शर्त के साथ दी जा सकती है कि वह इसके लिए समाज का क़र्ज़दार है और समाज को वह इसका ब्याज देगा । इसे आप इस अतिरिक्त सम्पत्ति का किराया या रायल्टी भी कह सकते हैं । इस अतिरिक्त सम्पत्ति से ब्याज या किराये के रूप में जो भी आय होगी वह समाज की सामूहिक आय होगी न कि व्यक्ति की । न्याय के आधार पर सम्पत्ति संग्रह का यह अधिकार भी सब लोगों के लिए समान होना चाहिए ।

इस सम्पूर्ण विश्लेषण के आधार पर व्यक्ति के सम्पत्ति संग्रह की अधिकतम सीमा का निर्धारण उस समय की सम्पन्नता की स्थिति के आधार पर तय करना होगा जिसकी मात्रा निरन्तर बदलती रहेगी । इसके लिए निजी सम्पत्ति की कुल मात्रा को उस समय की जनसंख्या से भाग दिया जाना चाहिए और उससे प्राप्त मात्रा ही एक व्यक्ति का मूलभूत सम्पत्ति अधिकार होगा जिस पर उसे समाज को कोई ब्याज या किराया नहीं देना होगा किन्तु इससे अधिक मात्रा पर उसे ब्याज के रूप में समाज को देना होगा । सम्पत्ति की यह मात्रा सबके लिए समान अर्थात औसत सीमा तक होगी । यही एक नागरिक का मूलभूत न्यायपूर्ण सम्पत्ति अधिकार होना चाहिए । अत: न्यायपूर्ण वितरण के लिए इस सूत्र को अपनाया जाना चाहिए ।

एक नागरिक को औसत सीमा तक सम्पत्ति रखने का मूलभूत अधिकार होना चाहिए और इससे अधिक मूल्य की निजी सम्पत्ति पर प्रचलित ब्याज की दर से कर लगा दिया जाना चाहिए व इसका वितरण सभी नागरिकों में समान रूप से कर दिया जाना चाहिए ।

सम्पत्ति का मूल्यांकन

सम्पत्ति की सीमा का निर्धारण और उस पर कर लगाने के लिए उसका मूल्यांकन करना आवश्यक है । न्याय के आधार पर सम्पत्ति के मूल्यांकन का पहला अधिकार उसके

संग्रहकर्ता का होना चाहिए और दूसरा अधिकार समाज का । ऐसा करना इसलिए आवश्यक है कि सम्पत्ति का कम मूल्यांकन समाज के साथ अन्याय होगा और अधिक मूल्यांकन व्यक्ति के साथ । अत: सही मूल्यांकन के लिए पहले संग्रहकर्ता अपनी सारी सम्पत्तियों का पूरा-पूरा विवरण और उनका पृथक-पृथक वर्तमान मूल्य बताए किन्तु कोई अन्य व्यक्ति यदि उसके द्वारा लगाये गये मूल्य से न्यूनतम 20 प्रतिशत अधिक मूल्य लगाकर क्रय करना चाहता हो तो उसे सम्पत्ति का स्वामित्व लगायी गयी धनराशि लेकर हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए तथा पूर्व स्वामी को यह धनराशि प्रदान कर दी जानी चाहिए । इस हस्तान्तरण या क्रय-विक्रय में सरकार या प्रशासन की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए ।

निजी सम्पत्ति की गोपनीयता को ख़त्म करना

वर्तमान अर्थव्यवस्था को प्रमुख दोषों में निजी सम्पत्ति की गोपनीयता का क़ानून बेहद महत्वपूर्ण है । इसे अनेक विकृतियों की जननी भी कहा जा सकता है । इसको ख़त्म किए बिना वर्तमान अर्थव्यवस्था को न्यायोचित स्वरूप नहीं दिया जा सकता । इसको समाप्त किये बिना न तो उपरोक्त प्रकार से सम्पत्ति का सही मूल्यांकन करना सम्भव है और न ही हस्तांतरण ।

किन्तु उससे भी ख़तरनाक बात यह है कि निजी सम्पत्ति की गोपनीयता के काले क़ानून के कारण व्यक्ति की झूठ बोलने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, सत्ता में बैठे लोग व्यक्ति को ब्लैकमेल करते हैं और शेष पूरा समाज अधिकार-विहीन हो जाता है । इसके कारण ही सत्ता और सम्पत्तिवानों में अपवित्र गठजोड़ होता है जिससे पूरा समाज उनके षड्यंत्रों का शिकार होता है । इस प्रकार के प्रावधान पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और अनुचित हैं । इन प्रावधानों का ही यह परिणाम है कि आज देश के सारे नागरिक अपनी आय और सम्पत्ति का नितान्त झूठा वितरण अपनी आयकर विवरणी (आई०टी०आर०) में दे रहे हैं । एक भी सम्पन्न नागरिक की यह विवरणी सत्य की कसौटी पर खरी नहीं है । अर्थात इस समय सत्य के आधार पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभाध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सबका रिटर्न झूठा है ।

ऐसी स्थिति में देश के सारे शासक-प्रशासक, उद्योग-व्यापार, कृषि तथा सेवा के सभी क्षेत्रों में रहकर सम्पन्नता का जीवन जीने वाले लोग समाज को अपनी आय व सम्पत्ति का झूठा विवरण देकर धोखा दे रहे हैं और इसका दंड ही देश के अधिकांश लोग ग़रीबी, बेरोज़गारी, अन्याय, अभाव, शोषण और ग़ुलामी के रूप में भोग रहे हैं ।

अन्तिम निष्कर्ष यह है कि यदि केवल औसत सीमा से अधिक सम्पत्ति रखने वाले मात्र 12 लाख लोगों की सम्पत्ति पर कर लगा दिया जावे तो उस एक ही कर से सारे करों से होने वाली आय से कम से कम दस गुनी आय हो सकेगी । इससे अन्य सभी करों को आसानी से हटाया जा सकेगा और उल्टे हर नागरिक को लाभांश के रूप में प्रति माह दस हज़ार रुपये निरन्तर दिये भी जा सकेंगे ।

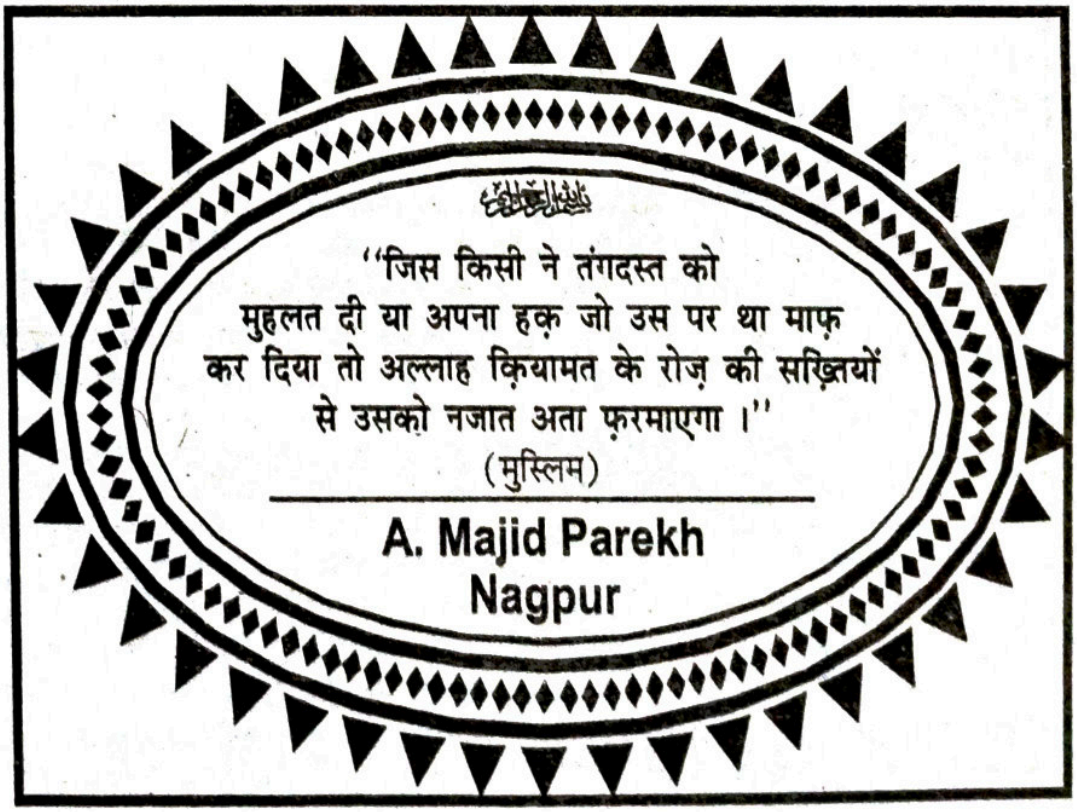

अनाथ लड़कों की पुकार

VOICE OF ORPHAN BOYS

यतीमख़ाना इस्लामिया (गया)

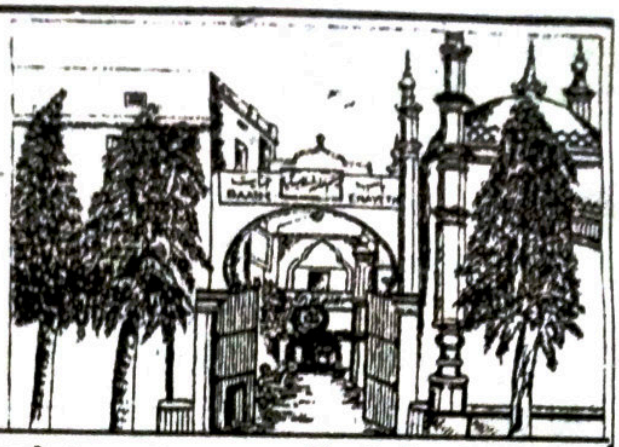

एक परिचय

• दीनी और असरी शिक्षा की अपनी तरह की जानी-मानी रिहाइशी पाठशाला • 96 वर्षों की सेवाएं • बहुत से विभाग • शिक्षा के पड़ाव : प्राथमिक से मैट्रिक तक • हिफ़्ज़ का विभाग : हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक • हर वर्ष बिहार स्कूल बोर्ड परीक्षा का 100 प्रतिशत रिज़ल्ट • पत्राचार शिक्षा 2013-2014 के सत्र के लिए 11वीं, 12वीं और बी०ए० और लाइब्रेरी साइंस (BLIS) में प्रवेश जारी • कंप्यूटर की भी शिक्षा • किफ़ाला स्कीम के तहत एक अनाथ छात्र पर वार्षिक ख़र्च 12000/- रुपये प्रति वर्ष • कुल वार्षिक ख़र्च 18 लाख से अधिक • आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे • 100 अनाथ बच्चे जिनका पूरा ख़र्च इदारा ही उठाता है ।

• जिस रूप में संभव हो मदद करके अल्लाह से बड़ा इनाम प्राप्त करें–उदाहरण के लिए • ज़कात • सदक़े • अतिया • पैदावार की ज़कात • क़ुरबानी की खाल • एक अनाथ बच्चे का वार्षिक ख़र्च • अपने या किसी बुज़ुर्ग के नाम पर क़मरा या हॉल बनवाना आदि ।

• याद रखें यहां हर वर्ष ऑडिट (Audit) भी कराया जाता है । आप खुद यतीमख़ाना इस्लामिया पहुंच कर बराबरी का व्यावहारिक नमूना अपनी आंखों से देखें कि किस प्रकार अनाथ और मां-बाप वाले बच्चे मिल-जुलकर रहा करते हैं ।

नोट : इनायत टेक्निकल इंस्टीट्यूट (Technical Institute) की इमारत के निर्माण का काम अंतिम पड़ाव पर है।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

नोट : यह इदारा विदेशी मुद्रा के क़ानून FCRA के तहत भी रजिस्टर्ड है ।

Foreign Donors विदेशी चन्दा देने वाले

अब आप विदेश से BANK A/c No. 300402010000187

BANK CODE NO. UBININBBJAM,

UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

में अपनी रक़म भेज सकते हैं

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें–THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE

चेक, ड्राफ़्ट, मनीऑर्डर या ख़त भेजने का पता

Hon. SECRETARY, THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE

At+P.o : CHERKI-824237, Distt : GAYA (BIHAR) INDIA

LOCAL DONARS मक़ामी चन्दा देने वाले

BANK A/C NO. : 10581, UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

Bank IFS Code No. : UBIN 0530042

CORE BANKIN G A/C NO.: 300402010010581, Mobile : 9955655960, 09801213022

E-mail : gmocde@yahoo.co.in, Website : www.gmogaya.com

नोट : कोर बैंकिंग वाले हज़रात E-mail या डाक से अपना मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि उसी पते पर रक़म की रसीद रवाना की जा सके ।

अध्यक्ष : डॉ० फ़रासत हुसैन — एज़ाज़ी नाज़िम : डॉ० मुहम्मद एहतिशाम रसूल

खेल संस्थाओं पर हो खिलाड़ियों का नियंत्रण : सुप्रीम कोर्ट का आदेश कितना प्रासंगिक ?

■ डॉ॰ पुरुषोत्तम मीणा 'निरंकुश'

भारत की न्यायपालिका पर अनेक बार खुद शीर्ष अदालत के प्रमुख जज ही भ्रष्ट होने का आरोप लगा चुके हैं । इसके बाद भी लोगों को अभी भी न्यायपालिका में ही उम्मीद की किरण नज़र आती है । यह अलग बात है कि न्यायपालिका की ओर से भी न्याय को कसौटी पर कसने के बजाय भावनाओं की कसौटी पर कसने वाले निर्णय सामने आ रहे हैं, जिनके बारे में मीडिया खुलकर के कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है । जिसका एक ही कारण है–''न्यायिक अवमानना'' की तलवार, जो कभी भी और किसी के भी सिर पर गिर सकती है । इसी श्रृंखला में देश में राष्ट्रीय खेल हॉकी की दयनीय स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उच्चतम न्यायलय ने 5 दिसंबर 2013 को कहा कि खेल संस्थाओं की कमान नेताओं और कारोबारियों के हाथों में होने के कारण खेलों का नुक़सान हो रहा है । न्यायालय का कहना था कि इन लोगों को इन संस्थाओं को खिलाड़ियों के लिए छोड़ देना चाहिए ।

सर्वोच्च अदालत के न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति जे॰ चेलामेश्वर की खंडपीठ ने सख़्त लहजे में कहा कि ''लोग निजी स्तर पर खेलों को चला रहे हैं ।'' उन्होंने तल्ख़ टिप्पणियां करते हुए कहा कि यह दुखद स्थिति है कि खेलों के प्रशासन की बागडोर संभालने वाले व्यक्तियों का खेल से कोई लेना-देना नहीं है और वे खेल की क़ीमत पर संस्थाएं चला रहे हैं । भारत में खेलों पर निजी लोगों का नियंत्रण है । क्या खेलों को निजी हित बंधक बना सकते हैं । यही वजह है कि हॉकी का स्तर गिरता जा रहा है और कभी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले हम इस समय इसमें क्वालीफ़ाई करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं । इसके अलावा भी न्यायाधीशों ने बहुत-सी बातें कही और सारी बातों का सार यह है कि शीर्ष कोर्ट की नज़र में सरकार खेलों को अपने नियंत्रण में लेने में असफल रही है, इसके कारण दिनोंदिन खेलों का सत्यानाश हो रहा है ।

यहां पर सवाल ये उठता है कि उपरोक्त मामले में निर्णय करने से पूर्व कोर्ट को इस बात का परीक्षण क्यों नहीं करना चाहिए कि खेल संघों की स्थापना और गठन के बारे में बनाए गये क़ानूनों और नियमों में इस बात का उल्लेख या प्रावधान क्यों नहीं है कि खेल संगठनों की स्थापना और संचालन का कार्य केवल और केवल संबंधित खेल के पूर्व खिलाड़ियों के द्वारा ही किया जाएगा । तब ही उनकी स्थापना हो सकेगी और यदि क़ानूनों और नियमों में इस बात का उल्लेख या प्रावधान नहीं है तो खेल संघों की स्थापना होगी और उनका गठन एवं संचालन मनमाने या जैसे भी तरीक़े से संचालक चाहेंगे होना लाज़िमी है । इसमें कोई भी सरकार तब तक कुछ नहीं कर सकती, जब तक कि इस बारे में भारत की संसद द्वारा नीतिगत निर्णय नहीं लिया जा जाता है । साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि अकेला खेल ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र या ग़ैर-सरकारी क्षेत्र नहीं है जो राजनेताओं और व्यावसायियों के हाथों या शिकंजे में है और इस कारण से वे खेलों का सत्यानाश कर रहे हैं । यदि हम बिना पूर्वाग्रह के विचार करें तो पाएंगे कि खेलों में तो कुछेक खिलाड़ियों का कैरियर ही दांव पर लगा होता है, जबकि देश में गली-गली में कुकरमुत्तों की तरह उग आए स्कूलों में तो सारे देश का ही भविष्य दांव पर लगा हुआ है ।

ग़ैर-सरकारी शिक्षा संस्थानों का संचालन ऐसे लोगों के हाथों में है, जिनका शिक्षा से दूर का भी रिश्ता नहीं है । यदि गहराई में जाकर देखा जाए तो पाएंगे कि किसी ज़माने में नामी गुंडे रह चुके और अभी भी अनेक वीभत्स अपराधों में कोर्ट के चक्कर काट रहे लोग और भ्रष्टाचार के ज़रिये अकूत सम्पत्ति कमाने वाले पूर्व अफ़सर या व्यावसायी शिक्षा संस्थानों का मनमाने तरीक़े से सीधे संचालन कर रहे हैं । इसी प्रकार से स्वास्थ्य संस्थान भी लोगों के स्वास्थ्य की

रक्षा के प्राथमिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि धनोपार्जन के प्राथमिक और अंतिम लक्ष्य को सामने रखकर ही चलाए जा रहे हैं। ग़ैर-सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में केवल और केवल वही लोग उपचार करवा सकते हैं, जिनकी जेब में अनाप-शनाप रुपया हो या जो अपने बीमार की ख़ातिर अपनी अचल सम्पत्ति को बेचने को तैयार हो। यही नहीं प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया का संचालन भी ऐसे लोगों के हाथों में है, जिनका मीडिया के बारे में शून्य ज्ञान है, लेकिन वे ही निर्धारित करते हैं कि उनके मीडिया या प्रेस में किस पद कर कौन-सा पत्रकार पदस्थ होगा। यही नहीं मीडिया मालिक के हुकुम के बिना पत्ता नहीं हिलता है। ऐसे में मीडिया द्वारा देश को गुमराह करना बड़ा आसान है और किया भी जा रहा है। जो सम्पूर्ण समाज के लिए अत्यंत घातक है।

अनेक अन्य ग़ैर-सरकारी क्षेत्रों के बारे में भी यही स्थिति है। सड़कों, पुलों, बांधों आदि का निर्माण करने का जिन लोगों को ठेका दिया जाता है, उनको इन विषयों का शून्य ज्ञान होता है। इन सबके बारे में ये तर्क दिया जाता है कि स्वास्थ्य, शिक्षण एवं मीडिया संस्थानों में किराये पर योग्य लोगों को रखा जाता है और वही लोग काम करते हैं। इन क्षेत्रों में तकनीकी रूप से अयोग्य लोगों का होना चलेगा। मगर यही बात खेलों पर क्यों लागू नहीं होती, जबकि खेल संगठन खिलाड़ियों का चयन करने के लिए पूर्व खिलाड़ियों के नेतृत्व में समिति का गठन करते हैं। खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए नामी देशी-विदेशी कोच तक किराये पर लाए जाते हैं। ऐसे में खेल प्रशासकों का खेल का सत्यानाश करने में सीधे तौर पर क्या योगदान है ?

फिर भी यदि सुप्रीम कोर्ट की राय में खेल प्रशासकों का खेलों का सत्यानाश करने में योगदान है तो स्वास्थ्य, शिक्षा, मीडिया, निर्माण और हर उस क्षेत्र में जहां ग़ैर-तकनीकी लोगों का नियंत्रण है, उनके द्वारा अपने कार्यों में गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है। केवल इसी आधार पर यदि खेल संघों को राजनेताओं और व्यवसायियों के शिकंजे से मुक्त किया जाएगा तो कल को सरकार का संचालन करने वालों को भी तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित करना कौन-सा बड़ा काम होगा ? खेल प्रशासक यदि खेलों का सत्यानाश कर रहे हैं तो फिर राजनेता तो सारे देश का ही सत्यानाश कर रहे हैं ?

ये एक ऐसा विषय और सवाल है, जिसके आधे-अधूरे समाधान खोजना ख़तरे से खाली नहीं है। तकनीकी रूप से योग्य व्यक्ति निष्ठावान होंगे और वे वास्तव में अपने कर्तव्यों पर खरे ही उतरेंगे, इस बात का क्या सबूत है ? यदि ऐसा रहा होता तो स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ये नहीं कहना पड़ता है कि न्यायपालिका में भी बीस प्रतिशत भ्रष्ट जज हैं। अत: यहां पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करने के बजाय हर बुद्धिजीवी को इस बारे में खुले मन से और बिना पूर्वाग्रह के विचार करने की ज़रूरत है कि आख़िर हमारी देश की व्यवस्था पर आये दिन टिप्पणी करने वाली न्यायपालिका जो कभी दूसरी बीवी को अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी देने का आदेश देती है, कभी पति को दो पत्नियों में बांटने की बात करती है। कभी दूसरी बीवी को गुजारा भत्ता देने का आदेश देती है। कभी हड़ताल को ग़ैर-क़ानूनी और असंवैधानिक ठहराती है और आरक्षित लोगों के विरुद्ध हड़ताल करने वालों के हक़ों को छीनने वालों की हड़ताल को न मात्र सही ठहराती है, बल्कि उन्हें हड़ताल अवधि का वेतन देने का भी सरकार को आदेश देती है।

कभी विवाह से उकता चुके और विवाह की ज़िम्मेदारी नहीं उठाने वाले लोगों द्वारा प्रतिपादित 'लिव इन रिलेशनशिप' व्यवस्था को वैधानिक क़रार देकर, इसे भी विवाह जैसा ही बंधन बनाने की वकालत करती है। इन सब बातों से दो बातें साफ़ होती हैं कि एक ओर तो देश की राजनैतिक सत्ता एवं शासन व्यवस्था अकर्मण्य और अयोग्य लोगों के हाथों में है। जिसके चलते देश के सरकारी और ग़ैर-सरकारी संस्थान या तो छलांग लगा रहे हैं या कछुआ की रफ़्तार से रेंग रहे हैं। ऐसे में दूसरी बात ये भी स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार के आरोपों और सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष जज द्वारा शीर्ष स्तर पर खुली स्वीकृति के उपरांत भी न्यायपालिका आज भी खुद को पाक-साफ़ समझने के साथ-साथ देश के किसी भी संस्थान के विरुद्ध टिप्पणियां करने के लिए खुद को स्वतंत्र और सम्पूर्ण रूप से अधिकार सम्पन्न मानती है। ये दोनों ही स्थितियां ख़तरनाक हैं। इनका जब तक उपचार नहीं होगा, इस प्रकार के निर्णय आते ही रहेंगे। जिन्हें चाहे-अनचाहे झेलने के लिए देश के लोगों को तैयार रहना होगा। ऐसी स्थिति के लिए ही कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से न्याय होता हो या नहीं, न्याय हुआ हो या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानना देशवासियों की व्यवस्थागत मजबूरी है, क्योंकि उसके निर्णय के विरुद्ध कहीं अपील नहीं हो सकती। (वि०फ़ी०)

नियति

■ डॉ॰ मंजरी शुक्ल

हरे और नीले निशान मानो मेरी मां को सुहाग की निशानी के रूप में विवाह पर ही बतौर तोहफ़ा मिल गये थे । पिताजी का घर आने-जाने का कोई समय नहीं था, पर जब हम सो कर उठते तो मां की कलाइयों में टूटी चूड़ियों के घाव देखकर समझ जाते की रात में पिताजी आये थे । बचपन में मेरा खड़े-खड़े ही पेंट गीली कर देना इस बात का गवाह था कि मैं उनसे कितना थर्राता था ।

लुका-छिपी के खेल में मुझे कभी कोई नहीं हरा पाया, इसका श्रेय भी मैं पूरी निष्ठा से अपने पिताजी को ही देना चाहूंगा, क्योंकि जब भी वे घर में आते तो चोरों की तरह धीरे से घुसते ताकि उनके आने का किसी को पता नहीं चल पाये और जो भी गाना गाते या रेडियो सुनता मिल जाए वो लातें-घूंसे खाने के लिए तैयार हो जाए ।

शुरुआत में मैं बहुत ही नासमझ था और ये सोचता था कि मेरा पिटना एक इत्तिफ़ाक़ है पर जब यह सिलसिला मेरी दिनचर्या में शामिल हो गया तो मैं समझ गया कि मुझे उनकी आहट पहचाननी होगी ।

और मैं धीरे-धीरे इसका इतना अभ्यस्त हो गया कि मुझे इस खेल में मज़ा आने लगा और पिताजी के साथ-साथ मैं पूरे मुहल्ले के पैरों की आवाज़ जानने लगा । कुछ दिनों बाद तो मैंने इतनी महारथ हासिल कर ली थी कि बिल्ली को दूध पीने से पहले भी हज़ार बार सोचना पड़ता था कि कहीं मैं न पहुंच जाऊं और उसकी धुनाई कर दूं ।

मुझे अपनी मां कि हालत पर बहुत तरस आता था । पर मेरी मां अपनी ही दुनिया जीती थी और मनुस्मृति का नियमित अध्ययन करती थी जिसमे पति को देव तुल्य बताया है और पति के गंदे पैरों को धोकर पीने से मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

ख़ैर, मां की पूर्ण निष्ठा और समर्पण भी पिताजी के व्यवहार को नहीं बदल पाया । अगर कुछ बदला तो हमारी उम्र जो पल-पल बढ़ती रही और किसी को एहसास भी नहीं हुआ । पता चलता भी कैसे, पिताजी अपना वर्चस्व क़ायम करने की उधेड़बुन में बुत बने रहे, मां अपने जीर्ण-शीर्ण बीमार शरीर को किसी तरह चलाती रही और मैं एक डरपोक बालक से एक कायर पति बन गया । जब मेरी बीवी यानी शांति ने घर में क़दम रखा तो वह पहली नज़र में ही ताड़ गयी कि मेरे घर में कितना दमघोंटू वातावरण है ।

नाम तो उसका शांति था पर शांति को अशांति के द्वारा कैसे लाया जा सकता है, यह वह बख़ूबी जानती थी । थी तो वह घरेलू और संस्कारी लड़की, पर मां कि तरह अन्याय बर्दाश्त करना उसके बस के बाहर था ।

दो-तीन दिन तक तो वह नयी-नवेली दुल्हन का नक़ाब ओड़े रही पर चौथे दिन से ही उसने घर कि सारी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ली । मुझे अच्छी तरह याद है कि जब गर्म चाय की प्याली उसने मां के कांपते हाथों में पकड़ाई थी तो उस कप को देखकर मां कितनी देर फूट-फूटकर रोई थी ।

आज उनके पूरे जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने उनको इतने सम्मान के साथ बैठाकर एक प्याली चाय की पकड़ाई हो । मेरा तो यह हाल था कि जब भी मैं मां की कुछ मदद करने जाता तो पिताजी की मेहनत मेरी पीठ पर हो जाती और मैं रोता हुआ भाग जाता ।

मां को चाय देने के बाद शांति पिताजी को चाय देने गयी । बस यही बात पिताजी के अहम को चोट पहुंचाने के लिए काफ़ी थी । कप लेकर उन्होंने शांति के मुंह पर फेंक दिया ।

गर्म चाय से उसका मुंह झुलस गया और वह दर्द से चीख़ उठी । क्रोध में भरकर उसने पिताजी की ओर आग्नेय नेत्रों से देखा और बिफ़री शेरनी-सी उसी हालत मैं नंगे पैर घर से बाहर निकल गयी । मैं पागल जैसा नज़रे नीची करके कप के टूटे हुए टुकड़े बिनने लगा । डर के मारे मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था कि कहीं शांति के वापस आने पर उसे पिताजी कहीं घर से ही न निकल दे ।

क्या बचपन का ख़ौफ़ इतना भयानक हो सकता है कि

शरीर तो बढ़ता है, पर साथ का डर हज़ारों गुना । नहीं तो आज मुझ जैसा जवान और हट्ठा-कट्ठा आदमी अपने अधेड़ पिता के सामने पत्ते-सा कांप रहा है...।

तभी पिताजी गरजे–"आज ही उसको उसके मायके छोड़कर आ, नहीं तो तेरी ख़ैर नहीं है ।

ख़ैर तो अब आपकी नहीं है ।" एक रोबदार आवाज़ गूंजी ।

मैंने और बाबूजी ने पीछे मुड़कर देखा तो शांति पुलिस इंसपेक्टर और सिपाहियों के साथ खड़ी पिताजी को खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी । पिताजी के माथे पर डर के कारण पसीना आ गया, और उन्होंने गिरने से बचने के लिए मेरी बांह थाम ली । पता नहीं क्यों पिताजी को डर से कांपते देखकर मन को बहुत सुकून आया । मुझे लगा जैसे बरसों से बहते हुए मां के आंसू उसने अनजाने में ही पोंछ दिये । तभी इंसपेक्टर पिताजी के पास आकर बोला–"चलिए, थाने चलिए मेरे साथ, आपकी बहु ने आप पर उसको प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है । पिताजी को तो जैसे सांप सूंघ गया था, वह घबराहट में ये भी भूल गये कि उन्होंने शांति से एक शब्द भी नहीं कहा था, यंत्रवत उसके पीछे जाने लगे ।

तभी मां शांति को पकड़ कर रोने लगी । हड़बड़ाकर शांति ने मां को उठाया और गले से लगा लिया । फिर वह इंसपेक्टर से बड़े ही सधे शब्दों में बोली–"सर, मैं अपनी रिपोर्ट वापस लेती हूं । और अगर आगे कभी ऐसा हुआ तो मैं सीधा कोर्ट में जाऊंगी । बाबूजी की हालत तो पुलिस को देखकर ही ख़राब हो गयी थी, कोर्ट का नाम सुनते ही डर के मारे कुर्सी पर बैठ गये ।

इंसपेक्टर भी शरीफ़ था, परिस्थिति समझ कर वहां से शांतिपूर्वक चला गया ।

और दूसरे दिन से हमारे घर की काया पलट हो गयी । अब पिताजी मां का पूरा ध्यान रखने लगे । और सालों बाद मैंने यह जाना कि अन्याय के विरोध में एक बार तो खड़ा ज़रूर होना चाहिए, शायद आप न्याय आसानी से पा लें...।

"हज़रत इब्न उमर (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा : सबसे बड़ी नेकी यह है कि आदमी अपने बाप के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करे ।" **(मुस्लिम)**

डॉ॰ मज़हर बेग

मुंबई

कम्प्यूटर से जुड़े व्यवसाय

❖ अमर आनंद

संचार क्रांति का पूरे विश्व पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा है । आज कम्प्यूटर का उपयोग काफ़ी बढ़ गया है । साथ ही रोज़गार पाने के साधन के रूप में कम्प्यूटर तेज़ी से अपना स्थान पा रहा है । ऐसे में पढ़े-लिखे युवा कम्प्यूटर का विभिन्न तरीक़ों से इस्तेमाल कर अपना जीवन-यापन कर सकते हैं ।

पार्ट टाइम प्रोग्रामर : कम्प्यूटर की तकनीकी शिक्षा लेते रहने की अवधि में भी ख़ाली समय में प्रोग्रामिंग की जा सकती है । कम्प्यूटर में प्रोग्रामिंग सीखते समय इस काम को पार्ट-टाइम जॉब के रूप में किया जा सकता है ।

रेडियो पैकेजेज/प्रोग्राम के डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर : आज कम्प्यूटर में हज़ारों देशी-विदेशी साफ्टवेयर प्रोग्राम्स उपलब्ध हैं । भारतीय और विदेशी डेवलपर्स से जो सरकार द्वारा अधिकृत हैं, इसकी डीलरशिप ली जा सकती है । हिन्दी, अंग्रेज़ी और अन्य विदेशी भाषाओं के लिए वर्ड प्रोसेसिंग, डेस्क टॉप पब्लिशिंग फाइनांशियल एकाउंटिंग आदि इन प्रोग्राम्स के लिए निट, मास्टेक, सोफ्टेक, सोनाटा, डाटा प्रो, बिनारी सीमॉटिक्स, विप्रो इंफोसिज आदि सॉफ्टवेयर हाउसेज से डीलरशिप ली जा सकती है ।

देशी-विदेशी भाषाओं के अनुवादक : पर्सनल कम्प्यूटर के ट्रांसलेशन प्रोग्राम्स का प्रयोग करके जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानी आदि विदेशी भाषाओं का हिन्दी या अंग्रेज़ी में तथा हिन्दी या अंग्रेज़ी का इन भाषाओं में अनुवाद हो सकता है । अनुवादक के रूप में कैरियर हो सकता है । अनुवादक के रूप में कैरियर बनाने वालों के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग लाभकारी होगा ।

स्टाक मार्केट के लिए अपने कम्प्यूटर का इस्तेमाल : स्टाक मार्केट के बढ़ते विस्तार को ध्यान में रखकर म्यूचुअल फंड्स, ट्रेड बांड्स सेल स्टाक से संबंधित विश्लेषण प्राप्त करने में कम्प्यूटर का इस्तेमाल संभव है ।

टैक्स रिटर्न प्रीपेरेशन सेवा : आयकर से संबंधित सेवाओं के लिए कम्प्यूटर का सहयोग लेना फ़ायदेमंद रहेगा । आयकरदाताओं के लिए की जाने वाली इस सेवा में काफ़ी संभावनाएं हैं ।

मेलिंग लिस्ट्स के लिए : हर व्यक्ति या संस्था को डाक व्यवहार की आवश्यकता पड़ती है । इस अर्थ में इस पेशे का महत्व बढ़ गया है । पर्सनल कम्प्यूटर के अंदर मेलिंग लिस्ट प्रोग्राम्स डेवलप कर या सॉफ्टवेयर हाउसेज से इसे ख़रीदकर काम शुरू किया जा सकता है ।

ब्रोशर्स बनाएं : बड़ी-छोटी कंपनियां तथा विभिन्न संस्थानों के लिए ब्रोशर्स तथा पब्लिसिटी मेटेरियल्स, जिनका प्रयोग निजी प्रचार के लिए होता है, कम्प्यूटर के माध्यम से बनाया जा सकता है ।

मेमोरेंडम के आर्टिकल्स : विभिन्न कंपनियों और विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों की लगातार बढ़ती स्थापना और चार्टर्ड एकाउंटेंट की इनमें बढ़ती अहमियत में मेमोरेंडम के आर्टिकल्स तैयार करना एक नियमित और लाभप्रद काम है । किसी सी०ए० से जुड़कर इस काम को किया जा सकता है । पर्सनल कम्प्यूटर की इस काम में पर्याप्त मदद मिलेगी ।

इलेक्ट्रानिक बुक कीपिंग सर्विस : 'मुंशी' तथा 'मुनीम' की तरह एकाउंट्स लिखने का काम कम्प्यूटर के माध्यम से किया जा सकता है । एकाउंट्स कीपिंग से संबंधित रेडिमेड सॉफ्टवेयर आजकल आसानी से उपलब्ध हैं ।

प्रशिक्षण संस्थान खोलना : यदि आपने कम्प्यूटर से संबंधित पर्याप्त जानकारी हासिल कर ली है तो प्रशिक्षण संस्थान खोलकर आप भली-भांति अर्थोपार्जन कर सकते हैं । कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान का संचालन आज एक अच्छा व्यवसाय है ।

कम्प्यूटर सलाहकार : यदि आप पढ़ने, नयी तकनीकों की आत्मसात करने, समझाने और कम्प्यूटर से संबंधित विभिन्न समस्याएं सुलझाने में माहिर हों तो कंसल्टेंसी का धंधा आपके लिए सर्वथा उपयुक्त रहेगा, लेकिन एक कम्प्यूटर कंसल्टेंट के रूप में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में होने वाले नवीनतम सुधारों व अनुसंधानों पर आपक सर्वथा नज़र रखनी होगी ।

कम्प्यूटर डेटिंग सर्विस या मैरेज काउंसलिंग : पर्सनल कम्प्यूटर में 'डाटा मैनेज' करने, 'सॉर्टिंग', 'मैचिंग', 'सर्चिंग' तथा 'फाइंडिंग' आदि की जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद कम्प्यूटर डेटिंग सर्विस या मैरिज काउंसलिंग का काम शुरू किया जा सकता है ।

हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के विक्रेता : कम्प्यूटर से संबंधित बुनियादी और पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर एक कम्प्यूटर मार्ट शुरू किया जा सकता है । इसके तहत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बेचने का धंधा प्रारंभ किया जा सकता है ।

वर्ड प्रोसेसिंग सर्विस : इस कार्य को केवल एक पर्सनल कम्प्यूटर और एक साधारण वर्ड प्रोसेसर से शुरू किया जा सकता है । बाद में गुणवत्ता के लिए ज़रूरत के हिसाब से इसमें नई तकनीकें जोड़ी जा सकती हैं ।

बुक इंडेक्सिंग सर्विस : पब्लिशर्स, लेखक व आर्थर्स के लिए बुक इंडेक्सिंग सर्विस का काम भी लाभकारी रहेगा । इस कार्य में बराबर काम और समुचित दाम मिलने की संभावना है ।

टाइप सेटिंग सर्विस : डेस्क टॉप पब्लिशिंग कहे जाने वाले टाइप सेटिंग सर्विस में काम की कभी कमी नहीं होती । इस धंधे की खपत अधिक होने के कारण इसमें रोज़गार की उज्जवल संभावनाएं हैं ।

डाटा एंट्री सर्विस : विभिन्न एजेंसी, सरकारी-गैर सरकारी संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, बैंकों तथा इंश्योरेंस कंपनियों के लिए डाटा एंट्री की सेवाएं दी जा सकती हैं कम्प्यूटर के माध्यम से । इस कार्य में भी टिकाऊ रोज़गार है ।

कम्प्यूटर एनिमेटर : कम्प्यूटर की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लेंग्वेजेज का इस्तेमाल कर एलीमेंटरी ग्राफिक्स और एनिमेशंस का काम शुरू कियां जा सकता है । इस क्षेत्र में भी रोज़गार की अपेक्षित संभावनाएं हैं ।

कम्प्यूटर रिपेयरिंग : हार्डवेयर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कम्प्यूटर पुर्जे और उसके रख-रखाव से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के बाद आप कम्प्यूटर रिपेयरिंग का काम शुरू कर सकते हैं । कम्प्यूटर की रोज़मर्रा के जीवन में बढ़ती अधिकता से आपका यह काम निश्चय ही चल निकलेगा ।

इन सभी व्यवसायों के लिए (रिपेयरिंग को छोड़कर) लगभग 20000 से 25000 रु० तक पीसी-233 मॉडल का कम्प्यूटर ख़रीदकर काम शुरू किया जा सकता है । कम्प्यूटर के साथ ही विंडो 95 या विंडो 98 (ऑप्रेशनल प्रोग्राम) मौजूद है । फिर अलग-अलग तरह के व्यवसायों के लिए अलग-अलग प्रोग्राम कम्प्यूटर के अंतर्गत लगाए जा सकते हैं । प्रोग्राम्स के लिए अपने सम्पर्क और संबंधों का भी सहारा लिया जा सकता है । काम चल निकलने पर कम्प्यूटर से सम्बद्ध अन्य चीज़ों को भी जैसे प्रिंटर, सॉफ्टवेयर आदि को बढ़ाया जा सकता है । जहां तक इन व्यवसायों से जुड़ी आय की बात है तो यह संबंध सम्पर्क और व्यवसाय को विकसित करने की आपकी क्षमता पर ज़्यादा निर्भर करता है ।

कविता

भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार के दलदल में, धंसा हुआ है देश,
इसलिए बिगड़ा हुआ है, यहां सारा परिवेश ।

जो रखते भ्रष्टाचार से, मित्रता ख़ूब गहरी,
ख़ुद करता रक्षा उनकी, बनकर सच्चा प्रहरी ।

जब तक ये व्यवस्था है, ख़ूब रहेगा भ्रष्टाचार,
आप भी खाइए, खिलाइए, ये है स्वादिष्ट अचार ।

भ्रष्टाचार है आजकल, राजनीति का मंत्र,
नहीं मिटा सकोगे, कीजिए कितने ही षड्यंत्र ।

जो जपते हैं यारों, भ्रष्टाचार की माला,
हो गये इससे ख़त्म, बोफर्स, पनडुब्बी, हवाला ।

बह रही भ्रष्टाचार की, ऐसी दूषित हवा,
न हुई अब तक सार्थक, कोई भी कारगर दवा ।

होता है लोकतंत्र में, भ्रष्टाचार का सम्मान,
चुनाव जीतकर संभालते, जो सत्ता की कमान ।

कीजिए कितने ही पाप, पापी नहीं कहलाएंगे,
भ्रष्टाचार के साबुन से, सारे पाप धूल जाएंगे !?

रमेश मनोहरा
शीतला गली, जावरा (म०प्र०)

दूषित जल से पैदा होने वाली बीमारियां

■ डॉ॰ हरिसिंह पाल

जल एक उत्तम औषधि है । यह बात तभी सही प्रमाणित होती है, जब जल पूरी तरह से शुद्ध हो । लेकिन अगर जल दूषित है, तो यह कई बीमारियों को दावत भी देता है । दूषित जल किसी घातक विष की तरह शरीर के विनाश का कारण भी बन सकता है । वैसे तो दूषित जल पीने से इंसान को कभी भी संकट का सामना करना पड़ जाता है, किन्तु वर्षा ऋतु के समय इसके गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं । दूषित जल पीने से शरीर में कई प्रकार की उत्पन्न होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और विषम परिस्थितियों में जीवन की रक्षा के लिए हमारा प्रयास कैसा होना चाहिए, आइए इसी पर हम करते हैं विशेष चर्चा ।

पृथ्वी पर लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा जल से भरा हुआ है । यह जल समुद्र, नदी, तालाब, झरना जलाशय और भूमिगत स्रोतों में एकत्र रहता है । इन स्रोतों के अलावा जीव-जन्तु और पेड़-पौधों में भी जल की मौजूदगी रहती है । इस आंतरिक जल की कमी ही प्यास का एहसास कराती है । प्यास को शांत करने और भोजन को सही ढंग से पचाने के लिए सभी जीव जल पीते हैं । जल की इसी महत्ता के कारण ही जल को जीवन कहा जाता है ।

आंकड़ों के अनुसार पृथ्वी पर कुल मौजूद जल का आयतन 1.4 अरब घन किमी है, जबकि स्वच्छ जल कुल 3.5 करोड़ घन है, जो कुल आयतन का केवल 2.5 प्रतिशत है । कुल स्वच्छ जल का 70 प्रतिशत हिस्सा बर्फ़ और स्थाई हिम के रूप में पर्वतीय क्षेत्रों में फैली है और 30 प्रतिशत पवित्र नदियों, तालाबों और कुओं में ज़ल दिनों दिन दूषित होता जा रहा है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से गंभीर चिंता का विषय बन रहा है । मौजूदा समय की बड़ी समस्या दूषित जल है । नदियों और तालाबों के साथ-साथ भूमिगत जल भी है जिससे सैंकड़ों लोग संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं ।

जिन शहरों में चमड़े या रासायनिक उत्पादों की फैक्ट्रियां हैं उनका कचरा पास की नदियों में गिरता है, तो नदी का जल भी प्रदूषित हो जाता है । इस दूषित जल से गैस्ट्रोएंट्राइटिस, पेचिश या अतिसार होता है, जिससे हर वर्ष लाखों लोग मौत के शिकार बन जाते हैं । जल को प्रदूषित करने वाली अशुद्धियों में कई लवण जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट आदि मिले होते हैं ।

नदियों के प्रदूषित जल समुद्र में गिरने से समुद्र भी प्रदूषित हो चुके हैं । समुद्र के जल में शीशे के कण प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिससे समुद्र की मछलियां तथा अन्य जीव-जन्तु प्रभावित होते हैं । इसलिए जो व्यक्ति सी फूड का सेवन करते हैं, उनके अंधे होने का ख़तरा बढ़ जाता है । मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में भी विसंगति उत्पन्न हो सकती है । नदियों में कचरा गिरने से जल प्रदूषण की स्थिति लगातार भयावह हो रही है । कल-कारखानों और चिमनियों से निकले धुएं का गुबार वायुमंडल में मिलकर वायु को भी प्रदूषित कर रहा है । वायु प्रदूषित होने के कारण जब बादल बरसते हैं, तो प्रदूषित जल ज़मीन पर आता है । अम्लीय बरसात इसी कारण होता है ।

भारत जैसे उष्ण कटिबंधीय देश में दूषित जल के कारण अक्सर लोग कई बीमारियों से ग्रस्त होते हैं । बरसात के दिनों में जल से होने वाली बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ जाती है । इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार जल संक्रमण के कारण भारत में प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में लोग रोगग्रस्त होते हैं । इनमें से सिर्फ़ अतिसार अर्थात दस्त से ही हर साल कम आयु के लाखों बच्चों की मौत हो जाती है । प्रदूषित जल से कई बीमारियां होती हैं, लेकिन इनमें वायरस हेपेटाइटिस या पीलिया, पोलियो, टायफाइड, हैज़ा, अतिसार, डायरिया, अमीबायसिस, पेचिश और कृमि रोग प्रमुख हैं । अब सवाल उठता है कि जल से होने वाली प्रमुख बीमारियों के लक्षण क्या हैं और उनका उपचार कैसे किया जा सकता है ?

वायरल हेपाटाइटिस : बच्चों में वायरल हेपाटाइटिस अर्थात पीलिया होना आम बीमारी है । यह दो प्रकार का

होता है–हेपाटाइटिस ए और हेपाटाइटिस बी । हेपाटाइटिस ए मुख्य रूप से दूषित जल के कारण होती है, जबकि हेपाटाइटिस बी के संक्रमण का मुख्य कारण रक्त संक्रमण है । हेपाटाइटिस ए संक्रमण के कारण फैलने वाली बीमारी है । यह एंटेरों वायरस 72-7 नामक विषाणु से होती है । इसमें लीवर में सूजन आ जाती है, मरीज़ को भूख कम लगती है, बुख़ार आ जाता है, सर्दी लगती है, सिर दर्द, थकावट, दुर्बलता, पीड़ा आदि से मरीज़ ग्रस्त हो सकता है ।

नेत्रों और मूत्र का रंग पीला पड़ जाता है । वायरल हेपाटाइटिस को वैक्सीन लगाकर रोका जा सकता है । सामान्य अवस्था में पीलिया से किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, किन्तु बीमारी का असर तेज़ होने पर कई व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं । पीलिया से ग्रस्त मरीज़ को समुचित इलाज के साथ-साथ खान-पान पर ध्यान देना चाहिए ।

अधिक वसा युक्त और अधिक मीठे भोजन जैसे घी, तेल, तले-भुने खाद्य, शक्कर, मिठाई, मिर्च-मसाले, खटाई नमक आदि से परहेज़ करना चाहिए । पीलिया से पीड़ित रोगी को शुरू से दही चावल खाना चाहिए और अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए, इसमें पालक, बथुआ, पत्ता गोभी, सरसों का साग, गाजर आदि हरी सब्ज़ियां खाना लाभदायक है । गन्ने का रस विशेष रूप से लाभदायक है । नीम की छाल में शहद मिलाकर खाने से भी फ़ायदा होता है ।

पेचिश : पेचिश से पीड़ित रोगी को पेट में भारीपन, शरीर में सुस्ती व कमज़ोरी, बार-बार मल विसर्जन होने की शिकायत होती है । दस्त नियंत्रण से बाहर होता है । वास्तव में दस्त में ज़्यादा मल विसर्जित नहीं होता लेकिन मल में आंव मिला रहता है और कई बार रक्त भी आ जाता है । पेट और गुदा क्षेत्र में ऐंठन होती है । पेचिश से पीड़ित रोगी को तली-भुनी, मसालेदार और चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए । हल्का सादा और सुपाच्य भोजन करना चाहिए । जल की स्वच्छता पर पूरा ध्यान देना चाहिए । इस बीमारी में नीम के पत्तों का शरबत बनाकर पीने से फ़ायदा होता है । दस्त ज़्यादा होने पर डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए ।

पोलियो : पोलियो जल में पाये जाने वाले एक विशेष प्रकार के वायरस से फैलता है । इसका सबसे ज़्यादा जोखिम छह माह से तीन वर्ष की आयु तक होता है । यदि एक बार पोलियो का प्रकोप हो जाए तो साधारणतया इसकी कोई दवा नहीं होती । पोलियो से ग्रस्त बच्चा स्थायी रूप से विकलांग हो सकता है ।

सामान्य रूप से लोग यह समझते हैं कि पोलियो सिर्फ़ हाथ-पैर में होता है किन्तु यह सही नहीं है । पोलियो तंत्रिका तंत्र की बीमारी है और शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकती है । इसका प्रभाव हार्ट, ब्रेन, गले में भी हो सकता है । बच्चा अंधा, गूंगा या बहरा भी हो सकता है ।

हैजा : हैजा बैक्टीरिया से होने वाली गंभीर बीमारी है । यह दूषित खान-पान से फैलती है । यह अचानक आती है और यदि इसका शीघ्र उपचार न किया जाए तो जानलेवा साबित हो सकती है । हैजा में चावल के धोवन जैसे पतले दस्त अधिक मात्रा में आते हैं । ख़ूब प्यास लगती है, लेकिन पानी हजम नहीं होता । पेट में मरोड़ उठता है । मूत्र में रुकावट होती है ।

शरीर में जल की कमी हो जाती है । हैजे से पीड़ित मरीज़ को शीघ्र परिवार के लोगों से अलग किसी हवादार कमरे में रखना चाहिए । इसमें अमृतधारा और पुदीन हरा काफ़ी लाभदायक होता है । हैजा संक्रामक बीमारी है, इससे इसमें स्वच्छता का ध्यान रखते हुए मरीज को उबला हुआ पानी पिलाना चाहिए । स्थिति ख़राब होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए ।

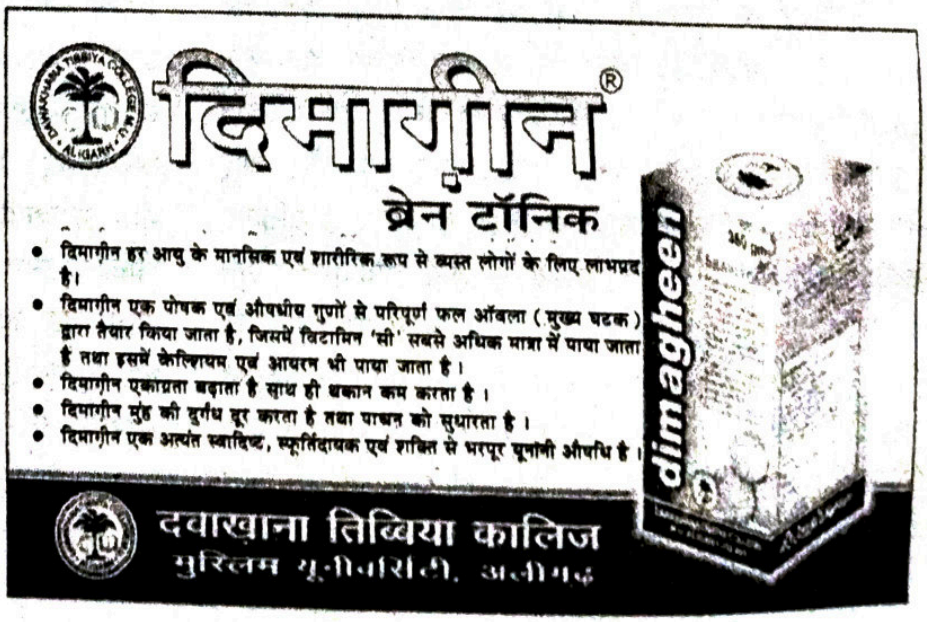

'पेड न्यूज़' के बाद 'पेड सर्वे'!

■ डॉ॰ मुहम्मद अहमद

ओपीनियन पोल करने वाली कंपनियां पहली बार नहीं कठघरे में खड़ी हुई हैं । चुनाव सर्वे में धांधली के आरोप पुराने हैं । अब गत 25 फ़रवरी को समाचार चैनल 'न्यूज एक्सप्रेस' ने चुनावी सर्वे करने वाली एक बड़ी एजेंसी सी-वोटर सहित 11 एजेंसियों का स्टिंग ऑपरेशन "ऑपरेशन प्रधानमंत्री" दिखाकर यह चौंकाने वाला खुलासा किया है । इनमें देश की कुछ बड़ी और विदेशी एजेंसियां भी शामिल हैं । इस स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया गया है कि सर्वे एजेंसियां राजनीतिक दलों और मीडिया हाउस से पैसे लेकर इच्छानुसार नतीजे दे देती हैं । इसके मुताबिक़ ये एजेंसियां 'मार्जिन ऑफ़ इरर' की आड़ में ग़लत सर्वे देती हैं ।

इस स्टिंग ऑपरेशन से ओपिनियन पोल के कारोबार में कालेधन के इस्तेमाल की बात भी सामने आयी है । कई रिसर्च एजेंसियां सर्वे के लिए बड़ी सीमा तक नक़द राशि भी लेने को तैयार हो गयीं । यहां तक कि वे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित करने के लिए पैसे लेकर डमी उम्मीदवार खड़ा करने के लिए भी राज़ी हो गयीं । न्यूज़ एक्सप्रेस चैनल के सी॰ई॰ओ॰ और प्रधान संपादक विनोद कापड़ी ने कहा कि 4 अक्तूबर 2013 को चुनाव आयोग ने एक ख़त लिखकर ओपिनियन पोल पर विभिन्न दलों की राय मांगी थी । इसके बाद हमने इन सर्वे की सच्चाई पता लगाने के बारे में सोचा । सर्वे के स्रोत में भी बड़ी गड़बड़ियां पायी गयी हैं । इस खुलासे पर चुनाव आयोग गंभीर है । अटार्नी जनरल जी॰ई॰ वाहनवती पंहले ही चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों पर रोक लगाने की बात कह चुके हैं । चुनाव आयोग चाहता है कि इस बाबत क़ानून बने ।

मीडिया में भ्रष्टाचार का रोग बढ़ता ही जा रहा है । पेड न्यूज़ के चलन ने विश्वसनीयता का संकट तो पैदा ही किया है, किरदार का भी संकट पैदा कर दिया है । मीडिया में अच्छे किरदार के भी लोग हैं, जैसे ताज़ा खुलासा करने वाले सज्जन भी मीडिया से ही जुड़े हुए हैं । लेकिन यह बात सच है कि मीडिया से जुड़े अधिकांश लोगों पर भ्रष्टता के आरोप हैं । ताज़ा स्टिंग पर मीडिया की ख़ामोशी भी चिंताजनक है । कभी-कभार ही इनके मामले उजागर होते हैं । रिश्वतख़ोरी के गंभीर मामले में 'ज़ी न्यूज़' के दो नामचीन संपादकों–सुधीर चौधरी और समीर आहलूवालिया की गिरफ़्तारी (दिसम्बर 2012) ने भारतीय प्रेस में आये किरदार के संकट को एक बार फिर बेनक़ाब कर दिया था । इसी के मद्देनज़र प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने अपनी त्वरित टिप्पणी में भारतीय पत्रकारिता के गिरते स्तर पर चिंता प्रकट करते हुए कहा था कि हमारे यहां इस क्षेत्र में बड़ी गंदगी है, जिसकी सफ़ाई होनी चाहिए ।

उनका ठीक ही कहना है कि वे प्रेस की आज़ादी के पक्ष में ज़रूर हैं, लेकिन प्रेस की अपनी कुछ ज़िम्मेदारियां भी होनी चाहिए । जस्टिस काटजू का यह भी ख़याल है कि "उन्हें (पत्रकारों को) पूरी आज़ादी नहीं देनी चाहिए । हमने प्रेस की आज़ादी के लिए ख़ुद आवाज़ उठायी है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं ।' ज़ी न्यूज़ के सम्पादक सुधीर चौधरी और ज़ी बिज़नेस के सम्पादक समीर आहलूवालिया पर आरोप लगे कि उन्होंने कांग्रेस सांसद और उद्योगपति नवीन ज़िंदल के ग्रुप से इस आधार पर 100 करोड़ रुपये मांगे थे कि वे नवीन ज़िंदल की कम्पनी और कोयला घोटाले को जोड़कर कोई रिपोर्ट नहीं करेंगे ।

जस्टिस काटजू की बात ऐसी थी और है, जिस पर भारतीय मीडिया को चिंतन-मनन ही नहीं, बल्कि अमली तौर पर इसे पाक-साफ़ रखने की ठोस पहल एवं कोशिश करनी चाहिए थी, जो अब तक नहीं हो सकी । काफ़ी लम्बे समय से भारतीय मीडिया की ग़ैर-ज़िम्मेदाराना हरकतें सामने आ रही हैं, जो लोकतंत्र और उसकी चतुर्थ सत्ता प्रेमियों को चिंता में डालती रही हैं । एडमंड बर्क ने इसे चतुर्थ सत्ता तो क़रार दिया ही था, साथ ही इसकी ज़िम्मेदारियां भी गिनायी थीं, लेकिन अफ़सोस पत्रकारिता से जुड़े लोगों को 'चतुर्थ सत्ता' ही याद रही । वे अपनी ज़िम्मेदारियां भूले ही नहीं, निरंकुश हो गये, जिसके लिए लोकतंत्र में कोई जगह नहीं होती ।

मानवीय संवेदनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति है– 'देते हैं अवशेष गवाही'

■ डॉ॰ पूनम कुमारी

पुस्तक का नाम	: 'देते हैं अवशेष गवाही'
कवि	: रोहित यादव
संस्करण	: 2014, मूल्य : 200 रुपये
प्रकाशन	: अनिल प्रकाशन, न्यू मार्किट, नयी सड़क, दिल्ली ।

बहुआयामी व्यक्तित्व एवं कृतित्व के धनी हरियाणा प्रदेश के वरिष्ठ क़लमकार रोहित यादव माटी से जुड़े रचनाकार हैं । हिन्दी पत्रकारिता एवं साहित्य के साधक श्री यादव की प्रेरक रचनाधर्मिता एवं साधना का केन्द्र भले ही लोकपक्ष रहा है, किन्तु उनके रचना संसार का फ़लक बेहद विस्तृत है । कविता, नारा, तिक्का, दोहा, कुंडली, लघुकथा, कहानी, उपन्यास तथा निबन्ध विधाओं में इनकी अब तक चालीस से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं । इनके साहित्य पर अनेक शोधार्थी एम॰फिल् तथा पी॰एच॰डी॰ उपाधि हेतु शोध कार्य कर चुके हैं ।

अपने साहित्य को विस्तार प्रदान करते हुए श्री यादव ने अब हिन्दी साहित्य की नव्यतर विधा 'द्विपदी' को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है । 'देते हैं अवशेष गवाही' रोहित जी का प्रथम द्विपदी-संग्रह है । संभवत: इस विधा के जनक और नियामक डॉ॰ रामनिवास 'मानव' के बाद रोहित जी देश के दूसरे द्विपदी लेखक हैं । श्री यादव के इस संग्रह में 468 द्विपदी संग्रहित हैं । संग्रह की प्रत्येक द्विपदी छंद विधान की अनुपालना करती हुई, लक्ष्य को भेदती नज़र आती है ।

नाम के अनुरूप द्विपदी को दो चरणों में विभक्त करते हुए कवि ने प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राओं तथा अन्त में गुरु-गुरु का निर्वहन किया है । इस सुन्दरतम कृति का शीर्षक 'देते हैं अवशेष गवाही' अपने आप में पुस्तक के समग्र भावों को समेटे हुए है । समाज का विकृत रूप, उसकी दयनीय दशा, राजनीति की कुटिलता और नैतिक मूल्यों के क्षरण का प्रतिरूप, जो आज हमें अवशेष के रूप में दिखायी दे रहा है, कवि ने उसके लिए स्वयं मानव को ही उत्तरदायी बताया है । जिसे मानव को स्वीकारना ही पड़ेगा । हमारे समाज में गहराई तक व्याप्त भ्रष्टाचार और रिश्वतख़ोरी का बखान करती हुई रोहित जी की ये द्विपदियां देखिए–

क्या अधिकारी, क्या व्यापारी ।
सभी बने हैं, भ्रष्टाचारी ।।
मिली नौकरी, जब सरकारी ।
रिश्वत से तब कर ली यारी ।।

राजनीति के गिरते हुए स्तर तथा अफ़सरशाही की पदलोलुपता और मक्खनबाज़ी को वर्णित करती हुई कवि की ये द्विपदियां भी सहज रूप में पाठक को अपनी ओर आकृष्ट करती हैं–

राजनीति अब हुई अखाड़ा ।
लगती है संसद भी बाड़ा ।।
अफ़सर अब सरकार चलाते ।
नेता ख़ातिर वोट जुटाते ।।

समीक्ष्य संग्रह की द्विपदियां मनुष्य को 'अपराध-बोध' का संज्ञान करवाती हुई उसे 'कर्त्तव्य-बोध की ओर अग्रसर करती हैं । देखिए–

मानव हाथों हुई तबाही ।
देते हैं अवशेष गवाही ।।
धन-दौलत सब धरा रहेगा ।
पाप-पुण्य ही साथ रहेगा ।।

विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुक़ाबला करने और जीवन में कभी भी हार न मानने का सन्देश भी कवि द्वारा सृजित इन द्विपदियों में सहज समाहित है देखिए–

तम ने तुमको बेशक घेरा ।
कल फिर होगा मीत सवेरा ।।
हंसते-हंसते बढ़ते जाना ।
मीत यही जीवन का गाना ।।

अनिल प्रकाशन, दिल्ली से प्रकाशित यह कृति 'देते हैं अवशेष गवाही' सचमुच में रोहित जी का एक ऐसा अभिनव प्रयोग है, जो न केवल इनकी लेखन क्षमता व शिल्प कला को और अधिक प्रामाणिक सिद्ध करता है, बल्कि इनके व्यक्तित्व को एक नया आयाम भी प्रदान करता है । पुस्तक का काग़ज़, मुद्रण और गेटअप बहुत सुन्दर बन पड़ा है ।

आशा की जानी चाहिए कि श्री यादव की इस कृति का साहित्य प्रेमियों द्वारा स्वागत किया जाएगा और समाज इससे लाभांवित होगा । एक श्रेष्ठ कृति के लिए रोहित जी को हार्दिक बधाई ।

सिंगापुर में सम्मानित हुए डॉ॰ यायावर

अन्तर्राष्ट्रीय साहित्य कला मंच मुरादाबाद (भारत) का 28वां वार्षिक समारोह अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी तथा सम्मान कार्यक्रम 3 फ़रवरी से 6 फ़रवरी 2014 तक सिंगापुर में आयोजित हुआ । इस भव्य कार्यक्रम में कनाडा, अमेरिका, भारत के 9 प्रदेशों तथा सिंगापुर आदि देशों के हिन्दी-साहित्य सेवियों तथा प्रतिभागियों के सम्मुख डॉ॰ रामसनेही लाल शर्मा 'यायावर' को 'डॉ॰ बद्रीप्रसाद कपूर स्मृति साहित्य भूषण सम्मान' से सम्मानित किया गया ।

अन्तर्राष्ट्रीय साहित्य कला मंच, मुरादाबाद (भारत 40 वर्षों से संचालित स्वयंसेवी संस्था है जो प्रतिवर्ष एक भव्य आयोजन देश या विदेश में करती है । सन 2014 में उसने ''हिन्दी का वैश्विक परिदृश्य'' विषय पर एक गरिमामय संगोष्ठी, सम्मान-समारोह का काव्य-गोष्ठी का आयोजन 3 फ़रवरी से 6 फ़रवरी के मध्य पर्यटन व आधुनिक विकास की रूपरेखा वाले सामुद्रिक द्विपीय देश सिंगापुर में किया ।

इस आयोजन में भारत के उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मिजोरम, बिहार तथा छत्तीसगढ़ के 67 प्रतिनिधियों तथा सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा आदि के अनेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

डॉ॰ यायावर की बहरैन यात्रा सम्पन्न

'प्रवासी भारतीय संगम बहरैन' और 'इंडियन स्कूल बहरैन' के संयुक्त आमंत्रण पर डॉ॰ रामसनेही लाल शर्मा 'यायावर' विश्व हिन्दी दिवस (11 जनवरी) 'प्रवासी भारतीय समागम' तथा 'इंडियन स्कूल के संस्थापना-दिवस' के कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि के रूप में बहरैन यात्रा पर 9 जनवरी को बहरैन पहुंचे ।

12000 भारतीय छात्रों/छात्राओं तथा 600 शिक्षक/शिक्षिकाओं वाले इंडियन स्कूल बहरैन के 61वें संस्थापना दिवस में उन्होंने प्रवासी भारतीयों के कर्मठता, भारतीयता और सांस्कृतिक चिंतन पर प्रकाश डाला । हिन्दी-अध्यापकों/अध्यापिकाओं की कार्यशालाओं में ''देव नागरीलिपि की वैज्ञानिकता'' हिन्दी-वर्तनी की अशुद्धियां और उनका निराकरण'' तथा 'काव्य शिक्षा की प्रविधि' जैसे विशयों पर प्रकाश डालकर विदेशों में हिन्दी शिक्षण का मार्ग प्रशस्त किया ।

स्वतंत्रता सेनानी पं॰ गया प्रसाद शर्मा की स्मृति एवं काव्य-गोष्ठी

स्वतंत्रता सेनानी पं॰ गयाप्रसाद शर्मा की स्मृति में एक भव्य-आयोजन गतिशील साहित्यिक संस्था 'मनीषा' ने फ़ीरोज़ाबाद (उ॰प्र॰) के शिवम् होटल में किया, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी कालीचरण गुप्त एवं समाज सेवियों को सम्मानित किया गया ।

कार्यक्रम अध्यक्ष-डॉ॰ मक्खनलाल पाराशर, मुख्य अतिथि-अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एस॰एस॰ यादव, मुख्य वक्ता डॉ॰ अशोक तिवारी, अभिनन्दनीय व्यक्ति कालीचरण गुप्त, डॉ॰ रमाशंकर सिंह नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं पवन कुमार अग्रवाल सी॰ए॰ के द्वारा दीप प्रज्जवलन के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ ।

पंडित जी के बड़े पुत्र डॉ॰ रामसनेही लाल शर्मा 'यायावर' ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की । डॉ॰ रामसिंह शर्मा, रविदत्त शर्मा, चक्रेश जैन उ॰प्र॰ रत्न एवं बालकृष्ण गुप्त उ॰प्र॰ रत्न ने पंडित जी से संबंधित भावुकतापूर्ण संस्मरण प्रस्तुत किये ।

पंडित जी के पौत्र डॉ॰ के॰के॰ भारद्वाज ने पंडित जी को भावुकता के साथ स्मरण किया और पंडित जी के छोटे पुत्र डॉ॰ श्यामसनेही लाल शर्मा ने पंडित जी द्वारा गाये गये ढोला की पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक स्वरूप व उसके छन्द-विधान पर प्रकाश डाला ।

काव्य-गोष्ठी में यशपाल, कृष्णकुमार यादव 'कनक', ओमप्रकाश उपाध्याय 'मधुर', राकेश बाबू 'ताबिश' दिनेश दिनकर, एस॰एस॰ यादव अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश, जे॰एस॰ यादव बेसिक शिक्षा अधिकारी, डॉ॰ ए॰बी॰ चौबे तथा डॉ॰ ओमपाल सिंह 'निडर' आदि ने अपनी सरस व हृदयग्राही रचनाओं का काव्य पाठ किया ।

तीसरी तस्वीर

साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान दो ऐसे चेहरे उभरे जिन्हें इन दंगों का प्रतिनिधि चेहरा माना गया । दुनिया भर में असंख्य बार ये दोनों चेहरे छप चुके हैं । एक है दाहिने हाथ में तलवार लिए और बाएं हाथ की मुट्ठी बांधे अशोक मोची का चेहरा, जो दंगाइयों की पहचान बन गया । दूसरा है हाथ जोड़े जान बचाने की गुहार लगाता कुतुबुद्दीन अंसारी का चेहरा, जो दंगा पीड़ितों की बेचारगी की पहचान बनकर उभरा । तीसरी तस्वीर पिछले दिनों तब सामने आयी जब केरल के कन्नूर में एक कार्यक्रम के दौरान ये दोनों मंच पर एक-दूसरे से मिले । अवसर था अंसारी पर लिखी एक किताब के विमोचन का । दंगों में अपनी भूमिका के लिए जेल काट चुके बजरंग दल के पूर्व कार्यकर्ता अशोक ने कहा, 'मुझे इस बात का एहसास काफ़ी देर से हुआ कि मैं लुटेरों के हाथ का औज़ार था । जो कुछ हुआ उसका मुझे अफ़सोस है ।' 39 साल के अशोक गुजरात में हुए कथित विकास पर कहते हैं, 'कैसा विकास ? मैं आज भी फुटपाथ पर ही हूं । अकेला ही रहता हूं क्योंकि शादी की तो परिवार को कैसे पालूंगा ?' इतना ही नहीं, अशोक ने दंगों में अपनी भूमिका के लिए अंसारी से ख़ास तौर पर माफ़ी मांगी । हालांकि अंसारी के लिए यह पहला मौक़ा नहीं था कि किसी हिंदू ने दंगों के लिए उनसे माफ़ी मांगी हो, मगर फिर भी अशोक का माफ़ी मांगना ख़ास मायने रखता है । उन्होंने अशोक को भाई बताते हुए कहा, मुझे मालूम है कि दंगे अशोक ने नहीं करवाए थे, उसे तो लोगों ने इस्तेमाल किया था । ख़ुशी की बात है कि अब वह बदल चुका है । अंसारी

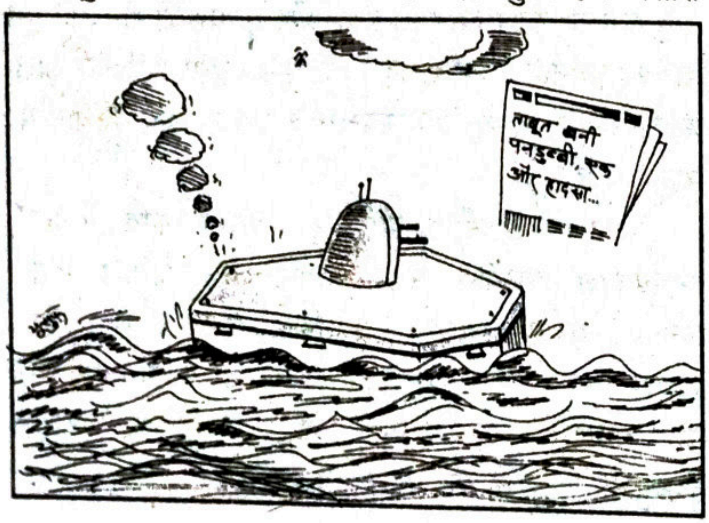



एक था दंगाई और दूसरा था दंगा पीड़ित । अब ये दोनों गले मिल रहे हैं ।

के साथ दंगों में चाहे जैसा भी सलूक किया गया हो, मोदी सरकार से उन्हें भी ज़िंदगी सुधारने का ऑफर ज़रूर मिला था । यह अलग बात है कि उन्होंने इस ऑफ़रको ठुकराने में देर नहीं की । ऑफ़र यह था कि उन्हें जुहापुरा में फ्लैट दिया जाएगा और ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे, बस एक विज्ञापन में वे कैमरे के सामने इतना भर बोल दें कि 'अभी गुजरात में अमन है' । अंसारी ने इन्कार कर दिया क्योंकि उनके मुताबिक़ 'पैसों से ज़्यादा अहम है इन्सानियत ।'

(नवभारत टाइम्स, 6 मार्च 2014)

मुद्रक एवं प्रकाशक ख़लील अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि०), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट, गली क़ासिम जान, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से मुद्रित ।
फोन: 09818799223, 011-26949430
संपादक : डॉ० मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है ।

ambar

Lifestyle Products



Shower partitions

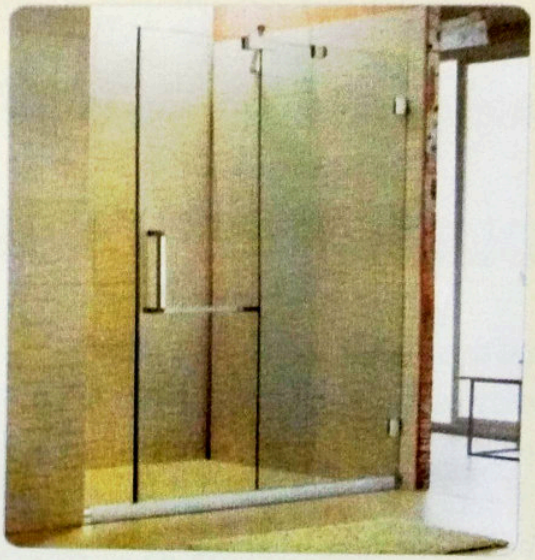

RN-816 Shower Partition
Standard Height : 1950 mm
Size width in **mm** :
1200, 1350, 1500 mm
1650, 1800, 1950 mm
& 2100×2100 (W×H)

A 14 Shower Partition
Standard Height : 1880 mm
Size width in **mm** :
1500, 1650 & 1800 mm

AMAN TRADING COMPANY

Showroom 1 : #29, Bowring Hospital Road,
Malik's Complex, Next to DHL, Bangalore-560001
Tel. : 91 80 2286 8229, Fax : 91 80 22868230
Mob. : 98450 48673, arshadmerchant1@hotmail.com
Showroom 2 : #21, St. Johns Church Road,
Near Bharathinagar Police Station, Frazer Town, Bangalore-5
Tel. : 91 80 4203 2906/07, Mob. : 98451 46199
info@amantrading.net/aman.showroom@hotmail.com
www.ambarlifestyle.com

Posted on 20-21 March 2014
April 2014
E-mail: kantihindimonthly@yahoo.com
Publishing Date: 18.03.2014

कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2012-2014
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2012-14

इस्लामिया अरबिक कॉलेज

ISLAMIA ARABIC COLLEGE

(Residential School, रेजिडेंशियल स्कूल)

मंसूर एजूकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के अन्तर्गत



दीनी और आधुनिक शिक्षा का सुन्दर संगम

इस्लामिया अरबिक कॉलेज, दक्षिण भारत का अनोखा रेजिडेंशियल स्कूल है, जहां देश के विभिन्न राज्यों के छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आधुनिक शिक्षा (पांचवीं से दसवीं कक्षा तक) के साथ-साथ दीनी शिक्षा में सानविया (मौलवी) तक की शिक्षा दी जाती है।

शिक्षा का उद्देश्य

- छात्रों को किताब व सुन्नत की तालीम देना।
- आधुनिक शिक्षा देना • मोमिनाना बसीरत पैदा करना।
- इक़ामते दीन के फ़रीज़े के लिए तैयार करना।
- अल्लाह का मुख़लिस बन्दा और देश का एक अच्छा नागरिक बनाना।



उपलब्ध सुविधाएं

विस्तृत कैम्पस, सुखद और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्रशिक्षण, हॉस्टल, मस्जिद, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, कराटे की शिक्षा, खेल-कूद के लिए बड़ा मैदान, दावती काम के लिए लिखत व मौखिक अभ्यास, सभी विभागों के लिए योग्य, अनुभवी और मेहनती शिक्षक।

दाख़िले की शर्तें

- छात्र की उम्र 11 वर्ष से अधिक न हो।
- पांचवीं कक्षा पास हो।
- नाज़रा क़ुरआन मजीद पढ़ सकता हो।
- हमारी प्रवेश परीक्षा में सफल हो।



एक जून से शिक्षा वर्ष का आरंभ होता है
प्रवेश परीक्षाएं मई के महीने में होती है।

रजिस्ट्रेशन और अन्य जानकारियों के लिए संपर्क करें :

सय्यद अब्दुल हसीब (सेक्रेट्री) 09845475006

मनव्वर पाशा 09986846146

एडमीशन टेस्ट इन स्थानों पर होगा–
सिंधनूर गुलबर्गा मंसूरा

Islamia Arabic College,Mansoora, Post ALUR.573213,Dist:Hassan,Karnataka
Ph:08170-218320,9341995959,E.mail:secmansoora@rediffmail.com
Website:www.iacmansoora.com